हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 अक्तूबर, 2009

खण्ड – 1, अंक 2

(दूसरी बैठक)

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 28 अक्तूबर, 2009

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(2)1
अध्यक्ष द्वारा मेज पर रखा गया कागज–पत्र	(2)6
घोषणाएं	

(क) अध्यक्ष द्वारा	
चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(2)6
(ख) सचिव द्वारा	(2)6
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलो सम्बन्धी	
शोक प्रस्ताव	(2)7
विश्वास मत	(2)18
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)28
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(2)28
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2)29
नियम 10 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2)30
सदन की मेज पर रखे गये/पुनः रखे गये कागज–पत्र	(2)31
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)31

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 28 अक्तूबर, 2009

(दूसरी बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 2.52 बजे (अपराहन) हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चड़ा) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly today, the 28th October, 2009 at 2.00 P.M.. under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभासदो।

नवगठित हरियाणा विधान सभा के प्रथम सत्र मे आपका स्वागत करते हुये मुझे बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है। में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चुनावों में आपकी सफलता पर ओर इस गरिमामय सदन का सदस्य बनने पर में आप सबको

हार्दिक बधाई देता हूँ। इस बात का पूरा श्रेय राज्य के लोगों को जाता है, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढचढ़ कर भाग लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के लोगों द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को आप सफलतापूर्वक निभाएंगे ओर उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे।

2. मेरी सरकार ने अपनी उपलब्धियों के आधार पर नया जनादेश हासिल किया है। अब यह सर्वविदित है कि राज्य में सभी मोर्चा पर अभूतपूर्व प्रगति हुई हे। राज्य द्वारा की गई प्रगति का एक मुख्य संकेतक यह भी है कि इसकी योजना का आकार वर्ष 2004–05 के 2,108 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2009–10 में 10,942 करोड़ रुपये हो गया जोकि 419 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता हे। 3. आर्थिक मंदी से सामान्य विकास की गति पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। वेतन संशोधन से राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त वित्तीय मार पड़ा हे। फिर भी, इन बाधाओं के बावजूद मेरी सरकार राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए वचनबद्ध है। यह अतिरिक्त संसाधन जुटाकर ओर बेहतर वित्तीय प्रबंधन से हासिल किया जाएगा।

4. मेरी सरकार रोजगार के अवसरों के सृजन, कमजोर वर्गों के उत्थान और सामाजिक आर्थिक न्याय पर ध्यान केन्द्रित करके राज्य के सर्वागीण विकास की गति को और तेज करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। मेरी सरकार जनता को

उत्तरदायी. पारदर्शी, जनमेत्रीपूर्ण और स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

5. कृषि एवं कृषक समुदाय मेरी सरकार के प्रमुख केन्द्र बिन्दु होगे। तदनुसार इस क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जाएंगे। सरकार समय पर गुणवत्तापरक आदानों और कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। कटाई उपरान्त फसल प्रबंधन एवं विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6. खरीफ 2009 के दौरान वर्षा की कमी के कारण हरियाणा अत्यधिक प्रभावित हुआ। सरकार ने अनपेक्षित चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया। सरकार ने पर्याप्त बिजली आपूर्ति और पीने के लिए व सिंचाई, विशेषकर धान की रोपाई के समय पानी की समुचित आपूर्ति बनाये रखने के लिए असाधारण प्रयास किए। इसके फलस्वरूप राज्य में खरीफ की भरपूर पैदावार होने की सम्भावना है। मेरी सरकार किसानो को उनकी पैदावार की बिक्री के लिए प्रभावी विपणन सहायता उपलव्य करवा रही हे। चालू सीजन के दोरान मण्डियों मे लेवी धान की आवक 20.57 लाख मीट्रिक टन हुई है ओर 25 अक्तूबर, 2009 तक 19 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया है।

7. किसानो, की समस्याओ ओर शिकायतों का पता लगाने ओर उनके समाधान के उपाय सुझाने के लिए राज्य किसान आयोग का गठन किया जाएगा।

8. राज्य में पशुपालन एवं डेरी क्षेत्र के महत्व के दृष्टिगत मेरी सरकार का हिसार में एक स्वतंत्र पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह संस्थान हरियाणा मे पशुधन के विकास एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा।

9. भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों और छोटे दुकानदारो के लिए राज्य सहकारी बैंकों की ऋण व ब्याज माफी स्कीम शुरू की जाएगी। इसके तहत दस हजार रुपये तक का मूलधन ओर उस पर ब्याज माफ किया जाएगा। यदि ऋण दस हजार रुपये से अधिक है तो यह लाभ उस स्थिति में मिलेगा, यदि शेष मूलधन अदा कर दिया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण दस्तकारी और छोटे दुकानदारों की ऋण सीमा 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये की जाएगी। मेरी सरकार सहकारी क्षेत्र की सामान्य कार्य प्रणाली मे सुधार लाने और प्रक्रियाओ का सरलीकरण करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगी।

10. मेरी सरकार रावी–व्यास नदियों के पानी में से हरियाणा का हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध है। सतलुज–यमुना–लिंक कैनाल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा

करवाने के सभी सम्भव प्रयास किये जाएंगे। बी०एम०एल० हांसी–बुटाना लिंक कैनाल को यथाशीघ्र चालू करवाने के लिए सभी कानूनी अड़चनों को दूर करवाने के ठोस कदम उठाये जाएंगे। मेरी सरकार कोशल्या डैम के निर्माण कार्य में तेजी लाकर और भिण्डावास झील, ओटू जलाशय और पश्चिमी यमुना नहर की क्षमता बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं का बिस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हे। राज्य में जल की उपलब्धता बढाने के लिए रेणुका बांध जल के सम्बन्ध में एक नया समझौता किया जाएगा। इसके अलावा पुराने जलमार्गों की मरम्मत की जाएगी और नये जलमार्ग बनाये जाएंगे। तेजी से गिरते भूजल स्तर में सुधार के लिए जल संरक्षण उपाय किये जाएंगे।

11. सड़क तंत्र का विकास मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। लगभग छः हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों, जिनमें अधिकांश ग्रामीण सडक हैं, को चौडा व सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। वर्तमान ग्रामीण सड़क तंत्र में एक हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई की नई सम्पर्क सड़कें जोडी जाएंगी। निवेश के वर्तमान स्तर को दोगुणा करने के उद्देश्य से सड़क तंत्र ओर सार्वजनिक भवनों के चल रहे कार्यो को समेकित किया जाएगा। राजीव गांधी सड़क एवं पुल इन्फ्रालस्ट्रस्चर विकास कार्यक्रम का दूसरा चरण भी शुरू करने का प्रस्ताव है जिस पर पांच हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

12. राज्य के विकास के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण घटक है। मेरी सरकार का इरादा सभी उपभोक्ताओं को समुचित और गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति करने का है। राज्य में कुल 4,020 मैगावाट क्षमता के तीन पॉवर प्लांट नामत. एक खेदड (हिसार) में और दो झाडली (झज्जर) मे स्थापित किये जा रहे हैं। इनकी दिसम्बर, 2009 और 2012 के बीच चालू होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से 2.113 मेगावाट बिजली खरीदने की व्यवस्था की गई है। आगामी लगभग तीन सालों में प्रदेश को पांच हजार मैगावाट से भी अधिक अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। इससे हरियाणा कुछ ही वर्षो में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर राज्य हो जाएगा। सम्प्रेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में ओर तेजी लाई जाएगी। बिलिंग सिस्टम ओर बिलों की ऑनलाइन अदायगी की सुविधा शुरू की जाएगी।

13. मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने जिला फतेहाबाद के कुम्हारिया में न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगाने के लिए स्थान के चयन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

14. राज्य की 28 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और राज्य में शहरीकरण बडी तेज गति से हो रहा है। मेरी सरकार शहरी इन्फ्रास्ट्रस्चर, जिसमें सोलिड वेस्ट मैनेजमेट भी शामिल है, मे सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नगरपालिका क्षेत्रो में निजी भूमि पर विकसित अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की एक नीति बनाई गई हे। इन–कालोनियों का एक विस्तृत सर्वे किया जा रहा है।

15. मेरी सरकार मध्यम और निम्न आय वर्गो के लोगों को कम लागत के मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार एक नीति तैयार की गई है. जिसके अन्तर्गत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लोगों के कुल मकानों में से 15 प्रतिशत मकान दिये जाएंगे। एक आवासीय इकाई की लागत चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। शेष 85 प्रतिशत मकान 16 लाख रुपये प्रति आवासीय इकाई की दर से बेचे जाएंगे। मकानो की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्लाट काटकर बनाई गई कालोनियों में स्वतंत्र तल के पंजीकरण की अनुमति भी दी गई है।

16. माननीय सभासदो शिक्षा मेरी सरकार की एक अन्य प्राथमिकता है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के अलावा सभी स्तरो की शिक्षा गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया जाएगा। सभी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू की जाएगी। प्रदेश मे विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विज्ञान शिक्षा मिशन स्थापित किया जाएगा। सभी स्तर के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाने और इसमें तेजी लाने के लिए मेरी सरकार का एक स्वतंत्र शिक्षक भर्ती बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव हे।

17. हरियाणा एजुकेशन हब. के रूप में तेजी से उभर रहा है। प्रदेश में पहले ही अनेक प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हो रहे हैं। इनमें भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रोहतकः केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जिला महेन्द्रगढ़य राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबन्धन संस्थान (एन.आई.एफटी.ई.एम.) सैंट्रल इन्स्पीप्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (सी.आई.पी.ईटी) मुरथल फुटवियर डिजाइन एण्ड डैवलपमेंट इन्स्पीच्यूट (एफ.डी.डी.आई), रोहतकः इण्डियन इन्स्पीच्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स तथा नेशनल ऑटोमोबाइल टैस्टिंग आर एण्ड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आई.एम. टी. मानेसर. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेशनल डिफैंस यूनिवर्सिटी) गुड़गांव शामिल हैं। निजी विश्वविद्यालयो की स्थापना के लिए एक कानून बनाया जा चुका हे। दीनबन्धु छोटू राम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुरथल तथा वाईएमसीएः कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित करने की प्रक्रिया ओर तेज की जाएगी। 18. माननीय सभासदो स्वास्थ्य की देखभाल' राज्य सरकार के मुख्य सरोकारों में से एक हे। डॉक्टरों, दवाइयों, निदान और इन्फ्रास्ट्रक्चर के समुन्नत प्रावधान के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए अनेक अनूठे कदम उठाये गये हैं। राज्य में अतिरिक्त स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित करने के लिए 1500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है। मौजूदा संस्थानों को भारतीय जन स्वास्थ्य मानदण्डों के अनुरूप अपग्रेड किया जा

रहा हे और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को समुचित रूप से बढ़ाया जा रहा है। इनमें से कुछेक अनूठी पहलों में गरीब मरीजों को गारण्टीशुदा निःशुल्क उपचार सभी बहिरंग (ओ.पीडी.) रोगियों व आपातकालीन मामलों में निःशुल्क दवाइयां देना, बिना किसी दिक्कत के कम खर्च का सर्जरी पेकेज, डॉक्टरों की भर्ती की निरन्तर प्रक्रिया और विशेषज्ञों की नियुक्ति शामिल है।

19. चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाये गये हें। राज्य में तीन मेडिकल कालेज स्थापित किये जा रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां (सोनीपत) में केवल लड़कियों के लिए दूसरा नल्हडु (मेवात) में ओर ई.एस.आईसी. के अन्तर्गत तीसरा मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा बाढ्सा (झज्जर) में एम्स (चरण–प्रे) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा।

20. मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर मे सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हे। गांवों का विकास शहरों के विकास की तर्ज पर किया जा रहा है। गांवों में पक्की गलियों के साथ–साथ जल निकासी की व्यवस्था, नल पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, घरों के साथ कनैक्शनों आदि की व्यवस्था करके गांवों के आधुनिकीकरण के लिये 425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री निर्मल बस्ती योजना के अन्तर्गत ऐसे 391 गांवों जहां कुल आबादी की कम से कम 50 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित

जाति की है, में मूलभूत ढांचागत सुविधाएं विकसित की जा रही हें।

21. महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना मेरी सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम हे। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग ए तथा बीपीएल. परिवारों को 100–100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट मुफ्त आवंटित किये जा रहे हें। जिन स्थलों पर इन प्लाटों को विकसित किया जाएगा, वहां बिजली आपूर्ति, पेयजल, पक्की/सीमेंट की गलियों इत्यादि की आवश्यक ढांचागत सुविधाएं होंगी। सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से 643 लाख परिवार लाभांवित होंगे।

22. मेरी सरकार हरियाणा के सभी गांवों और कस्मों में समुचित नल पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति ऊ लिटर करने का प्रस्ताव है। मेवात क्षेत्र सहित राज्य के सभी क्षेत्रों मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। इन्दिरा गांधी पेयजल आपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातिमें के लगभग 730 लाख परिवारों को मुक्त पेयजल कनैक्शन दिये गये हें। इस स्कीम को और अधिक तेजी से लागू किया जाएगा। एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा 100 चयनित गांवों में रिवर्स ओसमोसिस (आरओ.) प्रणाली पर आधारित जल संशोधन प्लांट लगाये जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगो को सीवरेज

कनैक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक वर्ष के लिये 500 रुपये का सीवरेज कनेक्शन शुल्क माफ कथन प्रस्तावित है।

23. हरियाणा उद्योग जगत के लिए पहली पसंद बनकर उभरा हे। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए ओद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करके राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार उपयुक्त प्रोत्साहन स्कीमें बनाएगी। सम्बन्धित विभागों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित सुधार किये जाएंगे। 24. मेरी सरकार का हरियाणा राज्य परिवहन की सेवाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाने का प्रस्ताव हे। चालू वित्त वर्ष के अंत तक बसों के बेडे की संख्या को 3200 से बढाकर 4000 किया जाएगा। अंतर जिला सेवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता की 150 वातानुकुलित बसें परिवहन बेड़े में शामिल की जाएंगी। सार्वजनिक–निजी भागीदारी से गुड़गांव में तथा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत फरीदाबाद में सिटी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाईसेंस तथा रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट के लिए एक परियोजना शुरू की जाएगी।

25. महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हे। महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किये जाएंगे। बच्चों में खून की कमी का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम

चलाये जाएंगे। ऐसे बच्चो को आयरन के साथ पोषाहार मुफ्त उपलव्य करवाया जाएगा। सरकारी बहुतकनीकी संस्थाओं तथा आईटीआई. में पढ़ने वाली महिलाओं की पूरी फीस माफ होगी।

26. मेरी सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी बहुआयामी नीति बनाएगी। राज्य में अनुसूचित जाति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई हे, जिसके तहत छः हजार लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। डॉ० भीमराव अम्बेदकर मेधावी छात्र योजना, जिसका लक्ष्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में मेरिट को बढावा देना है, का दायरा भी बढाया गया हे।

27. कानून व्यवस्था को बनाये रखने की ओर मेरी सरकार विशेष ध्यान देगी। लोग सभा तथा हरियाणा विधान सभा के चुनाव शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न हुए हैं। पुलिस बल में ओर भर्ती करके, प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करके पुलिस बल को सुदृढ़ किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने गुड़गांव की तर्ज पर फरीदाबाद में भी पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था शुरू की हे।

28. सम्मानित सभासदो! एक जन–मैत्रीपूर्ण प्रशासन बेहतर शासन का प्रतीक है। मेरी सरकार सेवा प्रदायी तंत्र को ओर अधिक सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती हे।

आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जन कष्ट निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

29. सम्मानित समासदो! हरियाणा देश में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। निश्चित रूप से इससे जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। एकु प्रगतिशील और गतिशील राज्य में यह होना स्वाभाविक हे। मेरी सरकार हस चुनौती से भली–भांति सजग है ओर राज्य में सर्वागीण विकास की गति को और तेज करने के लिए आवश्यक उपाय निरन्तर करती रहेगी। इसके साथ–साथ सरकार समाज के सभी वर्गो का समावेशित विकास सुनिश्चित करेगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गरिमामय सदन इस उद्देश्य को आगे बढाने में आवश्यक मार्गदर्शन करेगा।

जय हिन्द!

अध्यक्ष द्वारा सदन की मेज पर रखा गया कागज–पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I beg to lay on the Table of the House a copy of the Ejection Commission of India Notification No. 308/HN-LA/2009, dated the 24th October, 2009 issued under Section 73 of the Representation of the People Act, 1951.

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा –

चेयरपर्सन के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairpersons :

1. Shri Mahender Partap Singh, M.L.A.
2. Shri Anand Singh Dangi, M.L.A.
3. Shri Ram Pal Majra, M.L.A.
4. Shri Anil Vij, M.L.A.

(ख) सचिव द्वारा –

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

सचिवः महोदय, मैं उन विधेयको को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने जुलाई–अगस्त, 2009 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूंः –

1. The Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 2009.

2. The Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill, 2009.

3. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2009.

4. The Haryana Fiscal "Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2009.

5. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2009.

6. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2009.

7. Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill, 2009.

8. The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2009.

9. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2009.

10. The Court Fees (Haryana Amendment) Bill, 2009.

11. The Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill, 2009.

12. YMCA University of Science and Technology Faridabad Bill, 2009.

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, Hon'ble Chief Minister will make Obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के खत्म होने के बाद और आज के सत्र के शुरू होने

के बीच मे बहुत से नेतागण, स्वतंत्रता सेनानी और बहादुर सैनिक हमें छोड़कर चले गए हें। में उनके प्रति इस सदन के सामने शोक प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री हरचरण सिंह बराड़, हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री हरचरण सिंह बराड़ के 6 सितम्बर, 2009 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 21 जनवरी, 1922 को हुआ। वह 1960 तथा 1962 मे संयुक्त पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1967, 1969 तथा 1992 मे पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। वह पंजाब सरकार में सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। वह 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। वह 1977–79 के दौरान हरियाणा और उड़ीसा के राज्यपाल रहे। उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर मेरे पिता जी के सम्बन्ध थे और हमारे उनके साथ पारिवारिक सम्बन्ध भी थे।

उनके 'निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

राव वीरेन्द्र सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेन्द्र सिंह के 30 सितम्बर, 2009 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हे।

उनका जन्म 20 फरवरी, 192। को हुआ। वह 1954–66 के दौरान संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे तथा 1956–61 के दौरान मंत्री रहे। वह 1967, 1968 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1967 में हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष बने तथा उन्होंने 1 आ मे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वह 1971, 1980, 1984 तथा 1989 में लोक सभा के लिए चुने गए। उन्हें कृषि ग्रामीण विकास. सहकारिता, सिंचाई तथा खाद्य एवं आपूर्ति सरीखे महत्वपूर्ण विभाग सम्भालने का गोरव प्राप्त हुआ। उन्होंने जिस भी सार्वजनिक पद पर सेवा की वहां उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व ओर प्रशासकीय दक्षता की अमिट छाप छोड़ी।

राव वीरेन्द्र सिंह एक सच्चे कर्मयोगी थे। स्वाभिमान, सादगी, कठोर अनुशासन आएँ स्पष्टवादिता के धनी राव बीरेन्द्र सिंह अपने राजनीतिक जीवन में बुलन्दियों तक पहुंच कर भी न कभी अपनी मिट्टी से दूर हुए ओर न कभी पद की लालसा उन्हें छू पाई। वह साफ छवि और उच्च नैतिक मूल्यो के धनी थे। उनकी प्रगतिशील विचारधारा, उनका महान चिन्तन ओर उनकी दूरदर्शी नीतियां सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी।

उनके निधन से देश, विशेषकर हरियाणा एक अनुभवी सांसद एवं एक उच्चकोटि के प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हे। इनके एक सुपुत्र लोकसभा मे हैं ओर एक सुपुत्र हमारे साथ यही पर सदस्य हें।

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

यह सदन आक प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वाई, एस, राजशेखर रेड्डी के एक हृदय विदारक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 सितम्बर, 2009 को हुए दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शौक प्रकट करता हे।

उनका जन्म 8 जुलाई, 1949 को हुआ। वह चार बार लोक सभा के लिए तथा छः बार आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए। वह 2004 तथा पुनः 2009 में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। श्री शेर सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री शेर सिंह के 5 सितम्बर 2009 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हे।

उनका जन्म 18 सितम्बर, 1917 को हुआ। वह 1948–52 के दौरान संयुक्त पंजाब विधान सभा में संसदीय सचिव रहे। वह 1946–62 के दोरान सयुक्त पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए तथा 1956–. 57 के दोरान मंत्री रहे। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान परिषद् के सदस्य चुने गए।, वह 1967, 1971 तथा 1977 में लोक सभा के लिए चुने गए। वह शिक्षा, संचार तथा कृषि सरीखे महत्वपूर्ण विभागो के मंत्री रहे। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया हे। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सरूप सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सरूप सिंह के 23 अगस्त, 2009 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 6 अक्तूबर, 1919 को हुआ। वह 1954–1962 के दौरान संयुक्त पंजाब विधान सभा में उपाध्यक्ष रहे। वह 1968 तथा 1972 में हरियाणा विधान समा के लिए चुने गए।

वह 1970–72 के दौरान मंत्री रहे। वह 1973– 1977 के दौरान हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओ से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हे।

श्रीमती करतार देवी, हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती करतार देवी के 16 अगस्त, 2009 को हुए आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 मार्च, 1943 को हुआ। वह 1982,1991, 1991 तथा 2005 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुनी गई। वह स्वास्थ्य, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, समाज कल्याण तथा आबकारी एवं कराधान जेसे महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रहीं।

वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह 1962 से 1970 तक खेतिहर मजदूर कांग्रेस। की प्रधान रही। उन्होंने कई देशों की यात्राएं कीं।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायिका एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के

शोक–संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता

श्री बलदेव तायल, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री बलदेव तायल के 6 अक्तूबर, 2009 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 24 फरवरी, 1931 को हुआ। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये तथा मंत्री बने। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ठाकुर मंगल सिंह, तत्कालीन पेप्स विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन तत्कालीन पैप्सू विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य ठाकुर मंगल सिंह के 24 अक्तूबर, 2009 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 नवम्बर 1922 को हुअ।। वह 1954 मे पैप्सू विधान सभा के सदस्य चुने गए। उनके निधन से देश एक विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के

शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हे।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रध्देय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है. जिन्होंने देश की आजादी के सघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियो के नाम इस प्रकार हैं

1. श्री उमराव सिंह, गांव अगियार, जिला महेन्द्रगढ।

2. श्री राम किशन. गांव कुतबपुर, जिला कैथल।

3. भी शेर सिंह, गांव बेरला. जिला भिवानी।

4. श्री सोहन लाल, गांव गढ़ी छाजू जिला पानीपत।

5. श्री राज कुमार, अम्बाला।

6. श्री रोहताश सिंह गांव चिड़िया, जिला भिवानी।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सेनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हे, जिन्होंने मातृभूमि की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन महान् वीर सेनिकों के नाम इस प्रकार हैं जो एक–एक करके हमे छोडकर जा रहे हैं

1. पायलट सुनील कुमार, बहादुरगढ, जिला झज्जर।

2. सूबेदार डालचन्द, गांव ख्यासपुर, जिला गुड़गांव।

3. सूबेदार बिजेन्द्र सिंह, गांव हसन, जिला भिवानी।

4 नायब सूबेदार नरेश, गांव किशनपुर दामला, जिला यमुनानगर।

5. उप–निरीक्षक जय सिंह, गांव सिहमा जिला महेन्द्रगढ़।

6. हवलदार हवा सिंह, गांव दुबलाना, जिला महेन्द्रगढ़।

7. हवलदार राज कुमार, गांव सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।

8. नायक सुनील, गांव बौंदकला, जिला भिवानी।

9 दफेदार ईश्वर सिंह गांव खुडाना जिला महेन्द्रगढ।

10. दफेदार राजकुमार, गांव निमडी. जिला भिवानी।

11. गनर दलबीर सिंह, गांव बाड़ा, जिला अम्बाला।

12. सिपाही देवेन्द्र सिंह. गांव रजोली, जिला अम्बाला।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर उन्हें शत–शत नमन करता है और इनके शोक– संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अन्य

यह सदन सांसद श्री शादी लाल बत्रा के भाई श्री नरेन्द्र बत्राः

विधायक श्री अशोक अरोड़ा के भाई श्री रमेश कुमार अरोड़ाः

विधायक श्री मामू राम गोंदर की पत्नी श्रीमती विमला देवीः

विधायक श्री राजेन्द्र सिंह जून के चाचा श्री शंकर लाल जून,

पूर्व सांसद श्री किशन सिंह सांगवान के भाई श्री कुलदीप सिंह सांगवानय

पूर्व विधायक श्रीमती मीना मण्डल के जेठ श्री कर्मजीत सिंहय तथा

पूर्व विधायक श्री करण सिंह दलाल के भाई श्री ब्रह्म चन्द दलाल के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

15.00 बजे

ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सैशन के बाद से अब तक कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इस संसार से चले गए हैं, जिनका राजनीति में विशेष योगदान रहा, विशेष रूप से जो हरियाणा और पंजाब प्रदेश के राजनीतिक हालात से जुड़े रहे. उनमें सरदार हरचरण सिंह बराड जो कि हरियाणा प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल ब मुश्तरका पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों के मंत्रीमंडल मे मंत्री रहे थे। वे एक अनुभवी विधायक और योग्य प्रशासनिक अधिकारी थे। श्री बराड़ को हरियाणा प्रदेश में बतौर राज्यपाल हरियाणा प्रदेश के लिए काफी लम्बे समय तक सेवा करने का अवसर मिला। यह भी संयोग की बात है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब सरदार हरचरण बराड राज्यपाल थे. उन दोनो का आपस में ऐसा समन्वय था कि हरियाणा प्रदेश निरन्तर प्रगति के पथ पर बढता गया। उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी

और अपनी पाटी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश बनने के बाद, हरियाणा के एक अनुभवी मुख्यमंत्री और एक बहादुर जरनल राव बीरेन्द्र सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। उनके एक बेटे राव यादवेन्द्र सिंह आज इस सदन के सदस्य भी हैं। श्री इन्द्रजीत सिंह लोक सभा के सदस्य हैं और श्री अजीत सिंह जी मेरी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन के हमारे बीच मे नहीं होने की वजह से समूचे प्रदेश के लोग उनकी कमी महसूस करते हैं। जब वे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब यह नारा प्रचलित हुआ था कि 'आया राव बढा भावे। वे किसान वर्ग से जुड़े हुए थे। उनकी हर बार यह कोशिश रहती थी कि कृषि प्रधान प्रदेश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें। उन्होंने किसानों के हितों के रक्षार्थ बहुत अच्छे निर्णय लिए थे। प्रदेश में कृषि, ग्रामीण विकास ओर जल सिंचाई योजनाओं को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं उनकी कमी रहती सृष्टि तक बनी रहेगी। इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरो में लिखा जायेगा।

उनके निधन से देश विशेषकर हरियाणा एक अनुभवी सांसद एवं एक उच्च कोटि के योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत

के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वाई.एसराज शेखर रेड्डी आज हमारे बीच में नहीं हैं। 2 सितम्बर, 2009 को एक हेलीकाप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उनके निधन से समूचे राष्ट्र के लोगों को बहुत पीड़ा हुई थी।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रो० शेर सिंह हरियाणा प्रदेश के एक अग्रणी राजनेताओं में से थे। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में आर्य समाज, सामाजिक शिक्षा और राजनीति में अहम भूमिका निभाने का काम किया। उन्होंने हिन्दी आन्दोलन में बहुत बढ–चढ कर हिस्सा लिया जिसकी वजह से हरियाणा का नाम समूचे राष्ट्र के स्तर पर बहुत बड़ा था। हरियाणा लोक समिति के वे संगठनकर्त्ता थे और उसके तहत राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपनी छवि को ही नहीं निखारा बल्कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्षमय जूझने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान किया था। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। वे वर्ष 1982 में संयुक्त पंजाब विधान परिषद के मैम्बर रहे, 1956–57 में मंत्री भी रहे और उसके

बाद 1967, 1971 और 1977 में लोकसभा के सदस्य भी चुने गये। वे केन्द्र में मंत्री भी रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री सरूप सिंह जी जो हरियाणा विधान सभा के मुश्तकी पंजाब में डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर रहे थे और लम्बे समय तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी रहे। वे एक अनुभवी विधायक, एक योग्य प्रशासक और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बहिन करतार देवी जो कई मर्तबा हरियाणा प्रदेश की मंत्री परिषद को शोभायमान करती रही, आज वे हमारे बीच मे नहीं हैं, यह सदन उनकी कमी महसूस करता हे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायिका एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया हे। मैं अपनी और अपनी

पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय. श्री बलदेव तायल वर्ष 1977 में इस विधान सभा के विधायक रहे और मंत्री भी रहे थे। एक अच्छे योग्य प्रशासक के तौर पर उन्होने हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा की। उनके निधन से राज्य एक विधायक और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। ठाकुर मंगल सिंह. तत्कालीन पैप्सू विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करता हूं। उन्होंने पैप्सू में अपनी पहचान कायम की थी। पैप्सू के पंजाब में मर्ज होने के बाद भी वे राजनीति में सक्रिय रहे। उनके निधन से देश एक विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों ने जंगे आजादी की लड़ाई में अपने जीवन की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई और आज हमें सुख की सांस लेने का अवसर प्रदान किया। उन शहीदो के नामों का उल्लेख मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी जुबान से किया है। शोक प्रस्ताव की इस पुस्तक में जिनके नाम अंकित हैं मैं उनको शत् शत् नमन करता हूं और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति

मैं अपनी तरफ से ओर अपनी पार्टी की तरफ से' हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमे शहीदों के प्रति नाज है। हरियाणा के शहीदों ने अपनी शहादत देकर विश्व के मानचित्र में अपना नाम और हरियाणा का नाम उज्ज्वल करने में अहम भूमिका निभाई है। इस शोक प्रस्ताव में जिनके नाम अंकित हैं और मुख्यमंत्री जी ने जिनका उल्लेख किया है, उन सभी शहीदों के निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करता हूं और दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारो के सदस्यों के प्रति हम हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सांसद श्री शादी लाल बत्रा के भाई भी नरेन्द्र बत्रा, विधायक श्री अशोक अरोड़ा के भाई श्री रमेश कुमार अरोड़ा, विधायक श्री मामू राम गोंदर की पत्नी श्रीमती बिमला देवी, पूर्व सांसद श्री किशन सिंह सांगवान के भाई श्री कुलदीप सिंह सागवान, पूर्व विधायक श्रीमती मीना मंडल के जेठ श्री कर्मजीत सिंह तथा पूर्व विधायक श्री करण सिंह दलाल के भाई श्री ब्रह्म चन्द दलाल के निधन पर शोक प्रकट करता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस संसार में जो आता है वह जाता जरूर है। कहा भी हे ''यद द्रष्टम तद् नष्टम''। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ससार में

आने के बाद अपने कामो से अपना नाम पैदा करते हैं। वे अपना और मेरा से हटकर समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग पिछले सदन से लेकर इस सदन के दौरान इस संसार को छोड़कर चले गए। यह सदन दिवगतो के प्रति शोक प्रकट कर रहा है। श्री हरचरण सिंह बराड, हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल का जन्म 21 जनवरी, 1922 को हुआ। वे संयुक्त पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। वे कई बार पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। वे पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। ये हरियाणा और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राव बीरेन्द्र सिंह हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री संयुक्त पंजाब विधान परिषद के भी सदस्य रहे। वे कई बार हरियाणा विधान सभा के लिए भी चुने गए। उन्होने मुख्यमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। वे कई बार लोक सभा के लिए भी चुने गए। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, वाई.एस. राजशेखर रेडी, आध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हैलीकाप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके दु:खद और असामयिक निधन पर मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करता हू तथा दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री शेर सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 18 सितम्बर, 1917 को हुआ। वे 1948–52 के दौरान संयुक्त पंजाब विधान सभा में संसदीय सचिव रहे। वे 1946–62 के दौरान संयुक्त पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए तथा 1956–57 के दौरान मंत्री रहे। वे 1962 मे संयुक्त पंजाब विधान परिषद के सदस्य चुने गए। वे 1967, 1971 तथा 1977 में लोक सभा के लिए चुने गए। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। श्री सरूप सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष के निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करता हूं। वे 1954–1962 के दौरान संयुक्त पंजाब विधान सभा में उपाध्यक्ष रहे। वे 1968 तथा 1972 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वे 1970– 72 के दौरान मंत्री रहे। वे 1973 – 1977 के दौरान हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। में अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती करतार देवी के 16 अगस्त, 2009 को हुए आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उनका जन्म 5 मार्च, 1943 को हुआ। वह 1982, 1991, 1996 और 2006 मे हरियाणा विधान सभा के लिए चुनी गई। उन्होंने कई मंत्री पदो को भी सुशोभित किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायिका एव योग्य प्रशासक की सेवाओ से वंचित हो गया हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, में अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री बलदेव तायल के 6 अक्तूबर, 2009 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 24 फरवरी, 1931 को हुआ। वह 1977 मे हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये तथा मंत्री बने। उन्होने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी कार्य किये।

उनके निधन से राज्य एक विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार कै सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से तत्कालीन पैप्सू विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य ठाकुर मंगल सिंह के 24 अक्तूबर, 2009 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 10 नवम्बर, 1922 को हुआ। वह 1954 में पैप्सू विधान सभा के सदस्य चुने गए। उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष मे बहुमूल्य योगदान दिया। उन्हीं स्वंतत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से आज हम आजाद हैं और आज हम इस सदन मे बैठकर चर्चा कर रहे हैं। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं:–

1 श्री उमराव सिंह, गांव अगियार, जिला महेन्द्रगढ।

2. श्री राम किशन, गांव कुतबपुर, जिला कैथल।

3. श्री शेर सिंह, गांव बेरला, जिला भिवानी।

4. श्री सोहन लाल, गांव गढ़ी छाजू, जिला पानीपत।

5. श्री राज कुमार, अम्बाला।

6. श्री रोहताश सिंह, गांव चिड़िया, जिला भिवानी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत–शत् नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिको के नाम इस प्रकार है:–

1 पायलट सुनील कुमार, बहादुरगढ़, जिला झज्जर।

2. सूबेदार डालचन्द, गांव ख्वासपुर, जिला गुरुगांव।

3. सूबेदार बिजेन्द्र सिंह, गांव हसन, जिला भिवानी।

4. नायब सूबेदार नरेश, गांव किशनपुर दामला, जिला यमुनानगर।

5. उप–निरीक्षक जय सिंह, गांव सिहमा, जिला महेन्द्रगढ।

6. हवलदार हवा सिंह, गांव दुबलाना, जिला महेन्द्रगढ़।

7 हवलदार राज कुमार, गांव सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।

8. नायक सुनील, गांव बौंदकला, जिला भिवानी।

9. दफेदार ईश्वर सिंह, गांव खुडाना, जिला महेन्द्रगढ़।

10. दफेदार राजकुमार, गांव निमडी, जिला भिवानी।

11 गनर दलबीर सिंह, गांव बाड़ा, जिला अम्बाला।

12. सिपाही देवेन्द्र सिंह, गांव रजोली, जिला अम्बाला।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् वीरो की शहादत पर उन्हें शत्–शत् नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से सांसद श्री शादी लाल बत्रा के भाई श्री नरेन्द्र बत्रा, विधायक श्री अशोक अरोड़ा के भाई श्री रमेश कुमार अरोड़ा, विधायक श्री मामू राम गोदर की पत्नी श्रीमती बिमला देवी, पूर्व सांसद श्री किशन सिंह सांगवान के भाई श्री कुलदीप सिंह सांगवान, पूर्व विधायक श्रीमती मीना मण्डल के जेठ श्री कर्मजीत र्सिह तथा पूर्व विधायक श्री करण सिंह दलाल के भाई श्री ब्रह्म चन्द दलाल के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself

with the Obituary References made by the Leader of the House Shri Bhupinder Singh Hooda and the feelings expressed by other Members of the House. During the last Session and the present Session many renowned personalities have passed away.

First of all I feel aggrieved on the sad demise of Shri Harcharan Singh Brar, former Governor of Haryana. He remained Member of Joint Punjab Legislative Assembly for two times and of Punjab Legislative Assembly for three times. After serving as Minister, he became Chief Minister of Punjab in 1995. He served the Haryana State as Governor. Besides, he also remained Governor of Orissa. He was a seasoned Legislator and an able Administrator.

I greatly feel sorrow on the sad demise of Rao Birendra Singh, former Chief Minister of our State. He was Member of Joint Punjab Legilsative Council and served as Minister in Punjab State. He was elected to Haryana Vidhan Sabha for three times and he occupied the post of Speaker in 1967. After that he served the State as Chief Minister. He was elected to Lok Sabha for four times and served the nation as Union Minister of various important Departments. He was a veteran parliamentarian and able administrator of high calibre. He was a great leader of south Haryana and he always believed in simple living and high thinking.

Shri Y.S. Rajasekhara Reddy, former Chief Minister of Andhra Pradesh died in a tragic helicopter mishap. He was a well known administrator.

I also feel sorrow on the sad demise of Shri Sher

Singh, former Union Minister. He remained Member of Joint Punjab Legislative Council and Joint Punjab Legislative Assembly. He was elected to Lok Sabha for three times and remained Union Minister of various important departments. He was always eager to work for the development of downtrodden.

I greatly feel sorrow on the sad demise of Shri Saroop Singh, former Speaker of this House. He occupied the post of Deputy Speaker twice in Joint Punjab Legislative Assembly and was elected to this House for two times. He served the State as Minister. in 1977, he became Speaker of this House. He was a seasoned parliamentarian and an able administrator.

I also feel sorrow on the sad demise of Smt. Kartar Devi. She was elected to Haryana Vidhan Sabha for four times and served the State as Minister of various important departments. She was a great social worker and put hard labour for development of weaker sections of the society. She was a well experienced legislator and able administrator.

I feel sorrow on the sad demise of Shri Baldev Tayal, former Minister of Haryana. He was a good legislator and able administrator.

I feel sorrw on the sad demise of Thakur Mangal Singh, former Member of PEPSU Vidhan Sabha.

Besides this, I also feel sorrow on the demise of Freedom Fighters and martyrs of Haryana, the names of which have been mentioned by the Hon' ble Chief Minister. We cannot forget these freedom fighters and martyrs. With the sacrifices of these persons, we got freedom and our boundaries

are well safe-guarded.

I feel sorrow on the sad demise of Shri Narender Batra, brother of Shri Shadi Lal Batra, MP; Shri Ramesh Kumar Arora, brother of Shri Ashok Arora, MLA; Smt. Bimla Devi, wife of Shri Mamu Ram Gonder, MLA; Shri Kuldeep Singh Sangwan,

brother of Shri Kishan Singh Sangwan, former MP; Shri Karamj it Singh, brother-in-law of Sint. Meena Mandal, Ex-MLA and Shri Braham Chand Dalal, brother of Shri Karan Singh Dalai, Ex-MLA.

I pray to Almighty to give peace to these departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(इस समय सदन ने सभी दिवगंत आत्माओ के सम्मान में खडे होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

विश्वास मत

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Chief Minister will move the motion for seeking the vote of confidence of the House.

Chief Minister(Shri Bhupinder Singh Hooda): Sir, I beg to move-

That this House expresses confidence in the Council of Ministers.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House expresses confidence in the Council of Ministers.

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, इससे पहले कि शुरू किया जाये पहले यह फैसला कर लिया जाये कि कैसे चलना है। मैं यह चाहता हूँ कि पहले आप बोल लें, उसके बाद बीजेपी. का सदस्य बोल ले और उसके बाद जवाब आ जाये। इसमें कोई बहुत लम्बा–चौड़ा फर्क नहीं हे।

श्री ओमप्रकाश चौटाला (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? गवर्नर साहब ने 31 अक्तूबर तक आदेश दिया था इसलिए अधिवेशन को लम्बा भी चलाया जा सकता है। यह तो इतिहास बना दिया आपने कि एक ही दिन में सब कुछ कर दिया (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, यह मेरी विनती है। बात यह है कि यह आपके वक्त में भी होता रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह पहली दफा ही हुआ है। यह भी पहली बार ही हुआ है। बहुत सी चीजें हैं जो पहली बार हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने जो विनती की है पहले वह सुन लें। आप अपनी पार्टी की तरफ से 10 मिनट बोलोगे, उसके बाद बीजेपी. वाले अपनी पार्टी की तरफ से बोलेंगे और उसके बाद

मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे। This is the procedure (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज (अंबाला कैंट): अध्यक्ष महोदय, सरकार.. .... क्यों सारे काम को इतनी जल्दी निपटाना चाहती है। यह सरकार मेम्बर्ज साहेबान को समय क्यों नहीं देना चाहती है। सारे काम आज एक ही दिन में क्यों, इतनी जल्दी क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, अभी गवर्नर एड्रैस आयेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे काबिल साथी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना शुरू करे। इन्होंने जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये। दूसरे अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी आपने जो किताब दी है Rules of Procedure and Conduct of Business in Assembly विज साहब तो पहले भी सदस्य रहे हैं और मुझे भी इनके साथ रहने का सौभाग्य मिला है। हम दोनों ने इकट्ठे काम भी किया है। अगर ये उसके चौप्टर 5 के फल 20 को देख ले तो मैं आदरणीय चौटाला जी को भी कहूँगा कि वे भी पढ़ लै और आप भी पद लें। उस रूल में साफ लिखा है कि –

It is written in Rule 20 in Chapter V in the heading of Governor's Address and communications between Governor and Assembly' of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly that-

"20. On such day or days or part of any day. the Assembly shall be at liberty to discuss matter referred to in such Address on a motion of Thanks moved by a member which shall be seconded by another member."

So, you can discuss matter referred to in a day or days or part of any day.

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हम यह कहते हैं कि सदस्यों की ऑथ भी आज, स्पीकर का इलैक्शन भी आज, डिप्टी स्पीकर का इलैक्शन भी आज, गवर्नर का एड्रैस भी आज, गवर्नर का वोट ऑफ थैंक्स भी आज, नो कॉन्फीडैंस भी आज, यह सब कुछ एक दिन मे क्यो? 90 मैम्बर हैं ओर अगर 10– 10 मिनट भी बोलें तो 900 मिनट लगते हैं। यानि 16 घण्टे चाहिएं और आप सारा काम एक मिनट मे ही खत्म करना चाहते हैं। सरकार को डर किस बात का है, सरकार क्यों भागना चाहती है? दो–तीन दिन सैशन चलाते, लोग अपने हलकों से अपनी बात कहने के लिये आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः विज साहब, प्लीज आप बैठिये। ही जी चौटाला जी, आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जो एम.एल.ए. अपनी बात कहता है उसको सुनें, उसको क्रियान्वित करने का काम करे। आप मुझे अलाऊ कर दोगे फिर किसी और को अलाऊ कर दोगे। इस सदन की एक परम्परा है कि लीडर ऑफ दा हाउस तो किसी समय भी इन्टरविन कर सकता है लेकिन एक ट्रैडिशन आप जरूर कायम करें कि कोई भी बीच में खड़ा हो कर इन्टरविन न करे। लीडर ऑफ दा हाउस को अधिकार है He can intervene any time कोई भी बीच में उठ कर खड़ा हो जाये यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत बात है। ऐसा नहीं होगा। आप बोलिए।

श्री ओमप्रकाश चौटालाः मैंने सबसे पहले आपसे एक ही बात कही थी कि ऐसी कौन सी जल्दी है जिससे आप हम पर यह अंकुश लगा रहे हैं कि इतने मिनट के लिए बोलोगे? आखिर कुछ कायदा होता है। सदन के सम्मानित सदस्य सदन से और आपसे मुखातिब होना चाहते हैं जो सदन में जीत कर आए हैं। ....

Mr. Speaker : Nothing to be recorded (interruptions)

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): Speaker Sir, let there be the division of votes. यह तो तभी पता चलना है कि मैज्योरिटी में हैं या माईनोरिटी में हैं। It will be decided that who is in the majority. Speaker Sir, I request you

to go for voting. (interruptions)

Mr. Speaker : Do you accept the request of Hon'ble Chief Minister that let there be voting. (interruptions) Leader of the House is speaking. Leader of the House is on his legs. Would you please allow him. (interruptions) गुर्जर साहब, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। (विघ्न) Gurjar Sahab, this is not the way. Hon'ble Chief Minister is on his legs. Please take your seat. (interruptions) Are you taking any permission? Mr. Gurjar, are you addressing the Chair? (interruptions) This is not the way. I disapprove it. (interruptions)

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः ....

श्री नरेश शर्माः ....

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः ....

श्री नरेश शर्माः ....

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः ....

Mr. Speaker : Nothing to be recorded whatever they are saying.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः गुर्जर साहब, आप तीन बार मेरे साथ ही इस सदन में चुनकर आए हैं आप काफी सीनियर मैम्बर हैं आपको सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आप इस तरह से बात करें तो यह ठीक नहीं हैं। आपको यह शोभा नहीं देता हे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Shri Om Parkash Chautala is on his legs. Let him speak (interruptions) I will hear you later on. (interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, पहले गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन होगी या जो आप कह रहे हैं वह होगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No, we will consider that at the time of discussion on Governor's Address.

ओम प्रक्राश चौटालाः मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि किस कायदे के तहत किस ईशू पर बोला जाए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 21 अगस्त को विधान सभा भंग कर दी गई, इस फैसले के तहत कि नया मैंडेट लेने जा रहे हैं। चुनाव हो गया लेकिन जनता ने मैंडेट नहीं दिया। क्या यह भी मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा कि मैंडेट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सिंगल लाजैस्ट पार्टी को मैंडेट है and the Congress is the single largest party. (शोर एवं व्यवधान) चौटाला साहब, मुझे भी आपसे उम्मीद थी कि आप मेरी बात सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल संयम में रहूंगा, कोई अनर्गल बात नही कहूंगा। मै आपसे एक

प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे तथ्यों पर आधारित बात कहने का अधिकार है या नहीं? मैं अनाधिकार चेष्टा नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपका अधिकार कोई खोस नहीं सकता। Please give me one second. आप कृपया करके लिमिट मे रहकर बोलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, 21 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिसके आप भी एक रूकन थे, विधान सभा भंग की और इस शर्त के साथ भंग की कि हम जनता से नया मेनडेट लेने जा रहे टैं। 13 तारीख को जनता ने वोट डाले और 22 तारीख को रिजल्ट आउट हुआ। स्पीकर महोदय, मैं यही प्रश्न आपसे पूछता हू कि क्या कांग्रेस पार्टी मैजोरिटी के मैम्बर्ज जिताकर लाने मे सफल हुई ?

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, अब आप एक मिनट मेरी बात सुनोगे। Let there be voting and counting just now.

Shri Bhupender Singh Hooda: Agreed. Sir. अध्यक्ष महोदय, आप अभी वोटिंग करवा दीजिए। (Noise and Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सवाल वोटिंग का नहीं है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप वोटिंग करवा दें इसमें दिक्कत क्या है। अध्यक्ष महोदय, आप वोटिंग करके गिनती करा दें क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, डैमोक्रेटिक सैटअप में वोटिंग का अधिकार किसको है? (विघ्न) वोट का अधिकार किसको है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आप वोटिंग करवा दें फैसला हो जाएगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या 40 ज्यादा हैं या 31 ज्यादा हैं। ये मुझे इस बारे में बता दें। अगर ये गिनती चाहते हैं तो आप गिनती करवा दें। ये जनादेश की बात करते हैं तो आप गिनती करवा दें।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप बैठें, मैं जबाव दे रहा हूं। प्राब्लम यह है कि जब आप मुझे भी नहीं सुनते तो फिर आप दूसरे मैम्बर की क्या सुनोगे। You are not hearing me.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के मुताबिक 18 वर्ष की आयु के हर बालिग को वोट का

एक हक हासिल है। लोगों ने अपने मताधिकार से अपने जन प्रतिनिधि चुने हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार को बहुमत मिला है ?

Mr. Speaker : Would you please listen to me? This is not the way. मैं उम्मीद कर रहा था कि आप बहुत बढिया लैजिसलेचर है। मैं तो यह भी उम्मीद कर रहा था कि आप बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, उम्मीद पर दुनिया कायम है।

Mr. Speaker : Would you please listen to me? If, you understand English I repeat it. The Chief Minister moved the motion for seeking vote of confidence of the House? बात यह नहीं हे कि 22 तारीख को क्या हुआ, 23 तारीख को क्या हुआ, पहले क्या हुआ, बात तो इस हाउस की है। आप इस बात पर तो आ नहीं रहे हैं जो कि बहुत अनफोरचुनेट है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब आज नैतिकता की बात कर रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1999 में इन्होंने 22 सदस्यों से सरकार कैसे बना ली थी? 22 ज्यादा हैं या 40 ज्यादा हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, जब तक मेरी बात समाप्त नहीं हो जाती तब तक ये कैसे बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष: आप तो घुमा फिराकर एक ही बात पर आ जाते हो। आपने ऐसी बात घुमायी कि फिर वहीं पर आ गए। मैं आपकी रिसपैक्ट करता हूं। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी बात तो सुनें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, फिर तो आप उस फिरकी से बचे। यह बताएं कि गवर्नर के अभिभाषण के बाद उस पर बहस होती है या उससे पहले और कोई रैजोल्यूशन आ जाता है?

श्री अध्यक्ष: आ जाता है, यह आएगा क्योंकि गवर्नर ने कहा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: यह आएगा तब आएगा न। क्या ऐसी कोई पुरानी ट्रेडीशन है? अगर कोई ट्रेडीशन है तो आप बताएं। आप तो तीन मर्तबा अध्यक्ष रहे हैं

श्री अध्यक्ष: ट्रैडीशन की बात नही है। गवर्नर का ऐड्रैस हो गया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, हाउस तो ट्रैडीशन से चलता है और रूल्स एंड रैगुलेशंज से चलता है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, प्राब्लम यह है कि आप सुनते नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय. कभी ये कहते हैं कि सरकार को हाउस का कांफीडैन्स नहीं है इसलिए चलनी नहीं चाहिए. लेकिन जब हम कहते है कि डिवीजन करवा लीजिए, हम मैजोरिटी साबित करेंगे तो ये कहते हें कि डिवीजन मत करवाईए हम तो गवर्नर ऐड्रैस पर चर्चा करगें। पहले ये फैसला तो कर ले कि ये करना क्या चाहते हैं। इन्होने 1999 में जब सरकार चलाई थी तो उस समय इनके पास केवल 22 सदस्य थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बात क्लीयर करना चाहूंगा कि इस सदन के लीडर को तो यह अधिकार है कि वह कभी भी बीच मे इंटरवीन कर सकते हैं लेकिन क्या कोई भी बीच मे इंटरवीन कर सकता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अगर ऐसी बात है चौटाला साहब तो में खड़ा हो जाता हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः मुख्यमंत्री जी यदि आप खडे हैं तो मैं बैठ जाता हूं। आप बोलिए, मैं बैठ जाता हूं। (शोर एव व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने यह जो जनादेश का सवाल उठाया है, उसके बारे में मैं बताना

चाहुंगा कि प्रजातंत्र में जनादेश का क्या तरीका है। कोई भी विधान सभा है चाहे पार्लियामैंट हे, वहां जनादेश मैजोरिटी होती है। स्पीकर साहब, मैजोरिटी किसकी है यह पता लगाने के लिए आप वोट डलवा लें, यदि हमारे को जनादेश नहीं मिला, मैजोरिटी नहीं मिली तो ये इधर आ जायें और हम उधर आ जाएंगे। इसमें क्या झगड़ा है। ये यह बताएं कि 40 सदस्य ज्यादा हैं या 31 सदस्य ज्यादा हैं। (शोर एवं व्यवधान) 1999 में आपके इनके कितने सदस्य थे, इन्होंने सरकार बनाई थी। (शोर एवं व्यवधान) क्या 22 सदस्यों का कभी जनादेश हुआ है। मैजोरिटी की बात जो ये कहते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वोटिंग करा लें फैसला हो जाएगा कि कौन मेजोरिटी में है?

कई आवाजें: आजादों को आजाद करो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा आप भी आजाद हो। (शोर एवं व्यवधान) पहले तो आप आजाद हो जाओ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: मैं मुख्यमत्री जी की बात का जवाब तो दे सकता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले अपनी पार्टी के सदस्यों को चुप करा लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: मेरी पार्टी से कोई आदमी बगैर मेरी अनुमति के नहीं बोलेगा, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मुझे आप ये बताओ कि यदि इस प्रकार की गलत

परम्पराएं न होती तो इतने एंटी डिफैक्शन बिल कैसे पास होते। मैंने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है कि यह सरकार ''

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। आपके सामने रेजोल्युशन क्या है please confine yourself to that resolution otherwise I do not permit. (Interruptions) You can discuss only resolution. (Interruptions)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इनको अच्छे से मालुम है कि किसकी मैजोरिटी है लेकिन ये तो बात को घुमाना चाहते हैं। आप वोट डलवा दें, फैसला हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने तो अच्छी गरिमा दिखाने के लिए इनको चांस दिया लेकिन इनके लिए इस बात की कोई कदर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन हे कि आप इस पर वोट डलवा लें।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, बात यह है कि मैंने पहले कह दिया था कि आप रेजोल्युशन पर कफाइन करो। आप रिजोल्यूशन पर कफाइन नहीं कर रहे हैं। आप इधर उधर की पुरानी बातें कर रहे हैं। You can discuss only resolution.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर बोलने जा रहा हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसी चेयर पर बैठे हैं इसलिए मैं यह बात सदन पर न छोड़कर आप पर छोड़ता हूं कि क्या यह सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से

जीतकर आई है। मैं आपसे पूछता हूं। हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा इस चेयर पर बैठकर कह दे कि यह सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से जीतकर आई है।

श्री अध्यक्षः बिलकुल जीतकर आई है। (शोर एवं व्यवधान) इसका मतलब चौटाला साहब I will have to proceed further if this kind of behavior of the opposition is going on. I am very sorry to say. I requested you in the very beginning that Chautala Sahib I want your cooperation but unfortunately, I am not getting cooperation even one percent.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ऐसी कौन सी अनर्गल बात हमने कह दी है कि आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आप रिजोल्युशन पर आओ। रिजोल्यूशन जो मूव हुआ हे उस पर आओ। आप आगे चलते ही नहीं है। आपने तो ऐसा गाड्डा चिक्कड में फंसा दिया जो कभी निकल ही नहीं सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मेरी एक सबमिशन है। आदरणीय चौटाला जी द्वारा vote of confidence पर इन्टरवीन करना शोभा नहीं देता। He was not speaking on that matter. सवाल प्रोपराईटी का, क्वैश्चन का या कान्सटीच्यूशन का नहीं है। स्पीकर सर, हम सब मानते हैं कि इलैक्टोरेट अपना फैसला देते हैं उस फैसले के बाद गवर्नर साहब के पास रिपोर्ट जाती है कि किस

पार्टी के कितने एम.एल.एज. चुन कर आये हैं। इसी प्रकार पार्लियामेंट में एम.पीज. के बारे में रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को भेजी जाती है। पिछले कई सालों से पार्लियामेंट में भी ऐसा ही चलता आ रहा है। चाहे एन.डी.ए. की सरकार रही हो चाहे आज की यू.पी.ए. की सरकार हो जिसकी लगातार द्सरी टर्म चल रही है। जो सींगल लार्जेस्ट पार्टी होतीं हें उसको राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। इसलिए गवर्नर साहब ने आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा जी, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, को बुलाया और बुलाकर कहा कि क्योंकि आपकी क्लीयर 40 सीटे हैं और आपकी पार्टी सिंगल लारजैस्ट पार्टी है and you are claiming 6, 7 or 9 others तो उन्होंने कहा कि आप within week मैजोरिटी मूव कीजिए ताकि होर्स ट्रेडिंग न हो सके otherwise मैजोरिटी प्रूव करने में दो, तीन वीक्स ही नहीं बल्कि चार वीक्स भी लग जाते हैं (Interruption) Sir, I am on my legs. कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कानून की बात कर रहा हूं। Speaker Sir, to seek the confidence in the House, two, three or even four weeks भी लग जाते हैं। स्पीकर सर, अब गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री जी को बाउंड किया ताकि horse trading न हो सके। इस किस्म की बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इस प्रकार की बातें पहले सालों में हुई हैं और बहुत अनहैल्थी ट्रेडेशन पड़ी हैं लेकिन present Government ने इसको हैल्थी करने की कोशिश की हे, पूरा प्रयास किया हे इसलिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा पांच साल और मिल रहे हैं ताकि unhealthy traditions बिलकुल खत्म

हो जाए और democratic values के अन्दर लोगो में विश्वास जागे। इसलिए स्पीकर सर, गवर्नर साहब ने भी मेजोरिटी साबित करने के लिए मुख्यमंत्री जी को एक हफ्ते का समय दिया लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनसे भी तेजी की कि एक हफ्ता नहीं क्योंकि हफ्ते में पता नहीं क्या–क्या होगा इसलिए क्यों न ऐसा किया जाए जिससे कोई किसी की leg pulling न कर सके इसलिए within 3 days vote of confidence seek करने के लिए वे आपके पास आ गए। गवर्नर साहब के हुक्म से वे यहां पर vote of confidence seek करने के लिए आये हैं। स्पीकर सर, अब बार– बार आपके सामने इस बारे में सवाल पुट अप किया जा रहा है How can you decide Sir?अगर आप डिसाईड करते तो what is the purpose of these members कि मेजोरिटी है या नहीं? Whether the Government is in majority or not?इसका फैसला तो मैम्बर्ज ही करेंगे? This question is put up to you but Sir, how can you answer? अगर आपके पास यह पॉवर होती कि आप आन्सर करते तो मैम्बर्ज की जरूरत नहीं थी। आप कह देते कि मेजोरिटी है या कह देते कि मेजोरिटी नहीं है। You cannot decide, you cannot speak, you are not a partisan character, you are independent now. इसलिए हाउस के अन्दर तरीका यह होता है कि मोशन मूव हो गया after moving the motion, Leader of the Opposition would say something क्या है या क्या नहीं है, he would say something at the appropriate time, you have given to him. वे सीधा मोशन पर बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद किसी

एक आध मैम्बर को आपने बोलने की इजाजत दी तो वे भी उस पर बोल लें। फिर मुख्यमंत्री जी भी बोल लें। स्पीकर सर. सबसे पहले आज वक्त की डिमाण्ड यह है कि गवर्नमेट के पास मेजोरिटी है या नहीं। बार–बार अखबारों में और दूसरी पार्टियों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सरकार के पास मेजोरिटी है या नहीं। कई अखबारों में तो यह भी दिया जा रहा है कि मैम्बर्ज को फलानी जगह धिकडी जगह भेज दिया गया है। लेकिन सारे मैम्बर्ज आज स्पीकर सर. आपके सामने बैठे हैं। They will decide who is in majority.अगर मुख्यमंत्री जी आज vote of confidence seek seek कर लेते हैं Then he is the Chief Minister.नहीं करते हैं तब तक वे कार्यकारी मुख्यमंत्री ही माने जायेंगे। अगर Confidence seek नहीं कर पाते हैं तो he will quit his seat, that is the question. Speaker Sir. मैं यह कहना चाहूंगा कि propriety यह डिमाण्ड करती है कि जो प्रोसीजर कान्सटीच्यूशन ने हमे दी है जो ट्रेडीशन दी है we should abide by them.

Mr. Speaker : This is what I am saying (Interruption)

श्री ओमप्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिये।

Mr. Speaker : please proceed with your speech if you are to speak.

श्री शेर सिंह बडशामीः स्पीकर सर, ऐसा कोई कानून नहीं है कि सिंगल लारजैस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। ऐसे कई उदाहरण हैं कि लारजैस्ट सूप को बुलाया गया है।

Mr. Speaker: Please take your seat. Your leader is on his legs, allow him to speak, please study the Constitution.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं शेर सिंह बड़शामी की बात से सहमत नहीं हूं। यह गवर्नर के अधिकार क्षेत्र की बात है कि ऐसी परिस्थिति मे उनके पास डिस्किशनरी पावर हैं कि वे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को भी बुला सकते हैं और मैजोरिटी फलोर आफ दि हाउस पर तय करने के लिए भी सदन बुला सकते हैं। हम इस पर अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहेंगें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूगा कि यह तो जगजाहिर है कि यह सरकार माइन्योरिटी की सरकार है (शोर)

Mr. Speaker : This is wrong.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये बार बार यही बात कहते हैं इसलिए वोटिंग करवा लें। Speaker Sir, please ask for voting. I request you again. (Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, 50 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के खिलाफ जीतकर आए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मुझे मजबूरी में वोटिंग की बात करनी पड़ेगी। मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं और आप मेरी प्रार्थना सुन लें would you please listen to me. "That the house express the confidence in the Council of Ministers"-इसी पर आप ने बोलना है लेकिन आपने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसी पर मैं बोल रहा हूं। मैं यही प्रश्न दोहरा कर आपसे पूछ लूं कि क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी माइन्योरिटी में है।

श्री अध्यक्षः कांग्रेस पार्टी माइन्योरिटी में नहीं है। that is not the case. It is the single largest party. Single largest party is to prove the majority. (Interruptions)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी माइन्योरिटी मे है तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी माइन्योरिटी में है या मेजोरिटी में है तो इसका एक ही तरीका है आप वोटिंग करवा लें तो पता चल जाएगा कि कौन माइन्यौरिटी में है और कौन मैजोरिटी मे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या 40 के अलावा 41 वां कोई पंजे के निशान पर जीतकर आया है ये इस बारे मे बता दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ये बता दें कि 30 ज्यादा हैं या 40 ज्यादा हैं। इनकी तो 30 सीटें ही आई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारी 30 नहीं 31 सीटें आई हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष महोदय, चलो इनकी 31 सीटें आई हैं लेकिन 31 ज्यादा हैं या 40 ज्यादा हें।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सदन में 40 की गिनती नहीं बल्कि 50 की गिनती होती हे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इनको गिनती सीखनी पड़ेगी। 31 से ज्यादा 40 होते हैं। हमारी पार्टी की मैजोरिटी है। मैजोरिटी मूव करने के लिए ही राज्यपाल ने हमें बुलाया है और हम यहां मैजोरिटी सिद्ध करने के लिए ही आए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः ये फैसला तो 5 साल में पता नहीं किस वक्त हो जाएगा और यह तो बार बार होता रहेगा लेकिन ये मानकर चलो कि क्या आप 40 के अलावा या वां पंजे पर कोई जीतकर आया है। (शोर एवं व्यवधान) कोई 41 वां खडा होकर कह दे कि मैं पंजे के निशान पर जीतकर आया हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा: अध्यक्ष महोदय, ये बार बार वही बात कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आपने इनको बोलने के लिए बहुत टाइम दे दिया। इनके पास कुछ कहने को नहीं हैं इसलिए वोटिंग करवा ली जाए। ये बार बार माइन्योरिटी और मैजोरिटी की बात कर रहे हें। माइन्योरिटी में कौन है और मैजोरिटी में कौन है इस बात का फैसला ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं इस झगड़े में नही जाना चाहता कि मैजोरिटी किसके साथ है और किसके साथ नहीं हे लेकिन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस हाउस में सबको अपने विचार रखने का अधिकार है या नहीं है और आप उनको अपनी बात रखने का समय देंगे या नहीं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं आज सैशन में आने से पहले मैंने सुबह एक बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि 5–7 एम. एल.एज. को जंजीरों में जकड़ा हुआ हैं। एम. एल.एज. की मैंने शक्ल नहीं देखी लेकिन जिसने उनको जकड़ा हुआ है उसकी शक्ल मैं पहचानता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, विज साहब अपना तुजर्बा बता रहे हैं। एक बार ये इडीपैंडेट जीतकर आए थे उस समय ये यहीं जकड़े रहते थे। इस बारे में मुझे पता है, ये मेरे साथ थे। जब जकड़ कर लाए गए थे मुझे इसका पता है। इसलिए ये अपना तुजर्बा बता रहे हैं।

श्री अनिल विज: अगर ऐसी बात है तो वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि मैंबर्ज की फ्री विल नही होगी। आपको मैंबर्ज को परोपर अपोरचूनीटी देनी चाहिए। You are custodian of our rights. आपको मेम्बर्स को अपोर्चुनीटी देनी चाहिए ताकि वे अपनी फ्री विल व्यक्त कर सके और आजादी के साथ अपनी बात कह सके।

श्री अध्यक्ष: विज साहब मैं आपके साथ 1990 में भी था और आज 1990 को 20 साल हो गये जिस समय आप पहली बार विधायक बनकर आये थे। मैं समझता था कि अब आप की सोच में काफी फर्क पड़ा होगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। (हंसी)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, तब में और अब में फर्क यह पड़ा है कि उस समय आप मुझे अनिल कहते थे और अब विज साहब कहते हो।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, अब आपकी दाढ़ी का ख्याल रखना पड़ता है। Would you please allow me to proceed or I should ask for voting. (interruptions). I say straightway now. Sufficient time has been given. एक घंटा हो गया है। It is not the way. We have to see the majority and the majority can only be seen by voting. अगर आप वोटिंग नहीं होने देंगे तो मैजोरिटी में खड़ा करके गिनती कर लेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप गिनती करवा सकते हैं लेकिन मेरी आपसे अर्ज है कि आप सभी मैंबर्ज को खड़ा करके गिनती करवाये।

श्री अशोक अरोडाः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप मैंबर्ज को खड़ा करके वोटिंग करवायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों ने जो बात उठाई है कि सभी सदस्यों को खड़ा करके गिनती करवाई जाये इस बारे में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मैंबर्ज को विश्वास मत के लिए खड़ा करके गिनती करवा लें।

Mr. Speaker : Question is -

That this House expressed its Confidence in the Council of Ministers.

Shri Om Parkash Chautala : Speaker Sir, we want division.

(After ascertaining the votes of the members of voices, Mr. Speaker announced that "The ayes have it" This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those members who were for "Aye" to rise in their place and on a count having been taken, declared that the motion was carried. 47 votes were in favour of the motion.

(The motion was carried)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, Hon'ble Chief Minister will move motion under Rule 15.

Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, I beg to. move -

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of .the Rule 'Sifting of the Assembly' indefinitely.

(The motion was carried)

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

16.00 बजे

Mr. Speaker : Now, Hon'ble Chief Minister will move motion under Rule 16.

Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, I beg to move -

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

(The motion was carried)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, Hon'ble Chief Minister will move motion under Rule 121. Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, I beg to move -

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the Constitution of the :-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Bakcward Classes, for the remaining period of the year 2009-10 be suspended. Sir, I also beg to move -

That this House Authorises the Speaker, Haryana

Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the remaining period of the year 2009-10, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motioned moved -

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the Constitution of the :-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Bakcward Classes,

For the remaining period of the year 2009-10 be suspended.

and

That this House Authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the remaining period of the year 2009-10, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Question is -

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270

of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the Constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Bakcward Classes,

For the remaining period of the year 2009-10 be suspended.

and

That this House Authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the remaining period of the year 2009-10, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

(The motion was carried)

नियम 10 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, a Member will move the motion under rule 121 to suspend the Rule 10.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I beg to move -

"That provision of Rule 10 of Rules of Procedure and

Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the election of Deputy Speaker."

Mr. Speaker : Motion moved-

"That provision of Rule 10 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the election of Deputy Speaker."

Mr. Speaker : Question is-

"That provision of Rule 10 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the election of Deputy Speaker."

(The motion was carried)

सदन की मेज पर रखे गये / पुन रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker : Now, the Hon 'ble Chief Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, I beg to re-lay on the Table-

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 7/Const./Art. 320/2009, dated the 18th March, 2009 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table-

The Annual Report- 2008-09 (1.4.2008 to 31.3.2009) of Lokayukta, Haryana, as required under section 17(4) of the Haryana Lokayukta Act, 2002.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on Governor's Address will take place. Shri Sampat Singh, M.L.A. may move his motion.

श्री सम्पत सिंह (नलवा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ –

कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाये –

'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होने आज 28 अक्तूबर, 2009 को 2.00 बजे मध्याहन पश्चात इस सदन में देने की कृपा की है।''

स्पीकर सर, मैं राज्यपाल महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने सरकार की आगे के लिए नीतियों का और सरकार के विजन और इमेजिन बहुत संक्षिप्त शब्दों में पेश किया है। जिनको हम बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित कह सकते हैं। चुनाव के बाद यह पहला अधिवेशन है यह परम्परा रही है कि गवर्नमैंट आने वाले साल के लिए अपना विजन रखती है कि लोगों के लिए यह

सरकार क्या करेगी? क्रैश मैंडेट लेने के बाद आज सरकार का पहला दिन है और पहले दिन लोग यही उम्मीद करते हैं कि सरकार का प्रदेश के लोगों के लिए विजन पेपर क्या है? स्पीकर सर, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जो बात कही गई है वह यह है कि लोकतंत्र में इस चुनाव में लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है वह उल्लेखनीय है। स्पीकर सर, आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, दुर्भाग्यवश बहुत से लोग चुनाव में वोट नहीं डालते थे, चुनाव में अपनी हिस्सेदारी नहीं करते थे। इस बार लोगों ने रिकॉर्डतोड़ पोलिंग की है। किस–किस के हाथ में क्या आया जो मैंडेट आ चुका है। सबको मालूम है कि किसके कितने कैंडिडेट जीते हैं। कितना–कितना वोट परसैटेज किसको मिला है। प्रजातंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती रही वह यह है कि 18 साल के नौजवानों को जो वोट का अधिकार दिया गया है और यही लोकतंत्र की सबसे पहली सीढी है। यह अधिकार भी कांग्रेस सरकार ने ही दिया था। लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बदी है। इसी तरह से शिक्षा में बढौतरी हुई है इसकी वजह से उनकी भागीदारी बडी है। अध्यक्ष महोदय, राजनीति पर से लोगों का विश्वास उठ गया था। बहुत से लोग राजनीतिज्ञो के प्रति इनडिफ्रैंट एटीच्यूड रखने लगे थे। लोग ऑन टी, ऑन लंच, ऑन डिनर ड्राइंगरूम पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते थे, लेकिन वोट डालते वक्त लाईन में लगना वे अपनी हतक समझते थे। उनकी सोच थी कि वोट डालने जायेंगे तो हमें लाईन में लगना पड़ेगा। वे अपने आपको सुपीरियर समझते थे लेकिन अब उनको भी समझ

में आ गया है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो सबको एक ही वोट देने का अधिकार है, सबको इक्वल वोट का अधिकार है। अब यह वोटिंग इनक्रीज हुई ३। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी भी इसको कम मानता हूँ, यह 96—98 परसैंट तक होनी चाहिए। 2—3 परसैंट की गर्मी तो हन मान लेते हैं क्यों मान लेते हैं कि जब लिस्ट बनी है उस दौरान और इलैक्शन के बीच में 2—3 परसैंट लोगों की तो मौत भी हो सकती है, या हजारों में से 1 —2 परसैंट आदमी विदेश जा सकते हें। तो हम पोलिंग इन्शोर करें, हम यहाँ पर संतुष्ट न हों। हम ऐसी परम्परा डालें, ऐसी राजनीति को स्वच्छ करें ताकि जनता का जो खोया हुआ विश्वास है उसे वापीस लाया जा सके हालाँकि काफी हद तक वह वापीस आया है। 5 साल में कांग्रेस सरकार की जो वर्किंग रही है और विशेष करके यू.पी.ए. सरकार की जो सैकिंड टर्म की वर्किंग रही है इससे लोगो में विश्वास जगा है इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि चाहे अपोजिशन के लोग हैं, चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हैं, चाहे डिफरैंट एरिया या डिफरैंट वर्ग के लोग है और चाहे मीडिया के लोग हैं, हम सब इसमें सहयोग करें। मीडिया तो हमेंशा ट्राई करता है और मैंने देखा है कि लोकसभा और इन विधान सभा के चुनावों से पहले मीडिया ने काफी ट्राई किया है कि हमें वोट के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है वे भी हमें एजुकेट करने के लिए रैली निकालते हैं कि हमें अपना वोट डालना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर हम सभी

वोट डालेंगे तो ही हम मनचाही सरकार चुन सकेंगे। अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी बात पर चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय, सरकार को बदलने की या सरकार को बनाने की, उसकी नीतियों पर मोहर लगाने की या उसकी नीतियों को रिजैक्ट करने की वोट सबसे पहली सीढ़ी होती है। स्पीकर सर, इस बात के लिए मैं इस हरियाणा सरकार को विशेषकर इस सरकार के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को मुबारिकबाद देता हूं कि इन्होंने और इनके लोगों ने लोगों में राजनैतिक विश्वास पैदा किया और उसी राजनैतिक विश्वास की वजह सेलोगों क्य जो एडामैंट एटिच्यूड था वह खत्म हो गया और लोगों ने वोट डालने शुरू किए हैं और I wish हम आगे भी सभी मिलकर प्रयास करेंगे ताकि लोग nearly 100% जो मौके पर हैं और alive हैं वोट डालें। अगर ऐसा होगा तो ही एक हैल्दी परम्परा पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, गर्वनर महोदय के एड्रैस में कहा गया है कि इस सरकार की उपलब्धियों के आधार पर ही नया जनादेश प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप भी और बहुत से दूसरे पुराने सदस्य तथा कुछ नए सदस्य इस सदन में चुनकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमेशा से यह परम्परा रही है कि जिस भी पार्टी की सरकार थम्पिंग मैज्योरीटी से आती है, उसकी फेवर में जबरदस्त वोटिंग होती है। जब उस सरकार के पांच साल पूरे हो जाते हैं और दोबारा से वोटिंग होती है तो उस सरकार को दोबारा से अढ़ाई का आकडा पूरा करना मुश्किल हो जाता है। 1972 के इलैक्शन को छोड़ कर आप चाहे कोई भी पुराना

इतिहास उठाकर देख लें, चाहें तो लेटैस्ट दो–तीन सरकारो का इतिहास उठाकर देख लें उस समय तक लोगों में पोलिटिकल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि एक बार जिस भी पार्टी की सरकार मैंज्योरिटी में आई, अगली दफा उस पार्टी की सीटें 8, 9 या below 10 सीटें ही रह गई। किसी ने भी अढ़ाई का आकड़ा पार नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मौजूदा सरकार को बधाई देता हूं कि लोगों ने इन में इतना विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस पार्टी को 40 सीट्स मिली हैं और यह रिकार्ड की बात है। अब seven other independents and BSP के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री को अपना समर्थन दिया है। इनके समर्थन से कांग्रेस की सरकार ने सदन में मैंडेट साबित कर दिया है। मैं मानता हूं कि इनके लिए इस बार बहुत से चौलेंजिज हैं, स्टेट के लोगों को इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी उनकी आकांक्षाएं हैं जो अभी तक अधूरी हैं, जिनको इन्हें पूरा करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आने बाले इन पांच सालों में उनको भी पूरा करेगी। मुझे उम्मीद है कि लोगों ने जो इस सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है, यह सरकार उस विश्वास पर खरा उतरेगी और यह जो 40 का आकड़ा है वह 50, 60 या 70 तक जा सके। It is up to the voters and achievements of the Government. ये जो सीट्स मिली हैं यह गवर्नमैंट की अचीवमैंटस पर मोहर लगी है। अध्यक्ष महोदय, सदन में बार बार वोट की परसेंटेज के बारे में बात हो रही थी तो मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि कई बार 1% वोट से भी आकडे बदल जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 1996 के वोट

परसेंटेज के आकड़े हैं। उस वक्त चौधरी बंसी लाल जी HVP में थे। उस वक्त उनको 22.68% वोट मिले थे और उस वक्त उनको 35 सीट्स मिली थी और एस.जे.पी. के वोट परसैटेज में 1% का फर्क था और उनकी 24 सीट्स आई थीं। मेरे कहने का मतलब है कि 1% वोट पर काफी फर्क पड़ जाता है। सवाल परसैटेज का नहीं, सवाल सीट्स का है। अब देखें में INLD में रहा हूं और उसका शिकार भी रहा हूं। किसी भी पार्टी का राज होने से लोगों में उस पार्टी के प्रति नाराजगी हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि मौजूदा सरकार को जितनी भी बधाई दी जाए उतनी ही कम है क्योंकि लोगों में इनके प्रति नाराजगी नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि डिविजन ऑफ वोटस हुआ है और इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कैसे हुआ है। सर, कांग्रेस पार्टी में से एक पार्टी निकली और वह अलग हुई और उसका नाम हरियाणा जनहित कांग्रेस रखा गया है। अगर हम 2005 के कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत को लें तो वह 42.05% था ओर इस बार का 35.07% है। 2005 में HJC पार्टी नहीं थी और HJC पार्टी इस बार कांग्रेस पार्टी में से ही निकलकर आई है। जब 2005 में असैम्बली का इलैक्शन हुआ था तो उस समय ये लोग भी कांग्रेस में ही थे। Their votes were included in those votes in the 42.5%. Now they have got 7.45%. Sir, if it includes 35.07% then it amounts 43.55%. It means कि जो वोटस हैं वह बढ़े हैं। सिर्फ एक बात पर वह आउटफिट कांग्रेस पार्टी से निकल गयी जिसकी वजह से यह वोट परसैंटेज 35.07 रहा है लेकिन अगर

उनकी वोट परसैंटेज भी इसमें मिला लें तो यह यही 43.55 परसैंट ही आ जाते है। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः स्पीकर साहब, मैं प्रोफेसर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Gurjar Sahib, are you speaking with my permission or free for all? No, no. I have not permitted you. Is it the way ? You should get the permission from me. (Interruptions) Nothing is to be recorded.

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः स्पीकर साहब, ...

Shri Sampat Singh : Speaker Sir, that was mandate for Government of India and this is the mandate for Haryana Government. वह एक सैपरेट इलैसान था और यह एक सैपरेट इलैश्न है। मैं यही कह रहा हूं कि जो वे अलग हुए हैं तो इस बात का ही वोट परसैटेज पर असर हुआ है। वे अब कांग्रेस पार्टी से निकल चुके हैं और एक चुनाव में ही इसका असर रहता है। अब मुख्यमंत्री जी या उनकी जो आगे कैबिनेट होगी उनकी परफोरमैन्स देखी जाएगी। स्पीकर सर, मैं अब यही कह रहा हूं कि अब इनको और ज्यादा प्रफोर्म करना है, और ज्यादा लोगों में विश्वास पैदा करना है क्योंकि 1972 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वही पार्टी और वही लीडर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं और हरियाणा में हिस्ट्री साबित कर रहे हैं। स्पीकर सर, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो एक ऐसा जमाना भी था जब 2004 में आईएनएलडी. और बीजेपी. दोनों मिलकर 42 प्यायंट समर्थिंग

वोट लेकर आए थे। स्पीकर सर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? उनके पिछली चुनाव में 27 परसैंट और इस बार के चुनाव में 26 परसैंट वोट अपोजीशन में होते हुए आए हैं। कभी भी किसी पार्टी के वोट अपोजीशन में रहते हुए गिरते नहीं है। स्पीकर साहब, यह भी अपने आप में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी के अपोजीशन में रहकर भी वोट घटते जा रहे है। सीट का आकडा एक अलग बात है लेकिन अगर आप वोट परसैटेज देखेंगे तो इनका एक परसैंट वोट डाउन हुआ है। यह सरकार भी पहली बार रिपीट हुई है और अपोजीशन के बारे में भी यह पहली बार हुआ है कि एक परसैंट वोट फर्दर डाउन हो गया है। इसलिए स्पीकर सर, जहा तक मेंडेट की बात है, यह मेंडेट कांग्रेस पार्टी के हक मे गया है। मेरे साथी ने चलते चलते मेरा जिक्र कर दिया था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे से तो इनको फायदा ही हुआ है क्योकि my then leader said कि ये गए हैं अच्छी बात है हमें कोई नुक्सान नहीं होता क्योंकि कोई कार्यकर्ता जाता है तो नुक्सान होता हे नेता के जाने से नुक्सान नहीं होता। इसलिए मेरे जाने से तो इनको फायदा ही हुआ है क्यौंकि ये सीट भी लेकर आए हैं। उचाना में भी इनको काफी फायदा हुआ है हालांकि जिस सीट पर मैंने 32500 की लीड ली थी उस सीट पर चौटाला साहब जैसे तैसे 500–600 वोट की लीड लेकर किनारे पर पहुंचे हैं। सर, इसलिए मैं अपने असर के बारे में नहीं कहना चाहता। मेरा कोई असर नहीं है। मेरा उकलाना में भी और बरवाला में भी असर नहीं हुआ हे जहा मैं 22–22 या 23–23 हजार वोटों से जीतकर आया था। मेरा

असर नहीं है वहा पर इनकी अपनी मेहनत हे इनकी वजह ‘से इनको सीट मिली हैं, मैं तो अब कांग्रेस पार्टी में हूं। कांग्रेस पार्टी के नाते मुझे लोगों ने वोट दिए हैं। स्पीकर साहब, यह भी कांग्रेस पार्टी में पहली बार हो रहा है कि 42 साल के बाद जो सीट एक ही परिवार की सीट रही, कोई दूसरा वहा से जीतकर नहीं आ सका, वहा भी कांग्रेस पाटी का कंडीडेट पहली बार जीतकर आया है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहा से 11 हजार के हैंडसम मार्जन से पहली बार कांग्रेस का कैडीडेट जीतकर आया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी चीजे ऐसी हो रही हैं जो पहली बार बढ़िया होने लग रही हैं। स्पीकर साहब, अब आगे भी ये चीजें और बढ़िया होंगी। (विघ्न) स्पीकर सर, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो मेरी तरफ से कोई कंडीशन नहीं थी। आपने अखबारों में भी मेरे बयान देखे होंगे जिनमें मैंने कहा था कि मैं तो नर्सरी क्लास में दाखिल हुआ हूं इसलिए अब तो हैड मास्टर या मास्टर की मर्जी है कि वह दो क्लास इकट्टी करवाए या चार क्लास इकट्ठी करवाए। मैं तो नर्सरी में दाखिल हुआ था। मैं कांग्रेस पार्टी का विशेषकर कांग्रेस प्रैसीडैंट श्रीमती सोनिया गली जी का, कांग्रेस सैंट्रल इलैक्शन कमेटी का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रैसीडैंट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंनें मेरे में विश्वास व्यक्त किया कि मैं कांग्रेस के लिए एक नये बने हुए हल्के से सेवा करूं। मैं वोटर्स का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और उसके बाद उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वोट दिया और

मुझे बाइज्जत मैंबर बनाया। साथ ही मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं। जब मैंने पार्टी छोडी उस टाइम भी बहुत से वयान आये थे, लेकिन मैं उन बयानों में नहीं जाना चाहूंगा। एक तो उस समय यह कहा था कि संपत सिंह हमें छोड़कर शमशान घाट तो जा सकते हैं लेकिन विधान सभा में नहीं पहुंच सकते। इस पर मैंने वोटर्स से ही पूछा कि मुझे वोट देकर जिताकर विधान सभा भेजना चाहते हैं या शमशान घाट में भेजना चाहते हैं। Speaker Sir, I am very thankful to the voters, otherwise I would have in the cremation ground. ये पोजीशन होती। दूसरी भी कई बातें हैं जो कि कही गई थीं। वैसे इनको इतनी बाते नहीं कहनी चाहिए थीं। वही बातें कहनी चाहिएं जो कि आदमी के अपने वश में हों। कुछ चीजें इलैक्टोरेट्स के वश में हैं, कुछ चीजे जनता के वश में हैं। (विघ्न) बहन जी, आप ठीक कहती हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनका बाद में डाऊन– फाल होता है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि यदि संपत सिंह चुनकर विधान सभा मे पहुंच गया तो हम राजनीति दो संन्यास ले लेंगे। मैं तो नहीं कहूंगा कि संन्यास लें। ये खुद उनकी मर्जी है कि वे संन्यास लें या न ले। ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बातें नहीं हैं। मैं तो साधारण से मैंबर के रूप में आया हूं और इसके लिए मैं पार्टी का और अपने क्षेत्र के वोटर्स का बहुत आभारी हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे इज्जत दी है उसके लिए मैं पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का तहदिल से आभारी हूं। मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। मैं कोई कैबिनेट का भूखा नहीं हूं।

मैंने तो पार्टी से और मुख्यमंत्री जी से यह भी कहा था कि मैं पार्टी के अन्दर संगठन में भी काम करने को तैयार हूं। मैं पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे कोई असेम्बली की सीट की जरूरत नहीं है। Congress Party is kind enough. पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मुझे जीता भी दिया, यही काफी है। आज भी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अब मैं बचा हुआ समय पब्लिक की सेवा और कांग्रेस पार्टी की सेवा मे लगाना चाहता हूं। मेरी डयूटी पार्टी की ओर से जहां लगाई जाएगी, वहां मैं सेवा करने को तैयार हूं। यह पार्टी की मर्जी है कि वे मेरी डयूटी कही लगाते हैं। It is the party to decide. एक जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति में बदलाव आया है। Unfortunately, for the last some years, हरियाणा और उसके साइड में पंजाब है, उसके बारे में मैं कुछ कमैंट्स तो नहीं करना चाहता। ये ब्रदर्ली स्टेटस हैं और पिछले दिनों अनफार्चुनेटली यहां पर टेरिबल पौलिटिक्स चलती रही। एक समय जो इतनी संभ्रांत स्टेट रहीं, उनमें पर कैपिटा इंकम के मामले में गोवा के बाद हरियाणा प्रदेश फर्स्ट नंबर पर आ गया और साथ लगती ऐग्रीकल्चरल स्टेट पंजाब जहां के इतने प्रोग्रेसिव फार्मर्ज, इतनी ऐजूकेशन और इतने सारे एन.आर.आईज के होते हुए पॉलिटिक्स में इतनी मारधाड़, इतनी अशांति है कि वहां कई बार आदमी अचानक रात को सोते-सोते चौंक कर खड़े हो जाते हैं। वहां इस किस्म की बातें आती हैं तो यह कोई हैल्दी चीज नहीं है। These are not healthy things. हैल्दी वही चीज होती है कि हर आदमी आप में विश्वास रखे कि यह जो मौजूदा

सरकार है वह तुम्हारी हर प्रकार से सुरक्षा करेगी, तुम्हें इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कोई भी ऐसी ओछी भावना न रखे कि मैं जीतकर आया हूं और मेरे सामने वाला चुनाव हार गया। अब यह भावना रखें कि हरियाणा सरकार है हम लोग यहां चुनकर आए हैं तो पार्टी विशेष का नाम न लेकर यह कहें कि यह सिरसा एम.एल.ए. है, हिसार एम.एल.ए. है। हम एम.एल.ए. कहलाएंगे। पार्टी नहीं कहलाएंगे। हमें पार्टिज्म करैक्टर छोड़कर विकास की तरफ ध्यान देना होगा तभी प्रदेश का विकास हो सकता है। ऐसा माहौल मौजूदा सरकार ने पैदा किया है इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं। जहां राजनीतिक द्वेष चलते हैं, जहां राजनीतिक विरोधियों को जेलों में डाला जाता है, जहां राजनीतिक विरोधियों को यातनाएं दी जाती है। यह सारी चीजें आज इस सरकार के समय में खत्म हुई हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूं। माहौल मे ऐसी बातें होनी भी नहीं चाहिए। गवर्नमैंट तो कभी भी किसी की भी आ सकती है क्योंकि मैंडेट तो पब्लिक देती है लेकिन जो राजनीति के मीनिंग बदले हैं, जो मायने बदले हैं, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को और हुड्डा जी को जितनी बधाई दूं, उतनी कम है। इसी तरीके से स्पीकर सर, विकास के कामों की जहां बात आती है, विकास के मामले में हरियाणा प्रदेश को गति देने का काम किया गया है। आज हमें क्या चाहिए, डिवैल्पमैंट के लिए विकास के लिए हमें क्या चाहिए, इन्वैस्टमैंट के लिए क्या चाहिए। स्पीकर सर, हमारा इन्फ्रास्ट्रस्चर बढिया है। स्पीकर सर. अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्वर बढिया हे तो सब

कुछ अपने आप आयेगा। आपको कहीं से बोरो करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इरीगेशन, बिजली का प्रबन्ध अच्छा है, अगर आपका रोड्ज का प्रबन्ध अच्छा है, अगर आपका ट्रान्सपोर्ट का प्रबन्ध अच्छा है, आपन हैल्थ और एजूकेशन सर्विसिज अच्छी दे रखी हैं, सोशल सिक्योरिटी आपने अच्छी दे रखी है, सोशल जस्टिस आपने दे रखा है तो स्पीकर सर, ओबियसली अपने आप इन्वेस्टमैंट आपके पास आयेगी। अगर आपको फियर है और आपका ली एण्ड ऑर्डर ठीक नहीं है तो कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट आपके पास नहीं आयेगा, कोई आपके पास यहां आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। यही चीजें चाहिएं और इन्हीं चीजों पर मौजूदा गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है। गवर्नर महोदय द्वारा जो विजन पेपर रखा गया है उस में भी यही चीजें दर्शायी गई हैं। इन्हीं चीजों पर जोर दिया गया है। ये चीजें जब अच्छी होंगी तो स्वाभाविक है कि इन्वैस्टमेट अपने आप आयेगी। जब इन्वेस्टमैंट आयेगी तो आपके पास टैक्सिज आयेंगे, आपके पास इम्प्लायमँट आयेगी, आपकी स्टेट की ग्रोथ होगी और वह भी सारी स्टेट की इक्वल ग्रोथ होगी। आज अगर हम मैंडेट देखते हैं तो इस मैंडेट में सोसायटी के हर सैक्शन से ओर हरियाणा प्रदेश के हर रीजन से कांग्रेस पार्टी को मत मिला है, स्पीकर सर, इससे यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वह सारे प्रदेश के लिए किया है। बातें तरह–तरह की उठती रही हैं कोई रीजन की बात करता है कोई किसी चीज की बात करता है। अगर यही बात होती जो हर रीजन से मैंडेट न मिलता। हर

रीजन में मैंडेट मिला है, सोसायटी के हर सैक्शन ने वोट दिया है। चाहे वह शहर का था चाहे वह देहात का था, चाहे वह गरीब एरिया था चाहे वह संभ्रान्त एरिया था, चाहे वह किसी जाति विशेष से संबंधित था, चाहे किसी धर्म विशेष से संबंधित था, सारे हरियाणा प्रदेश ने एक बहुत अच्छा मैंटेड दिया है। सारे एरिया का मैंडेट मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस नेतृत्व को मिला है। स्पीकर सर, इसी तरीके से सरकार सड़कों को बनाने की तैयारी कर रही है क्योंकि सड़के बहुत जरूरी हैं। इनको जितना ज्यादा बढ़ावा दिया जाए वह अच्छा है। ओवरब्रिजिज की जहां तक बात है, ओवरब्रिजिज तो मुश्किल से पांच साल में एक आध ही बनाया जाता था। लेकिन पिछले दिनों ओवरब्रिजिज की झडिया लग गई थीं हालांकि लोग ओबस्टैकल के लिए ऐतराज करते थे। स्पीकर सर, जब ओवरब्रिजिज बनायेंगे तो ओबवियसली ओबस्टैकल तो होगी ही। अगर कहीं पर तीन–चार पुल बनाये जाने का काम चल रहा है, कहीं सीवरेज बनाने का काम चल रहा है, कहीं रोड्ज बनाने का काम चल रहा है, कहीं इरीगेशन का काम चल रहा है और कहीं पावर के वर्क्स चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हर्डलज तो आयेंगी ही लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो सुहाना रिजल्ट आता है। स्पीकर सर, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमने जो पांच साल में हैल्दी पोलिटिकल सिस्टम शुरू किया है वह बहुत अच्छा है। हैल्दी पोलिटिकल और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वे जो चेंजिज लेकर आये हैं वह हमारी कन्टीन्यू रहे और फरदर इम्प्रूव हो जाये तो बहुत अच्छा

रहेगा। गवर्नर साहब ने भी अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है। स्पीकर सर, आज सबसे ज्यादा अहमियत यूथ की है। इसलिए यूथ के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा इस सरकार की है। यूथ के लिए यूथ वैल्फेयर, स्पोर्टस एण्ड इम्पलायमेंट जैसी चीजों की तरफ भी हमें ध्यान देना है। वैसे काफी ध्यान दिया भी गया है। स्पोर्टस पोलिसी भी बनाई गई है। बहुत अच्छी स्पोर्टस पोलिसी बनी है पहले भी पोलिसी बनी हुई थी लेकिन इसको और ज्यादा इम्प्रूव करके बढ़िया करके, आज के दिन के हिसाब से उस पोलिसी को बनाया गया हँ। सर, उसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देकर उसको इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि वह at the nick of election के दौरान आई थी। आज टाईम है कि हम उस पर टाईम लगायें ताकि युवा शक्ति इन एक्टिविटीज की तरफ आये। अदरवाईज पहले युवा शक्ति कहां जाती थी? पहले युवा शक्ति को पोलिटिकल लोग यूज किया करते थे। यूज्ड करने के बाद वे डायरेमानलैस हो जाते थे। डायरेमानलैस होने के बाद, सबसे पहले उसको यूज करते थे जो उनका नीयर और डियर होता है उनका नंबर होता है सबसे पहले वह उनका नुक्सान करते हैं। लोग अपने मन के अन्दर सोच लिया करते थे कि हम इनको यूज कर स्वेद हैं ये हमारे काम आयेंगे लेकिन वे काम नहीं आते दो। वे सोसायटी के लिए नासूर बन जाते हैं। जब वे नासूर बन जाते हैं तब भय का वातावरण आ जाता है। स्पीकर सर, जिस तरह की सादगी लाई गई है, मैं चाहता हूं कि और सादगी आये। आज कोई उग्रवाद नहीं है, आज कोई आतंकवाद नहीं है। सादगी

जितनी आये उतनी और अच्छी है। ये नहीं है कि लोग यह देखें कि तमाशा हो रहा है। हूं हां, कूं फा, यह बन्द हो जाए तो अच्छी बात रहती है और मुख्यमंत्री जी ने इनको बन्द भी किया है। अब यह नहीं होता कि सड़क पर कोई गुजरेगा नहीं, कोई साथ से नही गुजरेगा, या जो कोई बिजनेस कर रहे हैं उनको यह डर लगे कि धरती हिल रही है। स्पीकर सर, इन चीजो पर we should check गवर्नमेंट ने अपने आप पर इसको काफी लागू किया है but we should check the citizens of Haryana and others who are entering in the State. उन पर भी हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से जो इस तरह की एक्सट्रा कान्सटीचयूशनल पावर कहते हैं इन पावर्ज को जो यूज किये जा रहे हैं उन पर हमे जबरदस्त कंट्रोल करने की जरूरत है। स्पीकर सर, मैं यूथ वाली बात पर दोबारा आता हूं। मुख्यमंत्री जी ने और मौजूदा सरकार ने अच्छा किया है कि यूथ को जनरल एजूकेशन से प्रोफैशनल एजूकेशन की तरफ लेकर आए हैं और प्रोफैशनल एजूकेशन जरूरी भी है। मेरे पास बीए. फस्ट इयर, सैकिण्ड इयर या फाइनल इयर में पढ़ने वाले बच्चे आते है। मैं उनको पूछता हूं कि आपके कितने परसैंट मार्क्स आ रहे हैं। वे कहते हैं 40 परसैंट तो मैंने उनको कहा कि लीव इट। वे कहते हैं कि ग्रेजूएशन कैसे छोड़ दें क्योंकि साल छह महीने में हमें बीए. की डिग्री मिलने वाली है तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं आप इस डिग्री को छोड़ दो। मैं उनको एडवाइस करता हूं कि आप कोई प्रोफैशनल कॉलेज ज्वाइन कर ले यी आई. टी. आई. में एडमीशन ले लें तो आप कोई कोर्स

कर लेंगे और रोजी रोटी का साधन हो जाएगा। मैं उनको यह भी सलाह देता हूं कि आप पोलीटैक्नीक कालेज में या हैल्थ में या मैनेजमैट में एडमिशन ले लो और you are to become a professional person. अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कालेजिज में जो सीटें बढ़ाई गई हैं उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और साथ में एक सजैशन भी देता हूं कि हमें इसके लिए बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। प्राइवेट कालेजिज में गरीब बच्चों के लिए सीटें रिजर्व करवाई जाएं क्योकि कोर्ट ने आडर्ज कर रखे हैं कि उनके लिए गवर्नमैंट को पे करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इन प्रोफैशनल कालेजिज में गरीब बच्चों के लिए 20 परसैंट, 30 परसैंट या 40 परसैंट सीटें बाय कर ली जाए। गरीब बच्चों को इन प्राइवेट कालेजिज में एडमिशन मिल जाएगा तो वे इंजीनियर बन सकते हैं, डाक्टर बन सकते है, टैक्नीकल पर्सन बन सकते हैं, प्रोफेशनल पर्सन बन सकते हैं और बिजनैसमैन बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय. सरकार को इस तरफ बहुत काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वैल्फेयर आफ यूथ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यूथ के लिए जितनी कल्चरल एक्टीविटीज बढ़ाई जाएं उतना ज्यादा फायदा होगा। आज बहुत ज्यादा ओपरचुनिटीज आ गई हैं। आज सैकड़ों सैंकड़ों चौनल्स आ गए हैं और उन चौनल्ज पर 24 घण्टे प्रोग्राम्स चल रहे हें। इसके लिए मैन पावर चाहिए और यह मैन पावर स्कूलों के, कालेजिज के और यूनिवर्सिटीज के यूथ से निकलकर आती है। अध्यक्ष महोदय, जो भी कल्चरल अकैडमीज बनी हुई हे,

उनको और मजबूत करना होगा। देश को जो मैन पावर चाहिए उसमें हमारी स्टेट का मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्पोर्टस के मामले में वैसे तो हमारी स्टेट ने बहुत काम किया है लेकिन हमें अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारी स्टेट भारत में नम्बर एक स्टेट बनती जा रही है। यूथ अगर इस तरफ जाएगा तो ठीक है वरना यूथ का क्या काम था वही डकैतियां, चोरियां और राजनीतिक लोगो के पीछे घूमना या किसी की अथोराइज्ड तरीके से या अनअथोराज्ड से गाडी चुरा लेना होता था। इन लोगों के अलग अलग जगह गेंग बने हुए हैं। कई कई जगह पर आज से नहीं बल्कि शुरू से ही लोगों की आपस में एनीमिटी चल रही है और उन्होंने अपने अपने 100— 100 गुंडे रखे हुए हैं। कई घरों को मैं जानता हूं जहां 100— 100 आदमी ऐसे ही पड़े रहते हैं और ये लोग केवल रोटी पाड़ने के लिए ही पड़े हुए हैं। ये लोग अपने मालिकों की केवल लाठियां और बन्दुंके उठाते फिरते हैं। ये लोग सोचते हैं रोटी मिल जाती है यानि रोजगार मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आज हमें स्पोर्टस एक्टीविटीज को बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय ने और स्पोर्टस विभाग ने पंचायतों के स्टेडियम्ज बनवाकर बहुत अच्छा काम किया है। इन स्टेडियम्ज में आज मैन पावर्ज की बहुत जरूरत है क्योंकि वे आज खाली पड़े हुए हैं। उन स्टेडियम्ज को यूटीलाइज नहीं किया जा रहा है। इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया अगर हम उनमें मैन पावर नहीं ले जाएंगे तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। जो एक्सपर्टीज और

ट्रेनीज हैं उनको एज ए साइंस माना जाए। Sports should be taken as a science क्योंकि साइंस के बिना हम कम्पीट नहीं कर पाएंगें। अकेला कोच देने से काम नहीं चलेगा कि कोच दे दिया और वही कोच फिजीकल ट्रेनर हो गया, वही कोच साइकोलोजिस्ट हो गया और वही कोच फीजियोथैरिपिस्ट हो गया। बच्चो को ऊपर उठाने के लिए सारे पैरामीटर्ज की तरफ हमें ध्यान देना होगा। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने संक्षिप्त शब्दों में, बहुत अच्छा, सारगर्भित और स्टेट के इंट्रस्ट का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए हम सभी गवर्नर साहब का यूनानीमसली आभार जताते हैं। धन्यवाद।

Shri Kuldip Sharma (Gannaur) : Mr. Speaker Sir, I rise in my seat here to second the motion of thanks moved by the senior member of the House Prof. Sampat Singh. I would also like to encash this opportunity to congratulate the Hon'ble Chief Minister for having secured the confidence vote from the members of the House. In fact, the results of 22nd October had already given a mandate for the continuance of the Government headed by Ch. Bhupinder Singh Hooda and today 47 members, out of the effective strength of 89 members, have supported the motion of vote of confidence. The opposite benches failed to realize that this was a golden opportunity with them to bring about anything which was falling short, any shortcomings and any failings of the Government. They lost it and infact preferred a head count. I would advice them-

यह जन्हरियत–ए–हुकुमत है जिसमे बन्दों को गिना जाता है तोला नहीं जाता

Mr. Speaker Sir, 4½ years ago when Ch. Bhupinder Singh Hooda took over as Chief Minister of the State, Haryana emerged out of the dark age of politics for which became not so famous. Democracy was stifled under the iron feet of brute majority and we saw a regime in which a castists agenda was pursued. Four and half years ago, Haryana emerged out of this dark age and a golden era started under the leadership of

Ch. Bhupinder Singh Hooda. I would borrow the words of Prof. Sampat Singh when he said that there was a change in the political culture, there was a change in the political system and there was a change in vision. Earlier, people pursued the agenda of stifling their opponents by foisting cases upon them. They tried to grab the democracy but we saw that for the last 4½ years, a Government, a Chief Minister who respected his opponents, gave them due respect.' Unfortunately, they were very small in number in the previous House. They tried to raise noise but they could not do anything and for 4½ years the Government under the leadership of Ch. Bhupinder Singh Hooda pursued an agenda of development of the State and its infrastructure. Earlier Governments' people remained Chief Minister four times for several years but they acted with myopic vision. There is nothing towards the infrastructure growth of the State. Lot could have been done in the electricity sector. Nothing was done except putting the name of somebody on the particular Thermal Plant which was constructed by the Congress Government. **I** must thank the Hon'ble Chief Minister that he

has a vision and by his effective governance one plant in Yamuna Nagar is already in production and we hope we will get three more by the end of year 2011. One is coming up probably this November and next in 2010. Haryana is the primary State which is agriculture based but of late we also started developing as an Industrial State because under the leadership of the Chief Minister, the foreign direct investment increased to a great extent and this has happened. (interruptions)

श्री कृष्ण लाल पंवारः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, श्री कुलदीप शर्मा जी ने थर्मल प्लांट बनाने की बात कही है कि यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट लगाया और दूसरे नये प्रोजैक्ट्स लगाये। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि फरीदाबाद थर्मल प्लांट के 1660 मेगावाट के तीन यूनिट्स क्यों बंद कर दिये गये?

Mr. Speaker : It is not the point of order.

श्री कृष्ण लाल पवारः स्पीकर सर, यहां पर प्रोजैक्ट्स लगाने की बात आई है इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि सरकार ने पावर प्लांट लगाने की बजाय फरीदाबाद में स्थापित थर्मल पावर प्लांट की 1650 मेगावाट की तीन यूनिट्स को बंद किया है।

Mr. Speaker : It is not a point of order.

Shri Kuldeep Sharma : Krishan Lal Ji, you have probably come into this House for the third time and you know on what point the point of order can be raised.

श्री कृष्ण लाल पंवार: स्पीकर सर, मैं चौथी बार इस हाऊस का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं इसलिए मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं कि प्यायंट ऑफ ऑर्डर कब रेज किया जाता है।

Shri Kuldeep Sharma : You are not new to this House that's why I said.

Mr. Speaker : Sharmaji, go ahead.

Shri Kuldeep Sharma : I think legislation is a very serious business. We are all here to transact this serious business, not to play the galleries up there. Therefore, I would request you to kindly raise a point of order only if it is made out otherwise the valuable time of this House is unnecssarily wasted. Sir, we did work on agenda of

growth of progress and the Governor's Address. Again I would call it vision document, vision of the Government of Haryana, vision of the Chief Minister and the steps that it would take towards the development of State, a great factor that emerged in the past was that there was industrial exodus from Haryana. Industries were running away.

Everybody knows what were the reasons. I do not to repeat them, It was probably too much of political intervention and arm twisting, industries were deserting. We did create an atmosphere here, congenial to the industry and that is why the foreign direct investment came in Haryana and it increased substantially to the extent would say that about 60,000 crores and probably enough 40,000 dollars in pipeline. With this way, it was a very challenging task, a very

challenging agenda which we have set up last time and we again set up a very challenging agenda. Of course we do not have the same number as we had last time but we have the will. We have a Chief Minister who looks beyond his nose who is making laws, policy for the future generation. He is not going to be here for all times to come, nobody is going to be here for all times to come but our children are going to be here, our children are going to be Haryanavis, they have to have education and they have to have industry, they have to have power, they have to have sports infrastucture, they have to have proper education and they have to have village development. Therefore, we are not laying stress on a particular feet. Our stress is alround infrastructural growth that's why we call Mr. Hooda— Haryana Overall Development Authority. That is the name we call. But In agriculture sector, fortunately Mr. Speaker you have been the Minister for Agriculture for quite some time here. We have one Agriculture University in Hissar which because of political intervention stress became a game house of politicians, favoured people were being appointed as deans and dons. The research work went into the background and that is why in comparison to other Agriculture University, Haryana Agriculture University could not take off. As far as Agriculture feet is concerned, we have to do a lot of research and lot of money, and we should go into the research so that farmers can get good breed of animals, good seeds, good fertilizer, better water management and so on. Similarly Sir, the Government has set up an agenda for loan waiver for those who are daily wage workers dastkars, who belong to the backward classes. So, for them we have come up in our election manifesto also and also in this vision document that we will be waiving off their loan to the extent of

Rs. 10,000/- as well as the interest thereon. Another field in which we are laying stress is the health and health education. For both, a lot of funds are being infused by the Government and it is all a challenging task as we have set out a new agenda for us. The mandate for the 22nd October is a mandate for continuance of the policies of the Hooda Government - Congress Goverment, and the charges-that there has been a regional bias, are absolutely false. Ch. Devi Lal University was in shambles, it was not developed, When Shri Bhupinder Singh Hooda took over, he gave a grant of Rs.150 crores for the development of various faculty in that University. The people who have been enjoying far from Sirsa did not develop Ottu Lake which could have been a source of water, for recharging the ground water. Nobody paid any attention to that, It was for the first time that huge amount of money was invested by the Chief Minister for the development of this Ottu Lake which falls Sirsa area. If you see those laid for the development particular areas equal stress has been laid the development of all areas all districts of Haryana. So, it is a daseless charge which the opposition has leveled and now, we go to work a lot towards the upliftment of women, we have to work on agenda of women empowerment. That's why we need to work a lot and for that drinking water, education, female foeticide, all these areas have to be taken care of and this document speaks volume about it. Therefore, today I support this motion of thanks and request the House to support this motion.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the address be presented to the Governor in

the following term :-

That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House today on the 28th October, 2009 at 2.00 P.M.

श्री ओमप्रकाश चौटाला (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, में फिर उसी बात पर आऊंगा ओर आप फिर आपत्ति करेंगे कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तो महज ओपचारिकता रह गया हे। गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में लिखा है कि नवगठित हरियाणा विधान सभा के प्रथम सत्र में और यह अभिभाषण सरकार की तरफ से तेयार किया जाता है। लेकिन इन दिनो में सरकार तो कोई थी ही नहीं, तो यह अभिभाषण किस ने तेयार किया। अब मैं फिर वही बात कहूंगा कि सरकार ने मेंडेट लेने के लिए सरकार भंग की थी लेकिन मैंडेट मिला नही। (विघ्न)

Mr. Speaker : This is not fair. (Interruptions) This is not fair. चौटाला जी, आपको पता भी है लेकिन आप फिर भी माड़ी–माड़ी आग लगा देते हैं। (विघ्न) यह अच्छा नहीं लगता है। (विघ्न)

Sh. Bhupinder Singh Hooda : It is the constitutional power of the Governor. अध्यक्ष महोदय, इनकी इन्फर्मेशन के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन दिनों बाकायदा

सरकार थी, हरियाणा में राज्यपाल शासन कभी नहीं हुआ हे। इन्होंने कहा हे कि सरकार नहीं थी, सरकार तो थी। (विघ्न) आप ही बताएं कि क्या राज्यपाल शासन था? प्रशासन चलाने के दो ही तरीके हें या तो राज्यपाल शासन हो या गवर्नमैंट हो। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के अभिभाषण में पांचवें पैराग्राफ में कृषि पर बहुत जोर दिया गया है ओर शर्मा जी इस सदन मे नए सदस्य चुन कर आए हें, इन्होंने भी कृषि के बारे में बहुत जोर दिया हे। इनके बाप तो बहुत अच्छे पार्लियामैटेंरियन थे, शायद इनको इस बात का ज्ञान नहीं है। इन्होंने कृषि के बारे में बोलते हुए बहुत ही बढ़ा–चढ़ाकर इस सरकार की प्रशंसा की। मैं यह बताना चाहूंगा कि आज सबसे ज्यादा दयनीय हालत कृषि की हे। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर हैरानी होगी कि हरियाणा में सूखे की स्थिति होने के बावजूद भी इस सरकार ने यह नहीं माना कि हरियाणा में सूखा हे। इस बारे में सम्पत सिंह जी भी बोल रहे थे। में तो यह कहता हूं कि आप इनसे पूछे कि इनकी नहर में कब पानी आता था। मैं बताता हूं कि इनकी नहर में 3 महीने 7 दिन में पानी 'गया था। जब 3 महीने 7 दिन में पानी गया था तो कैसे खरीफ की फसल बोई थी। आज हालत यह है कि लोगों ने अपनी फसल को किसी तरह से पका लिया लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप देखे उनकी बाजरे और जीरी की फसल को खरीदने वाला मण्डियों में कोई नहीं है। आज सबसे ज्यादा बुरे हालात अगर प्रदेश में किसी के हैं तो वह कृषक

के और कृषि के हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब ये बार–बार बीच में बोलने के लिए खडे हो जाते हैं। इन्होंने यह क्या तरीका बना रखा है। कोई भी ऐरा–गैरा बोलने के लिए खड़ा हो जाता हे। (विघ्न) इस तरह से हाऊस नहीं चलेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, केवल Leader of the House ही इन्टरवीन कर सकते हैं। (विघ्न) मैं बोल रहा हूं और हर कोई ऐरा–गेरा बीच में बोलने लग जाता है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please continue, Chautala ii. (Interruptions).

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं कृषक की हालत के बारे में बोल रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं कृषक हू। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए ऐश्योर करता हूं कि हमारी तरफ से कोई भी नहीं बोलेगा। मैं लीडर ऑफ दि हाऊस से कहूंगा कि इनको अधिकार हासिल है और ये बीच मे किसी भी समय पर इन्टरवीन कर सकते हें लेकिन किसी दूसरे को बीच में इन्टरवीन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अगर कोई प्यायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हे तो वह बोल सकता है। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, not only on personal explanation but any member can also speak on point of order. (Interruptions)

Mr, Speaker : Hon'ble Members please speak of facts with the permission of the Chair.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होना चाहिए कि कोई भी चौधरी बनकर खड़ा हो जाए। यहां पर 90 के 90 चौधरी हैं कोई मां के पेट से चौधरी पैदा नहीं होता है। (विघ्न) अपने आप को ज्यादा चौधरी बनाने की कोशिश मत करें कोई। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुने कि प्रस्तावक ने 45 मिनट भाषण दिया और हमारी तरफ से किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उसके बाद अनुमोदक ने आधा घंटा भाषण दिया और इसमें भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। अब जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो ये लोग चौधरी बनने के लिए बीच मे ...... खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः यह जो शब्द कहा गया है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने कृषि विश्वविद्यालय का जिक्र किया। मैं इनसे खासतौर पर कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने देवी लाल यूनिवर्सिटी को बंद करने के आदेश दे दिए थे और उसकी ग्रांट बंद कर दी थी। सिरसा के वकीलों ने हाईकोर्ट में जाकर अपील दायर की थी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौटाला जो कह रहे हैं वह स्थिति कभी नहीं आई

थी। मैं तो इनको यह कहना चाह्ता हूं कि give statement on facts.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आप पता तो करवाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुझे पता है और में आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूगा कि हमने वहां पर ग्रांट भी दी थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अगर आपको पता होता तो हरियाणा की यह दुर्गत नहीं होनी थी।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, यह बात ठीक नहीं हे।

श्री ओम प्रकाश चोटाला: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ली ग्रैजुएट हैं और मैं यह कहना चाहूंगा कि सिरसा के वकीलो ने हाईकोर्ट में अपील दायर करके हाईकोर्ट की मदद से ग्रांट ली है। (विघ्न) आप इस फैक्ट को कैसे नकारोग। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आगे चलकर ओटू लैक की बात की है। (विघ्न) शर्मा जी, आप अपनी बात जब कहेंगे तो उस वक्त कह लेना ओर आप कह सकते हैं क्योंकि आपको यह अधिकार है लेकिन अभी आप नोट करते जाएं। (विघ्न)

श्रीमती अनिता यादव: स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। मैं दुर्गति के बारे में कहना चाहती हूं। ये जब वर्ष 2000 में सत्ता मे आये थे तो उस समय इनकी पूरी मैजोरिटी थी

लेकिन जब उसके बाद इलेक्शन हुए तो ये सीगिल डिजीट में आये थे जबकि हम तो अब 48 मैम्बर्ज बैठे हैं।

श्री कुलदीप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा डायट ऑफ आर्डर हे। इन्होंने कहा है कि मैं पहली बार सदन में आया हूं इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन मैं तो इनसे कुछ सीखना चाहता हूं। जो कुछ इनमें अच्छा होगा वह मै जरूर सीखूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: जो पंडित चिरंजीलाल का बेटा है उसके तो ब्लड मे सब कुछ है उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यहा का जो माहौल बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने मे थोड़ा समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ओटू लेक का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय,ये फैक्टस को कैसे नकारेंगे। केन्द्र सरकार की तरफ से इसके लिए जो पैसे निर्धारित हुए हैं वह पैसे पूरे खर्च नही हो पा रहे हैं। इस तरह की तो आज प्रदेश की हालत है। गवर्नर के अभिभाषण में आगे जाकर इन्होंने स्वयं इस बात पर जोर दिया कि इंडस्ट्रीज का बहुत बढ़ावा मिल रहा हे। प्रस्तावक भी शायद पुरानी बात भूल गए। उन्होंने भी कहते हुए इस बीत को बढ़ावा दिया कि सरकार की पोलिसी के तहत सब कुछ सम्पन्न हो जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी से खास तौर से अर्ज करना चाहूंगा कि वे अपने रिप्लाई मे यह जरूर बताने का कष्ट करे कि हरियाणा में इनकी सरकार बनने के बाद कितना निवेश विदेशों से आया, कितना दूसरे प्रदेशों से आया, कितनी इंडस्ट्रीज यहा लगी ओर कितनी पलायन करके चली गयी ताकि

लोगों को वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सके। हमने तो इस बारे में व्हाईट पेपर के लाने के लिए कितनी मर्तबा कहा लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया परन्तु अब फ्लोर ऑफ दी हाउस ये इस बारे में ठीक जबाव देंगे, ऐसी मै इनसे उम्मीद रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में बात चली। आपको ध्यान होगा और चौधरी सम्पत सिंह को खास तौर से ध्यान है यह प्रस्तावक थे कि 12 मार्च, 1994 को यमुना जल समझौता हुआ था। यह कांग्रेस की सरकार के वक्त मे हुआ था और जिस सरकार ने यह समझौता किया उस सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये रंजोल्यूशन लेकर आए थे जबकि काबीना की मुस्तरका जिम्मेवारी होती है। उस समय के मुख्यमंत्री के खिलाफ तो ये रैजोल्यूशन लेकर आए कि उसने यह समझौता गलत किया लेकिन 12 मार्च, 1994 को जो यमुना जल समझौता हुआ उसके साथ एक शर्त रखी गयी थी कि यमुना जल समझौते से हरियाणा के पानी की कमी को पूरा करने के लिए किशाउ डैम, लखवार डैम और रेणुका डैम केन्द्र की सरकार बनाएगी ताकि उस पानी की पूर्ति हो जाए। लेकिन 12 मार्च, 1994 से लेकर आज तक वह मामला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हरियाणा के हिस्से का तीन मर्तबा और पानीं ले लिया गया है। जो समझौता हमारा हुआ था उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमें और पानी देना पडा। यह हमारी मजबूरी थी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने के पाबन्द हैं लेकिन जब एस.वाई.एल.कैनाल का जिक्र

किया जाता है या ऐसा कोई अवसर आता है तो उस समय तो ये उसका जिक्र करते हैं। आज काई भी सतुलज यमुना लिंक कैनाल का मामला किसी भी अदालत के विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दी हाउस कह रहा हूं कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया हुआ है कि केन्द्र की सरकार यह बताएं कि किस एजेंसी के द्वारा इस नहर को बनाने जा रहे हैं। आज फिर यही कहा जा रहा है कि हम उस नहर को जल्द से जल्द बनाएंगे। इनसे यह पूछा जाए कि इसमें आपत्ति क्या है। अध्यक्ष महोदय, आप ली ग्रेज्यूएट हैं औरे आप सुनकर हैरान होगे। रैफरेंस के बारे में जब सर्वोच्च न्यायालय में जाकर वकील यह कहता है कि चूंकि हरियाणा मे सच्चे सौदे का विवाद है इसलिए इस मामले को डिले कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सच्चे सौदे का ओर एस.वाई.एल.कैनाल का मामला कहा आकर अड़ गया? कौन सी दिक्कत आ गयी जिसके कारण इसको डिले कर दिया।

श्री राम किशन फौजीः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर हे।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जुल्म की बात हो रही है कि फौजी प्यायंट ऑफ आर्डर बताएगा और हमें सुनना पड़ेगा। हद हो गयी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः फौजी साहब, आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, इन्होंने जो यह बात कही है कि न्यायालय में यह मामला विचाराधीन नहीं है तो यह बात सबको मालूम है कि जो पंजाब की असैम्बली ने वाटर ऐग्रीमैंट टर्मीनेशन ऐक्ट पास किया था उसकी वजह से प्रैजीडैंशियल रैफरैंस हमारे कहने पर और यूपी. की गवर्नमैंट के कहने पर दिया गया था। यह तो रिकार्ड की बात है। रैफरैंस का मामला कोर्ट में है। ये गुमराह कर रहे हैं कि केस वहा पर विचाराधीन नहीं है जबकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः कौन सी अदालत में विचाराधीन है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः वहां पर सिर्फ रैफरैंस विचाराधीन है, कोई और केस इस बारे में पैंडिंग नहीं है। कोई स्टे नहीं है कुछ भी नहीं है।

17.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ ऑर्डर है। ये कह रहे हैं कि जब हमारी गवर्नमैंट थी तो उस समय हमने केस नही डाला, न ही उसे चौलेंज किया। अध्यक्ष महोदय, इस बात से ये हाउस को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने इस केस के लिए अपने वकील बाकायदा

लगा रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तारीख निश्चित हुई–हुई है। हम बाकायदा अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये कैप्टन अजय सिंह के कहने से नहीं होगा, यह जगजाहिर है कि यह फैसला अदालत से हमने जीता। हमने लड़ाई लड़ी, इस बात के लिए बाकायदा फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि केन्द्र की सरकार इस नहर को बनाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः ऑन ए प्यॉयंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह कहा कि इस समय कोर्ट मे कोई मुकदमा नहीं है और एसवाईएल. का निर्माण हम नहीं करवा रहे। मैं केवल 3 तथ्य जो फैक्चूअल हैं, इनके नोटिस में आपकी अनुमति से लाना चाहूंगा। (Interruptions) Sir, Mr. Chautala is misleading the House.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ...

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, you have permitted me to speak. (Interruptions)

श्री अशोक कुमार अरोडाः ये क्या प्याइंट ऑफ ऑर्डर है। जब चीफ मिनिस्टर साहब रिप्लाई देंगे तो इस बात का जवाब आ जाएगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: प्वायंट ऑफ ऑर्डर तब आता है when anybody is misleading the House. (Interruptions) Nobody can mislead the House.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, ...

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, you have permitted me to speak.

श्री अशोक कुमार अरोडा: मैं यह कह रहा हूं कि किस बात पर प्वायंट ऑफ ऑर्डर ले रहे हैं।

Shri Bhupinder Singh Hooda: Mr. Arora, why you are standing. Please sit down. Before speaking, take the permission of the Speaker. Don't talk like this.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए परमिट किया है। Speaker Sir, Hon'ble Member has yielded. एस.वाई.एल. नहर के निर्माण की जहां तक बात है, उसके बारे में मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि 24 मार्च, 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हरियाणा के हकों को मद्देनजर रखते हुए हमें 35 एम.ए.एफ पानी दिया था। इनको घबराहट इसलिए है क्योंकि इन्होंने इराडी कमीशन को काले झंडे दिखाये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, आप क्यों समय खराब करवा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः इराडी कमीशन को चौटाला साहब ने काले झंडे दिखाये थे और साइमन कमीशन की संज्ञा दिया करते थे। ये उसे साइमन कमीशन की संज्ञा दिया करते थे इसलिए ये डरते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, कांग्रेस के शासनकाल में इराडी कमीशन का अवार्ड आया था।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो तमाशा बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी आदमी फैक्ट्स को नकार नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी को ये अधिकार है कि वे अपने रिप्लाई में ये सारी बात का जवाब दे दें। अगर कहीं पर गलत बयानी हुई है तो आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। मैं तथ्य पर आधारित बात ही करूंगा और कोई गलतबयानी नहीं करूंगा। जो रिकार्ड की चीज है उसी को यहां पर बताऊंगा। मैंने केप्टन अजय सिंह यादव, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में सिंचाई मंत्री थे, इनको कहा है और असलीयत भी यही है कि सर्वोच्च न्यायालय में आज के दिन कोई भी मुकदमा इस बारे में विचाराधीन नहीं है केवल रिफरैंस है और रिफरैंस को भी डिगाने के लिए इनके वकील जाकर तारीख लेने का काम करते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि मूव हमने किया है और हीयरिंग के लिए हमारे वकील गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके पास और बहुत से काम हैं इसलिए हमें डेट दी है। यह कहना गलत है कि हमने अच्छे तरीके से लडाई नहीं

लड़ी है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ाई लडी है और सुप्रीम कोट मे केस लंबित है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः आपकी लड़ाई का ही परिणाम है कि इस प्रदेश का 500 क्यूसिक्स बहुमूल्य पानी अनर्गल पाकिस्तान को जा रहा है। 500 क्यूसिक पानी इस देश का कितना बड़ा नेशनल लौस हे। इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है इसके लिए मैं बता रहो हूं। अध्यक्ष महोदय अभी तक किसाऊ लखवार और रेणुका डैम पर काम शुरु नहीं हुआ है और एक नया पैसा भी केन्द्र सरकार उस पर खर्च नहीं कर रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः ऑन ए प्यॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, रेणुका डैम पर काम शुरु हो गया है। 1994 में जो यमुना अकोर्ड हुआ था उस समय रेणुका डेम में हमारा हिस्सा नहीं था। हमारी गवर्नमैंट ने वह केस टेकअप किया और आज रेणुका डैम में आज हमारा हिस्सा है, पानी में मी हिस्सा हे। इसलिए यह कहना गलत है कि हमारी गवर्नमैंट ने इसके लिए कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से किसाऊ डैम के बारे में भी हमने केस टेकअप किया और सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने उसको नेशनल प्रोजैक्ट मान लिया है और इस्का सारा खर्च सैन्ट्रल गवर्नमैंट देगी। मं यह इनकी सूचना के लिए बता रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इनको तो अब तक ये भी पता नहीं है कि स्टेट गवर्नमैंट का सब्जैक्ट कौन सा है

और सैन्ट्रल गवर्नमैंट का सब्जैक्ट कौन सा है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट का फैसला है, पैसा उन्होंने लगाना है। इन्होंने तो जाकर के चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के लिए भी 600 करोड़ रुपया दे दिया। (शोर एवं व्यवधान) इनसे पूछिए कि किसलिए इतना पैसा दिया जबकि सिविल ऐविएशन डिपार्टमैंट सैंट्रल गवर्नमैंट का है और यह फैसला भी सैंट्रल गवर्नमैंट का हे इसलिए इस पर पैसा भी उन्होंने लगाना है। इन्होने एयर पोर्ट पर नाम अपना लगवाने की बात की थी वह भी नहीं हुई। मोहाली का एयरपोर्ट है। इनसे पूछिए कि 600 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का इन्होंने किसके लिए दिया। इनको पता ही नहीं है कि इनका अधिकार क्षेत्र कहां तक है। मैट्रो जो कि एक कॉमर्शियल अदायरा है उसके लिए इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। इनको पता ही नहीं है कि कॉमर्शियल अदायरे के लिए कुछ हिस्सा ही स्टेट गवर्नमैंट को देना होता है। हमने गुड़गांव के लिए कुछ हिस्सा दिया था लेकिन इन्होंने तो सारा का सारा पैसा उठाकर दे दिया। हमने पैसा इकट्ठा करके दे दिया और इनके हाथ लग गया और इन्होने फैंकना शुरू कर दिया। आज प्रदेश की यह हालत है। लेकिन अफसोस तो यह है कि इस बात का इन्हें पता नहीं है और इन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि तुम्हारा सबजैक्ट कौन सा है, किस बात के लिए इनके द्वारा एयरपोर्ट के लिए पैसा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, अब मैं असल मुद्दे पर आ रहा हूं। लखवार, कुसाऊ और रेणुका डैम के बारे में केन्द्र सरकार के एग्रीमेंट के तहत यह कहा गया था कि केन्द्र की सरकार इनको बनायेगी ताकि

हरियाणा प्रदेश का अपने हिस्से का पानी जो जाता है, उसकी हकरसी हो जाए। अध्यक्ष महोदय, जब सदन के स्पीकर श्री रघुवीर सिंह कादयान जी थे, मैंने उस समय भी इस सदन में यह बात कही थी। बार–बार उन्होंने हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया था कि हम हांसी बुटाना नहर को बनाने का बहुत विरोध कर रहे हैं। मैंने इस सदन में खुलकर एक बात कही थी कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था केवल खेती से जुड़ी हुई है। किसानों को जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, उसके लिए हम हर स्तर पर पूरी तरह से सहमत हैं। कितनी माईनर्ज बनें, कितनी ही डिस्ट्रब्यूटरीज बने और कितनी ही नहरें निकले, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है और इस बात के लिए हमने कभी कोई एतराज भी नहीं किया। लेकिन हरियाणा की मौजूदा सरकार यह तो बताये कि क्या सरकार ने इस बारे में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। आज गर्वनर साहब के अभिभाषण मैँ यह लिखा गया है कि कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेगे। जबकि अभी' तक हांसी बुटाना नहर के मामले में सी.डब्ल्यू. सी. से क्लीयरैंस नहीं हुई है। सी.एम. साहब इस बारे में रिप्लाई में बता दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः रिप्लाई में भी बता देंगे लेकिन आप इस तरह से हाउस को गुमराह नहीं कर सकते। सी. डब्ल्यू. सी. ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है और हरियाणा के फैसले को ठीक ठहराया हे।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः सुप्रीम कोर्ट का स्टे है लेकिन आपको यह पता नहीं कि पानी कहां से मिलेगा?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है वह सिर्फ पंक्चर करने के लिए है और उसके लिए सरकार लड रही है।

डा. रघुबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर, इसमें ऐसा है कि (विघ्न)

श्री ओमप्रकाश चौटालाः जब आपकी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो रही तो आप यह बतायें कि पानी कहां से आयेगा? अध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई जवाब नहीं हैं। मैंने कहा कि जब पानी नहीं मिलेगा तो फिर सरकार ने 600 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के लोगों के खुन–पसीने की कमाई का क्यो बर्बाद किया? यह पैसा कहां से आयेगा? सरकार ने तो पीने के पानी के लिए पम्प से उठाने के लिए अनुमति मांगी थी वह भी नहीं मिली थी तो नहर के लिए पानी कहां से मिलेगा और जब पानी नहीं मिलेगा तो इसके लिए रिकवरी किससे की जायेगी? आखिर यह जनता की गादे खून–पसीने की कमाई है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, अनुमति मिल जायेगी, सी.डब्ल्यू.सी. ने परमिशन दी है। यह गलत कह रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के अभिभाषण में यह लिखा है कि सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रियाएं

पूरी कर ली जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में आगे चलकर दादूपुर नलवी नहर का जिक्र आया। अध्यक्ष महोदय, आप भी कई मर्तबा उस नहर को देखने गये होंगे। मैं कई मतर्बा गया हूं जगाधरी से जब अम्बाला आते थे तो दादुपुर नहर खुदी हुई मिलती है। उस नहर पर यह सरकार कुछ डैम बगैरा बना रही थी। अब नहर एक तरफ खोदी जा रही है पानी दिया जा रहा है और पता नहीं वेस्ट के लिए या कुछ और के लिए सरकार क्या बना रही थी, मुझे समझ में नहीं आया और जब हमारी पार्टी ने उसका विरोध किया तब अब जाकर इन्होंने उस को तोड़ा है। इनको इस बात का तो ज्ञान नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ये बिलकुल गलत बात कह रहे हैं सरकार ने कोई डैम नहीं बनाया।

श्री ओमप्रकाश चौटालाः सारी दुनिया ३ .देखा– है कि उस जहर पर क्रन्सट्रक्शन हो रही है। आपके न कहने से क्या होगा। अब उसको तोड़ा हुआ लोगों ने देखा है। आपको इस बारे में ज्ञान नहीं है और यही तो मैं कह रहा हूं कि यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोगों के हाथ में इस प्रदेश की हुकुमत आ गई। (विघ्न)

Mr. Speaker: Capt. Ajay Singh Yadav, please don't address him address the Chair.

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, दादुपुर–नलवी नहर पर सरकार ने कोई डैम नहीं बनाया है।

श्री ओमप्रकाश चौटालाः फिर उस नहर पर क्या बनाया है ?

Mr. Speaker : Capt. Sahib, you will get the opportunity.

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, दाखुर–नलवी नहर के लिए हथनी कुण्ड बैराज से पानी आ रहा हँ। ये कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है।

श्री ओमप्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, उस नहर की खुदाई हुई है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हथनी कुण्ड बैराज तो पहले से ही बना हुआ है और हथनी कुण्ड बैराज से दादूपुर नलवी नहर के लिए पानी आता है, how he is saying कि इस पर डैम बन रहा है?

श्री ओमप्रकाश चौटालाः फिर उस नहर पर क्या बना रहे थे? अब आपने उसको तोड़ा है, हां उस पर सोलिड वेस्ट प्लांट बना रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं आपको कौन–कौन सी चीज के बारे में बताऊं (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीरः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यांयट आफ आर्डर है। जिस तरह से हाउस को बरगलाया जा रहा है वह ठीक नहीं है। एक इलाका वह है जहां पीने का पानी नहीं था। अगर हांसी बुटाना नहर बनाई गई है तो इसलिए बनाई सई है कि इनके उस

इलाके मे पानी ज्यादा चलता था। नहर बनाते, ही ये इस बात को उलझाने लगते हैं। यमुना में पानी बढे तो उसके लिए दादुपुर नलवी नहर बनाई तो उसके लिए आपने कह दिया कि कोई अडचन आ रही थ्री इसलिए कृपया हाउस की बरगलाओ मत। पानी को बराबर बांटने के नाम पर भी अगर आप इस तरह की बात करोगे तो ठीक नहीं होगा। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चौधरी धर्मबीर जी, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि पानी जाए लेकिन में आपसे यही पूछता हूं कि क्या आपको पानी मिला ? (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, दादुपुर—नलवी नहर का मामला 20 सालो से ठंडे बस्ते में पडा था और हमारी सरकार ने उसको बनवाया है। (विघ्न)

श्री धर्मबीरः आप लोगों ने हाई कोर्ट मे केस उलझाए रखा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चौधरी धर्मबीर, आपको पता होना चाहिए कि केस हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में है। (शोर एवं व्यवधान) आपको ज्ञान होना चाहिए कि जहां दो या दो से अधिक रियासतो का डिस्प्यूट होता है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीरः चौटाला साहब, पहले हाई कोर्ट में आपकी लोकदल पार्टी ने वकील खड़े किए और चार साल तक उस केस

को हाई कोर्ट में उलझाए रखा। सुप्रीम कोर्ट में बाद में गए। चौटाला साहब, आपके लिए तो सारा हरियाणा एक जैसा होना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Do not fight each other. Please take your seat. (Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए कह रखा है लेकिन ये बार बार बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, दादुपुर–नलवी नहर का मामला 20 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था और हमारी सरकार ने उसको बनवाया है।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप इसका बाद में जवाव दे देना। 20 मिन्ट हो गए हैं बात वहीं की वहीं अड़ी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यांयट आफ आर्डर है। यहां हाउस को गुमराह किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, कोई इधर से बोलने के लिए खड़ा हो जाता है और कोई उधर से खड़ा हो जाता है। (शोर एवं व्यवधान) फौजी साहब, आपको पता होना चाहिए कि प्यांयट आफ आर्डर पर प्यांयट आफ आर्डर नहीं होता।

(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये किस अधिकार से बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः फौजी साहब, आपको मेरी परमीशन तो मिली नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, अजय चौटाला जी ने यह कहा था कि अगर यह नहर बनी तो हम इसको आट देंगे और गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। Does he own his words? (Interruptions)

श्री अजय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को मिसफीड कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान) इनकी सरकार पांच साल रही और अगर कहीं मैने ऐसा व्यान दिया है तो सरकार मेरे ऊपर मुकद्दमा दर्ज करती इसलिए ये गलत बोल रहे हैं। ये हाउस में गलत ब्यानी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये जिम्मेवार आदमी हैं, हाउस में गलत व्यानी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अपनी जिम्मेवारी को समझते नहीं और किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर हाउस में गलतव्यानी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये रिकार्ड के साथ यहां बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूं इसलिए रिकार्ड के साथ बोल रहा हूं। लाखन माजरा में अजय चौटाला का व्यान आया था कि नहर बनी तो हम आट देंगे और गृह युद्ध छिड़ जाएगा। (शोर एवं व्यवधान?

श्री अशोक कुमार अरोडाः अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने जो कहा कि अजय चौटाला ने कहा कि नहर को आट दिया जाएगा इस बात को कार्यवाही से निकलवाया जाए क्योकि कोई व्यानबाजी ऐसी नही की गई। यह बिलकुल गलत बात है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बार बार यही बात कही है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह बात किसलिए कार्यवाही से निकलवाई जाए जब इन्होंने यह बात कही है। पिछली बार वह प्रैस क्लिपिंग हमने चौटाला जी के सामने सदन के पटल पर रख दी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अजय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार साल इन लोगो ने बर्बाद कर दिए और लोगों को झूठ बोला। पानी की एक बूंद तक नहीं दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, इनके चाचा या ताऊ जो लगते हैं उन्होंने मुकद्दमा दर्ज करवाया है। उनके साथ इनका कोलीशन है और अब भी उन लोगों के साथ इनकी कोलीशन चल रही है। उन्होंने ही वह केस दर्ज करवाया। हम तो उस पर फाइट कर रहे हैं, हम तो केस लड़ रहे है। केस आपके स्टैण्डस पर दर्ज हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजीः अध्यक्ष महोदय .... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Fauji Sahab, I have not permitted you, I have not permitted anybody. Do not make a mockry of the house. (शोर एवं व्यवधान) मैं चुप इसलिए हूं कि मुझे भी शर्म आ रही है। हाउस को कोई चलने ही नहीं देता।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा तो कोई मंच नहीं है। मैंने यह कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं और मुख्यमंत्री जी मेरी बात से सहमत होंगे मैंने सदन में एक बात कही थी कि हम हर सम्भव प्रयास करेंगे कि किसान को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। उसके लिए कितनी भी नहरे बनें, कितनी ही डिस्ट्रीब्यूटरीज बने और कितने ही माईनर निकाले जायें उसमें हमे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद बार–बार यह बात करने का क्या प्रश्न रह गया है कि जब हमने on the floor of the House स्पष्ट कर दिया है कि हम इस बात के लिए सहमत हैं कि पानी पहुंचाने के लिए कोई भी नहर प्रदेश मे बनाई जाये हम उसके हक में हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार यह भी बताये कि पानी कहां से आयेगा और अगर पानी सरकार नहीं लायेगी तो? करोड़ रुपये लोगों का बर्बाद हुआ है उसकी रिकवरी कहां से होगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपके भी नोटिस में है कि इन्होंने इसके बाद एक प्रयास यह किया कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यह लिख दिया कि हमे पीने के पानी के लिए पम्प आऊट की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, आपने यह बात कह दी है। Please don't repeat it. प्लीज आप आगे बात करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों ईशूज को छोड़ देता हूं और तीसरी बात करता हूं। हरियाणा एजूकेशन हब बन रहा है इस पर काफी चर्चा की गई है और बड़ा कुछ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा गया है कि इतने इंजीनियरिंग कालेज खोले जायेंगे और बहुत सी यूनीवर्सीटीज बनाई जायेंगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि साढ़े चार साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा मे बनी थी उस समय राजीव गांधी एजुकेशन सीटी सैंटर स्थापित करने की घोषणा इन्होने की थी और अब दोबारा इनकी सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में बतायें कि राजीव गांधी एजूकेशन सीटी को बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है। वहां पर कितने बच्चों को एजूकेशन मिली है, हास्टल बना है या नहीं कमरे बने हैं या नही और कितने टीचर्ज की भर्ती वहां पर हुई है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन प्रदेश में कितने बुरे हालात एजूकेशन के हैं उसके बारे में पूरा उल्लेख करूंगा तो लम्बा समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय. आप स्वयं देख सकते हैं कि इनकी सरकार बनने के बाद एजूकेशन एक व्यवसाय बनकर रह गया है। इनके समय में कालेज और स्कूल किस प्रकार से खोले गये हैं यह बात सभी जानते हैं। क्या ये बातें मुख्यमंत्री जी के नोटिस में नहीं है? अध्यक्ष महोदय, यदि आप और मुख्यमंत्री जी मुझे इन्क्वायरी का आश्वासन दे तो

मैं बाकायदगी से बता सकता हूं कि कौन–कौन से मामले में किस– किस व्यक्ति ने कितने–कितने पैसे लिये हैं। इस सरकार के समय में एजूकेशन के नाम पर दुकानें खोली गई हैं और लोगों ने इसमें बहुत पैसा कमाया है। कोई बिल्डिंग नहीं है, दफ्तर नहीं है और यूनिवर्सिटीज स्थापित हो गई हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज स्थापित की गई हैं जिनका न तो कोई आफिस है और न ही कोई बिल्डिंग बनाई गई हे। आप हैरान होगे, आप इसको देखें। केवल मात्र किताबी आकड़ों से काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण मे डिफैंस की बात भी की गई है। इस बारे मे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि राव दान सिंह जी और राव यादविन्द्र जी यहां सदन मे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने महेन्द्रगढ़ मे जाकर सैट्रंल यूनिवर्सिटी की आधारशीला रखी थी और राव इन्द्रजीत जी भी वहां साथ थे। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामैंट में किसी साऊथ इण्डियन मैंबर ने प्रश्न पूछा था कि कहां–कहां पर इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज सरकार बनाने जा रही है। जिस यूनिवर्सिटी की आधारशाला महेन्द्रगढ़ में बनाने के लिए रखी गई थी जवाब में वह यूनिवर्सिटी रोहतक में बनानी बताई गई। क्या यह भी गलत है। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं यह साख्य इण्डियन मेंबर द्वारा पार्लियामैंट में प्रश्न पूछा गया था उसके जवाब में लिखा हुआ हे।

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि चौटाला साहब जो यह बात कह रहे हैं यह बिलकुल निराधार बात है। वह यूनिवर्सिटी महेन्द्रगढ़ में ही बनेगी और मिस्टर एम.सी. शर्मा उस यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर नियुक्त हो गये हैं। इसके अतिरिक्त एडमिशन और टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि एडमिशन होने के बाद उस यूनिवर्सिटी की क्लासिज नारनौल में लगी हुई हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए वहां आदोलन किए गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उस प्रश्न के उत्तर की कापी है जो में सदन को दे देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, कभी भी ऐसा नहीं हुआ वह यूनिवर्सिटी वही पर बनेगी। (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिस अखबार में रोहतक मे वह यूनिवर्सिटी बनाने की खबर लगी थी वह खबर पूरी नहीं थी। वे लोग पहले की बात कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2007 की रैली मे महेन्द्रगढ़ में सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी और वहीं पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। मैं माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ जिले के पाली और जाट गांव में वह

यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रिकार्ड टाईम में यूनिवर्सिटी के नाम जमीन भी ट्रांस्फर हो गई है।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, आप मुख्यमंत्री जी और दान सिंह जी की बात तो नहीं मान रहे और पत्रकार की बात मान रहे हो जिसको आपने देखा भी नहीं हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय जो मैं कह रहा हूं वह सच है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं on the floor of the House कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कभी भी रोहतक में सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला नहीं हुआ। यह यूनिवर्सिटी हमने महेन्द्रगढ़ में बनाने का फैसला लिया है और वहीं पर बनाई जा रही है। ये लोग इस बारे में गलत बात करके लोगों मे अफवाह फैला रहे हैं।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि वह यूनिवर्सिटी' महेन्द्रगढ़ में ही बनाई जायेगी अब तो आप इनकी बात को मानो।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, में नहीं मानूंगा। जो मैं कह रहा हूं वह असलियत है।

श्रीमती अनीता यादवः स्पीकर सर, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। हमारी सरकार लार्ड कृष्णा के नाम से दक्षिणी हरियाणा

में यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। इससे पहले जो सरकारें आती थी उनके समय में तो यूनिवर्सिटीज के नाम पिता और दादा के नाम पर रखे जाते थे लेकिन इसके विपरीत हमारी सरकार द्वारा लॉर्ड कृष्णा के नाम से सैंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। यह हमारी सरकार की सोच रही है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री चौटाला जी से यह निवेदन करूंगी कि इस मामले में वे हाउस को बरगलाने की कोशिश न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नम्बर 21 में लिखा गया है कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना मेरी सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है और इसके अतर्गत अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग–ए और बीपीएल. वर्ग के परिवारों को 100– 100 गज के प्लॉट दिये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्यमंत्री अपने रिप्लाई में फैक्ट्स के साथ यह बतायेंगे कि किस–किस गांव में,. किस–किस जिले ग्रे कितने–कितने प्लॉट्स किस–किस को दिये गये हैं। यह केवल मात्र बरगलाने के लिए है कहीं पर कुछ नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप यह सुनकर हैरान होंगे कि साढ़े चार साल के अरसे में पूरे हरियाणा प्रदेश में हुडा का एक भी सैक्टर नहीं कटा। हुडा के सैक्टरों में लाटरी के आधार पर प्लाट्स का आबैटन होता है और लाटरी किसी गरीब आदमी की भी निकल सकती है। इसके अलावा यह बात भी सही हे कि हुडा के प्लाटों में सबसे ज्यादा फैसीलिटीज मिलती हैं। स्पीकर सर,

हरियाणा की कांग्रेस सरकार द्वारा हुडा के सैक्टर काटने के लिए दफा 4 के नोटिस दिये गये लेकिन दफा 4 के नोटिस देने के बाद अपने आदमियों को उन किसानों के पास यह कहकर भेज दिया गया कि इन–इन जगहों पर हुडा का सैक्टर कटेगा इसलिए तुम किसानों से ये जमीने खरीद लो। इस प्रकार से जिन लोगों ने जमीन खरीद ली उन्हीं के नाम कालोनियां बनाने के लाईसैंस दिये गए। स्पीकर सर, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं कि जिन लोगो ने जमीनें खरीदी उनको ही कालोनिया बनाने के लिए लाईसैंस दिये गये और उन्ही की कालोनियां बनी हैं। अध्यक्ष महोदय. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसे लोगो की कालोनियां काटी गई जिनके खिलाफ सरकारी पंखे चोरी करने तक के मुकद्दमें दर्ज हुए हैं और ऐसे लोग ही आज कालोनियो के मालिक हैं। कहां डूबेगा यह प्रदेश जा करके ? क्या हालत होगी इस प्रदेश की? स्पीकर सर, हमारी सरकार के वक्त में 98700 प्लॉट दिये गये थे लेकिन श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की पिछली सरकार ने गरीबों को एक भी प्लाट नहीं दिया।

Mr. Speaker : Mr. Chautaiaji, you have consumed 30 minutes. Now, please conclude.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, प्रस्तावक को 45 मिनट मिले थे। इसी प्रकार से आपने अनुमोदक को 30 मिनट दिये। मैंने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है जो आप मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं। मैं ठीक बातें ही बता रहा हूं

फिर भी अगर आपको मेरी कोई बात पसंद न आये तो आप उसे सदन की कार्यवाही से निकलवा देना इसका आपको पूर्ण अधिकार है लेकिन आप मुझे बोलने का समय तो दें जिससे कम से कम मेरा अवसाद तो निकल जाये।

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, श्री चौटाला जी यह कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान बीपीएल. परिवारो को एक भी प्लाट का आबंटन नहीं किया गया है। मैं इस बारे में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, इस मामले में माननीय सदस्य को बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। मुख्यमंत्री जी अपनी रिप्लाई मे इस बारे मे बता देगे।

डा. रधुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, ऑनरेबल मैम्बर माननीय सदस्य श्री धर्मबीर सिह जी को यह कह रहे हैं कि यह इनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। Speaker Sir, to put the record straight any Member can be raised on his legs by taking point of order. स्पीकर सर, हमारे साथियों द्वारा तो श्री चौटाला जी को बड़े आदर के साथ जैसे आदरणीय चौटाला साहब व माननीय चौटाला साहब कहकर सम्बोधित किया जा रहा है लेकिन स्पीकर सर, जब

माननीय सदस्या श्रीमती अनीता यादव जी बोलने के लिए खड़ी हुई तो श्री चौटाला जी उनको कहते है ''अरे तू क्या बोलेगी अनीता? स्पीकर सर, हमारी संस्कृति में महिलाओं को इज्जत एवं सम्मान दिया जाता है और महिलाओं के ऊपर ही हमारा सारा समाज खड़ा है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इसी प्रकार से श्री चौटाला जी सदन के नेता को भी ''तू'' कहकर सम्बोधित करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यह बात मैं सत्य कह रहा हूं आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए आपको भी सच्चाई पता चल जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं दुनिया के बहुत से देशो में गया लेकिन .... (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, श्री चौटाला जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र बेरी में यह कहकर आये कि हरियाणा प्रदेश में .... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप प्लीज अपनी सीटों पर बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अजय चौटालाः तुमने पांच साल में क्या किया, तुम क्या करते रहे। तुमने भी लुट—पाट ही की है। (शोर एवं व्यवधान) तुम मुझे बोलना मत सिखाओ। मैं तुमसे बड़े—बडे हाउसिज का मैम्बर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः तो फिर क्या आप तू शब्द का यूज कर सकते हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज आप चुप हो जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इसको छूट दे दी है? ये क्या बोल रह है यह समझ ही नहीं रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज आप सब बैठिये (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह बेकार की बात करता है। यह माहौल खराब कर रहा है। इसको आप सीमा मे रखो। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Kadian, you please take your seat. (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः यह हाउस इस तरह से नहीं चलेगा. इस तरह से हम नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान) यह जो जी में आये कह देता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : This is not the way. Except Mr. Chautala everybody should sit down, (Noise & interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: क्या यह कोई तरीका है? अध्यक्ष महोदय, कोई सीमा होती है, कोई सदन की गरिमा होती है। (शोर एवं व्यवधान) हमारी तरफ से भी क्या ऐसा हुआ था? यह किस हैसियत से खड़ा हो गया ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय यह कोई तरीका नहीं है। कादियान साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया है पहले उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Alright, वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (Interruptions) this is not the way, I am very-sorry to say. Please take your seats. (Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जब आपसे एक बात तय हो गई कि लीडर ऑफ दि हाउस किसी भी समय इन्टरविन कर सकता है तो फिर यह बीच में क्यों खड़ा हो रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पवार: सर, पहले कादियान साहब द्वारा बोला हुआ सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह मैंने कह दिया है, वह कार्यवाही से निकाल दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) श्री ओम प्रकाश चौटाला

वह सारा हिस्सा सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने कह दिया है, वह निकाल दिया गया है। अब आप बोलिए।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, असेम्बली प्रोसीडिंग्ज मे कोइ भी सदस्य कोई बात कहता है बह बाकायदगी से लिखी जाती है, आप रिकॉर्ड मंगवा कर देख लें। मैंने अनीता को अनीता जी कह कर बोला है। महिलाओं को सम्मान प्रदान करना हमारा अधिकार है लेकिन पैरा नम्बर 25 में महिला सशगइक्तकरण के बारे में कहा गया है कि यह मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार साल के अर्से में जो महिलाओं के साथ इस सरकार मे दुर्व्यवहार हुआ है उसका अगर मैं सारा उल्लेख करूँगा तो बहुत समय लग जायेगा। यह रिकॉर्ड की बात है कि हरियाणा में तो महिलाओ के साथ थाने में रेप हुए हैं। रिपोर्ट लिखवाने के लिए महिलाओं को कपड़े उतारने पड़े। महिला को रपट लिखवाने के लिए भी डीजीपी. के दफ्तर के सामने आत्महत्या करनी पडी। मैं कौन–कौन से किस्से सुनाऊं ? छात्राओं के साथ कॉलेज में भी ऐसा हुआ है। इस सरकार के दौरान महिलाओ के साथ जितना दुर्व्यवहार हुआ है विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलेगा और ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जिनका महिलाओं को अपमानित करने में अहम रोल रहा है वे इस तरह की बात बोल रहे हैं। अगर

रिकॉर्ड देखा जाये. कानून व्यवस्था की स्थिति देखी जाये, साढ़े चार साल के अर्से में हरियाणा प्रदेश में हर 6 घण्टे में एक मर्डर हुआ है, हर 12 घण्टे में बलात्कार और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। सरकारी संरक्षण प्राप्त हजारों असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो सैंकड़ों लोगों से रोज फिरौतियॉ वसूल कर रहे हैं। (विघ्न) रोजाना फिरौतियां वसूल होती हैं। अध्यक्ष महोदय, इलैक्शन के बाद 22 तारीख को काउंटिंग हुई है, 23 तारीख को अढाई साल की बच्ची का पंचकूला में अपहरण हुआ है। आप दूर क्यों जाते हैं पंचकूला और चण्डीगढ़ में कोई अन्तर नहीं है। यानि हर स्तर पर इस प्रकार के हालात पैदा हो गये हैं और सरकार को कोई परवाह ही नहीं है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। कोई सरकार को समझता ही नहीं है। अब आम आदमी कही जा कूर इन्साफ मांगेगा? गरीब आदमी किसके पास जायेगा? डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस के अलावा भी कहीं कोई जगह है क्या? आज डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस के सामने जाकर के किसी महिला को आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ... ।

Mr. Speaker : No-No. It is wrong. (interruptions) It should not be recorded.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ये जो बात इन्होंने अभी कही हे, क्या आज से पहले इनके इस बारे में व्यान आए थे? जो अब ये यह बात कह रहे हैं। पहले क्यो नहीं इनके

इस बारे में व्यान आए। (विघ्न) मुझे सभी बातों का पता है। (विघ्न) He is misleading the facts. He should behave responsibly.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः यह मैं रिकार्ड की बात बता रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अगर रिकार्ड हे तो आप इस बारे में रिपोर्ट करो। आप ह्यूमन राईट कमीशन में जा सकते हो। वहां पर रिपोर्ट करो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष चौटालाः साहब, 40—45 मिनट आपको बोलते हुए हो गए हैं ओर हर बात मे आप कह देते हैं कि यह रिकार्ड की चीज है and no record is being produced by you. (विघ्न) प्रोब्लम तो यही है कि आप हर चीज में कह देते हैं कि यह रिकार्ड की चीज है but where is the record? (interruptions) Every time you say that यह रिकार्ड की चीज हे। यह रिकाड की बात है but there is no record.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह हर बात में कह देते हें कि यह रिकार्ड की चीज है। इनके पास कोई रिकार्ड नहीं है, ये जो भी बोल रहे हैं यह रिकार्ड के खिलाफ बोल रहे हें। सारा टाईम ये यह कहते रहते हें कि यह रिकार्ड की बात हे लेकिन इन्होने कोई रिकार्ड अभी तक दिखाया नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, में आपकी बात से सहमत हूं लेकिन क्या मुख्यमंत्री महोदय इस बारे में ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस इन्क्रवायरी फेस करने के लिए तैयार हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मैं तैयार हूं, आपकी तरह नहीं हूं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः ठीक है, चलो फैसला हो गया। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, निराधार बातों की आज तक कोई इन्क्रवायरी हुई है। (विघ्न) आप लिखकर भेजो। हम इन्कवायरी करवाएंगे। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सहमत हें इसलिए यह बात समाप्त हुई। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठें। (विघ्न) मिस्टर सुरजेवाला जी बोलें। (विघान) नहीं—नहीं, सुरजेवाला जी, आप बोलें। (विघान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर. आपने मुझे बोलने का समय दिया है मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। स्पीकर सर. आपने मुझे कहा कि आप अपनी बात बाद में कह लीजिए ओर चौटाला जी जैसा चाहते थे मेंने वैसे ही किया। चौटाला जी ने बोलते समय 5—6 बाते सदन मे रेज करी और मैंने वे नोट कर ली। मैं सदन का सदस्य होने के नाते उन बातों के

बारे में सदन में क्लीयर जरूर करना चाहूंगा। (विघ्न) स्पीकर सर, उसके बाद मैंने इन्टरवीन नहीं किया। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला अध्यक्ष महोदय, यह मिनिस्टर नहीं है। यह रिप्लाई नहीं दे सकता हे। मुख्यमंत्री रिप्लाई देंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः नहीं–नहीं, ये रिप्लाई नहीं दे रहे हें। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, इनको डर किस बात का लगता है। मैं जब भी बोलने के लिए खड़ा होता हूं ये भी बीच में बोलने लग जाते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौटाला जी, ये रिप्लाई दे रहे हैं। चौटाला जी, इन्होने आपकी बाते नोट करी हैं, उनके बारे मे क्लीयर कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चीफ मिनिस्टर जवाब देंगे, इसे क्या अधिकार है?

Mr. Speaker : He was minister of the Department.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अब यह मिनिस्टर नहीं है। अब यह रिप्लाई नहीं दे सकता है। हाउस में और भी मेम्बर्ज बेठें हैं ओर वे भी बोलेंगे। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I am

not replying. My hon'bie learned friend was raising some issues, where he was misleading this House. I requested you that he is misleading the House और अनर्गल व्यानबाजी कर रहे हैं। आपने कहा कि आप नोट कर लीजिए। जिस समय वो अपनी बात खत्म करेंगे, उस वक्त आप मुझे बोलने का मौका देंगे। (विघ्न) अनिल जी, आप क्यो घबरा रहे हो? आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं। (विघ्न)

Mr, Speaker : Mr. Anil Viz, you will get the time. (interruptions) I say you will get the time. (interruptions) बैठिए–बैठिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बोलते हुए सदन में 6 बिन्दुओं पर गलत व्यानबाजी की है 1 उस बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता था। लेकिन आपने कहा कि मैं अपनी बात चौटाला जी की बात खत्म होने के बाद ही कहूं। अध्यक्ष महोदय. उन्होंने यह कहा कि कृषि की इस सरकार के अन्दर बहुत ही दुगर्ति हुई है और किसान को उसकी फसल के उचित दाम नहीं मिले हैं। स्पीकर सर, आपकी अनुमति से मैं केवल दो तथ्य इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2005 में हमारी सरकार से पहले हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार थी और केन्द्र में NDA की सरकार थी। 1999–2000 से लेकर 2003–2004 के बीच में यानी की लगभग पांच साल में गेंहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्र 40 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई थी। 1999–2000 में 580 रूपये प्रति क्विंटल का इसका भाव था। जब

इनकी सरकार गयी जो अपने आपको किसानों की सरकार कहती थी तो 630 रुपये प्रति क्विंटल इसका भाव था। इसके विपरीत जब श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार आयी और हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा जी के नेतृत्व वाली सरकार चार साल आठ महीने तक रही तो हमारे समय में गेहूं का समर्थन मूल्य 1080 रुपये प्रति क्विंटल हो गया यानी चार साल में 450 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के समर्थन मूल्य में बढोत्तरी हुई है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इनको डिस्टर्ब नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, जब आपने कहा तो मैं तो चुप बैठ गया था। You have to protect me.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो उस वक्त गेहूं का समर्थन मूल्य 630 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन उपभोक्ता को यह आधे दाम पर मिलती थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ये भी नोट कर लें और जबाव दे दें। यह बात ठीक नहीं है कि हर बार बीच में खड़े होकर जबाव देना शुरू कर दें।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी गलत ब्यानी का ही जबाव दे रहा हूं। जब इनकी सरकार–आयी तो किसान को आधे दाम मिले और उपभोक्ता से दुगने वसुल किए गए।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, You have permitted me. I am on my legs.

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, बात यह है कि जब आपने यह कहा कि सुरजेवाला जी इंटरफियर करते हैं तो मैंने उनको रोक दिया लेकिन अब जब उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की तो आपने इंटरफियर करना शुरू कूर दिया है। अजीब सी बात है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वे गलत व्यानी कर रहे हैं। वे हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, मुझे यह नजर आ रहा है कि हाउस गुमराह हो या न हो लेकिन मैं जरूर गुमराह हो जाऊंगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, मैं केवल तथ्यों पर आधारित आकंड़े दे रहा हूं। ये घबरा क्यों रहे हैं। मैं कोई भी व्यक्तिगत बात उनके बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बात तथ्यों पर आधारित है कि केन्द्र की कांग्रेस की सरकार ने उपभोक्ता को गेहूं दुगने दाम पर दिया जबकि विदेशों से यह तीगुने दाम पर खरीदा।(विघ्न) श्री रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। गलत व्यानी की जहां तक बात है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब वे इस साईड में बैठते थे और हम विपक्ष वाली साईड में बैठते थे तो ये कहते थे कि जब तक मैं जिऊंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या आज उनका वहां पर भूत बैठा हुआ है या ओम प्रकाश

चौटाला बैठा है? यह ओम प्रकाश चौटाला का मुप्त कहां से आ गया? (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker : Nothing to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेबाला: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 के मुकाबले में 72 प्रतिशत गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढोत्तरी है जो कि कांग्रेस की सरकार ने दी है। जब इनकी सरकार थी तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी की सरकार इनके पांच सदस्यों और अकाली दल के सदस्यों के दम पर चलती थी लेकिन उस समय कभी भी चौटाला जी वाजपेयी जी के पास यह कहने के लिए नहीं गए कि किसान का गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाओ और अगर नही बढ़ाओगे तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। इन्होने कभी ऐसा नहीं कहा। अगर ये चाहते तो ऐसा कहकर इसका रेट बढ़वा सकते थे। इसी प्रकार 1999–2000 में जब एनडी. ए. की सरकार आयी तो धान का मूल्य 490 रुपये प्रति क्विंटल था और जब इनकी सरकार 2002 –2003 में गयी तो उसका मूल्य 530 रुपये प्रति क्विंटल था यानी लगभग पांच साल में मात्र चालीस रुपये प्रति क्विंटल इन्होंने धान के मूल्य बढ़ाए जबकि ये अपने आपको किसान हितैषी कहते हैं। सर, इसके विपरीत २००३–०४ मे जब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार आयी और यहा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आयी तो उस वक्त धान का मूल्य 560 रुपये था लेकिन 2009– 10

में चालू साल में 980 रुपये प्रति क्विंटल हो गया यानी यक रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोत्तरी हुई है। सर, ये किसान के प्रति हमारी कमिटमैंट है, ये किसान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है, ये किसान के प्रति हमारी कमिटमैंट, हमारी विश्वसनीयता का सबूत है। इसी तरह से जब इनकी सरकार थी तो उस वक्त गन्ने का समर्थन मूल्य 1999–2000 से 2003–04 तक 110 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इस साल निर्णय किया है कि 185 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का समर्थन मूल्य देगे यानी यह चार साल में 70 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हे। हरियाणा में इस समय देश में गन्ने का सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा वह व्यक्ति हैं जिन्होने इंटरवीन किया और भारत सरकार को परसूएड किया। (विघ्न) सर, इनमे सुनने का मादा नहीं है। धान की वैरायटी 1121 जो 800 रुपये प्रति क्विंटल में बिका करती थी और उस समय यह नारा था कि चौटाला तेरे राज मे जीरी गयी ब्याज में और पुराली गयी लिहाज में। लेकिन उसी 1121 धान की वैरायटी को 2000 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच मे बासमती डिक्लेयर करवाकर यू.पी.ए. की सरकार से उसके रेट अगर बढवाए तो वह भी कांग्रेस की सरकार ने बढवाए हैं। सर, चौटाला जी ने बात की और कहा कि इंडस्ट्रीज जो हैं, उद्योग जो हैं, वह हरियाणा से पलायन कर गयी हैं और मौजूदा सरकार के चार साल पांच महीने के कार्यकाल में हरियाणा के अंदर उद्योग नहीं आया है। मैं केवल एक आकड़ा आपकी सरकार के समय का देना चाहूंगा। सरय पांच

साल में इनकी सरकार के समय मे हरियाणा में कुल 11492 करोड़ रुपये का निवेश आया और हुड्डा जी की सरकार के 4 साल 8 महीने मे 35 हजार करोड रुपये का निवेश आया और उसका कारण मानसिकता का अंतर है ओर वह अंतर यह है कि हमने लिबर्टी के आगे गड्ढे नहीं खुदवाये और ऐटलस की फैक्ट्री के अंदर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। हमने इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर चौटाला टैक्स की वसूली नहीं की। हमने ऐटमौस्फीयर पैदा किया, हमने इस प्रांत के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया जिससे उद्योग– धंधे, व्यवसाय. दुकानदार, व्यापारी फला–फूला, उसका ये परिणाम था कि इतना भारी निवेश आया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बात और कहना चाहूंगा।(शोर एवं व्यवधान) इन्होंने एस.वाई.एल.कैनाल की चर्चा की कि हमारी सरकार एसवाईएल. कैनाल का निर्माण नहीं होने देती। इस बारे में 3 आकड़े रिकार्ड के ऊपर मौजूद हैं। हमको एसवाईएल. कैनाल का पानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 24 मार्च, 1976 को दिया था और उसके बाद 3112. 1981 को इंदिरा गांधी अवार्ड आया। चौधरी देवीलाल जी के मित्र जो कि शायद आपके ताऊ लगते हें और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वे उस समय भी पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उन्होने हमेशा इस बात पर रोड़ा अटकाया कि हमें पानी न मिले। राजीव लोंगोवाल ऐकौर्ड 24 जुलाई, 1965 को हुआ और राजीव–लौंगोवाल ऐकोर्ड के तहत जब इराडी कमीशन यहां आया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी ने उसे साइमन कमीशन की संज्ञा दी और उसे काले झंडे दिखाये। बाद

में कांग्रेस की सरकार ने यह केस लड़ा और 3 .5 एम.ए.एफ पानी नहीं बल्कि केस लडकर हमने साबित किया कि हम एक राइपेरियन स्टेट हैं ओर राइपेरियन बेसिन में होने की वजह से हमको सतलुज यमुना लिंक का पानी मिलना चाहिए और हमें 385 एम.ए. एफ पानी मिला। इराडी कमीशन की जो 3 जजो की खंडपीठ थी उनकी वजह से हरियाणा के हक का पानी हमें मिला। यह फैसला 31 जनवरी, 1987 को आया और हमारी सरकार जून, 1987 मे चली गई। चौटाला साहब 1987 से 1991 तक सत्ता में रहे और तीन बार 15– 15 दिन तक मुख्यमंत्री बने, लेकिन इन्होंने उस अवधि में एसवाईएल. कैनाल के लिए कुछ नहीं किया। दोबारा 1991 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने सुप्रीम कोर्ट मे इस केस के लिए इजरायत की। स्पीकर साहब, आप तो खुद वकील हैं। आप जानते हैं कि ऐग्जीक्यूटरी सूट भी कांग्रेस की सरकार ने इस बारे मे दायर किया। एक समय वह था जब माननीय चौधरी देवी लाल उपप्रधानमंत्री थे ओर उनके ही द्वारा अपॉइट किए हुए व्यक्ति पंजाब के गवर्नर थे उस समय पंजाब में गवर्नर रूल था और हरियाणा में स्वयं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के किसान की इनको उस दिन याद नहीं आई. जिस दिन ये मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गए थे। उस दिन ये हरियाणा के किसान को भूल गए थे, उस दिन एसवाईएल. केनाल के पानी को भूल गए थे। उसको दोबारा निकालकर ले कर कांग्रेस की सरकार आई। चौटाला जी यह कह रहे थे कि ये केस हम जीते हैं यह सरासर झूठ है। (शोर एव विघ्न) यह केस कांग्रेस

की सरकार ने ही दायर किया था और हम ही जीतकर आए। पंजाब की विधान सभा ने एक गैर कानूनी काला कानून विधान सभा में पास किया था। परन्तु हरियाणा के हितो की रक्षा के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उस मामले में इंटरवीन किया और उस कानून को निरस्त करने के लिए तुरंत कदम उठाया। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार कभी पक्षपात नहीं किया करती। उस कानून को निरस्त करने के लिए 5 सदस्यों की खंडपीठ को उन्होंने केस भेजा, हम वहां से भी केस जीतकर आएंगे। चौटाला जी, एसवाईएल. कैनाल चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के नेतृत्व में हम पूरी करके दिखायेंगे। (थम्पिंग)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस सदन में साफ लिखा हुआ है कि यहां बोलो तो ठीक बोलो और यह जगजाहिर बात हे ओर रिकार्ड की चीज है कि (विघन)

श्री अध्यक्षः रिकॉर्ड भी कोई हो। रिकार्ड आप दिखाते तो नहीं हैं, सिर्फ कहते ही हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि एसवाईएल. केनाल के बारे में जो भी मुकदमा दर्ज हुआ वह हमारी सरकार के वक्त में दायर हुआ और फैसला हमारे पक्ष में हुआ और ये जनाब अपने समय का बता रहे हैं।

एसवाईएल. नहर का फैसला हमारी सरकार के वक्त मे हुआ, रिकार्ड निकलवाइए।

श्री रणदीप सिह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड निकलवाइए और इंक्वायरी करवाइए। यदि इनके वक्त में केस दायर हुआ. होगा तो मैं इस्तीफा दे दूगा और यदि हमारे वक्त में हुआ होगा तो ये इस्तीफा दें। अध्यक्ष महोदय, ये गलतबयानी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात क्लीयर करनी है। सुरजेवाला जी बोलते हुए गुस्से में इराडी ट्रिब्यूनल के बारे में कह गए कि 385 एम.ए.एफ शेयर दिया, वह 385 न होकर 3.63 था। It should be cleared otherwise it will be recorded wrong. दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री जी यह भी क्लीयर कर दे कि पंजाब एसैम्बली द्वारा 12.07.2004 को जो termination of all water agreements बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था जिसमे अकाली दल भी शामिल था और कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह थे उनकी सरकार ने ही यह बिल पास किया था। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उस नहर को बनाने के लिए एक फैसला दे दिया था लेकिन पंजाब की सरकार ने termination of all water agreements के बारे में बिल पास किया। मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए पिछली सरकार ने क्या एक्शन लिया?

कैप्टन अजय सिहं यादवः जब वह प्रस्ताव पास किया गया था तो उस प्रस्ताव में अकाली दल भी शामिल था जो इनकी कोलीशन पार्टनर है। उस समय अकाली दल द्वारा उस मामले का परश्यू क्यों नहीं किया गया कि इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाए? (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः केन्द्र सरकार को वह प्रस्ताव रद्द करने का अधिकार था और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला करना था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री माजरा जी ने तीन बाते की हैं उसके बाद श्री अरोडा जी ने अपनी बात कहीं और उससे पहले श्री चौटाला जी ने कहा। पहली बात यह है कि इन्होंने जो रिफरैंश आज दायर किया हुआ है उसको वापिस लेने की बात कही हे। इससे बड़ा हरियाणा के हकों पर कुठाराघात नहीं होगा। उस कानून को निरस्त करने के लिए पंजाब की विधान सभा मे अकाली दल समेत सभी पार्टियो ने सर्वसम्मति से एक? बिल पास किया था। उसको निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक खण्ड पीठ को बैठाया। हम वह कैस जीतने वलि हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः हाउस को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। रिफरैंश वापिस लेने के लिए नहीं कहा गया था वह तो केप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार ने जो बिल पास

किया गया था उसको वापिस लेने के लिए कहा गया था। आप हाउस को गलत ले जा रहे हो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला. अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी उस समय मुख्यमंत्री थे इन्होंने उस बिल को वापिस लेने के लिए क्यो नहीं चुनौती दी? इसके लिए हमे जाना पड़ा उस समय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे।

श्री अशोक कुमार अरोडाः केन्द्र सरकार को उस बिल को रह करने का अधिकार है।

Mr. Speaker: Please take you seat. Now Shri Krishanpal Gurjar will speak.

श्री कृष्णपाल गुर्जर (तिगांव): अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हू। मैं समय थोड़ा ज्यादा लूंगा। श्री कुलदीप शर्मा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अजय सिंह चौटाला जी ने यह कहा था कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेट नहीं दिया और साथ ही यह कहा कि आप दिखाओ कौन सी अखबार में यह स्टेटमेंट हे।

श्री अजय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अखबार की खबर की कोई एथेंटिसिटी नहीं होती। (विघ्न)

Mr. Speaker: Please take you seat.

श्री कृष्णपाल गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, अभी महामहिम के अभिभाषण पर सदन में चर्चा हो रही है। सरकार द्वारा लिखा हुआ यह अभिभाषण है उसके कुछ बिन्दुओ पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। उन पर मैं सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसानों, बिजली, पानी, कानून–व्यवस्था, सड़कों के बारे मे इस अभिभाषण मे कहा गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणाएं करते हें लाग नही करते। जो मुख्यमंत्री जी ने एक–एक बात कही थी उनकी ओर इनका ध्यान आकृषित करना चाहूंगा। इस अभिभाषण में बिजली का जिक्र किया गया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब इन्होने पिछली बार गद्दी संभाली थी तब इन्होने कहा था कि 3 साल के अन्दर 24 घण्टे बिजली दूंगा, मुख्यमंत्री जी आपको भी, यह याद होगा। आज लगभग 5 साल होने जा रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज किसानों, उद्योगपतियों और घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी बिजली मिल रही हे? (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री महेन्द्र प्रताप सिंह चेयर पर पदासीन हुए) सभापति महोदय, इसी तरह इन्होंने कहा था कि 1600 करोड रुपये के बिजली के बिल माफ कर दिए। अगर बजट निकालेंगे तो पता चलता है कि उस बजट में माफी का प्रावधान किया गया है या नहीं इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय बता देंगे। अगर उस बजट में माफी का प्रावधान नहीं किया गया तो माफी कैसी? मैंने उस समय भी कहा था, हालांकि मैं उस समय सदन में नहीं था।

श्री सभापतिः गुर्जर साहब, आप पिछले हाउस में नहीं थे, आपकी जानकारी बहुत अधूरी है। 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिलों की माफी की जानकारी के बारे मे आपको चौटाला साहब बता सकते हैं। यह तो रिकार्ड की बात है। 1? करोड़ रुपये हमारी सरकार ने ब्याज के माफ किए हैं ओर यह सारी बात रिकार्ड में है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि 1600 करोड़ रुपये माफी की घोषणा थी और आज 2700 करोड़ से भी ज्यादा बकाया है तो आप बताएं कि माफ हुआ है या बढ़ा है।

श्री सभापतिः जो बकाया है वह अलग रिकार्ड की बात है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः 1600 करोड़ रुपये बकाया था जिसको माफ करने की घोषणा आपकी सरकार ने की थी और आज 2700 करोड रुपये से अधिक बकाया है तो माफी कहां गई?

श्री सभापतिः सरकार हमारी नहीं सरकार आपकी भी हे।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः मैं आपकी सरकार की बात बता रहा हूं।

श्री सभापतिः इस समय मेरी डयूटी यहां चेयर पर है और मैं रिकार्ड की बात यह बता रहा हूं कि उस समय आपकी घोषणाओं के मुताबिक जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए ही सरकार द्वारा माफ किया राया था और यह बात रिकार्ड में हे।

श्री कृष्णपाल गुर्जरः सभापति महोदय, इस बारे में तो मुख्यमंत्री जी बता देंगे। यह तो रिकार्ड की बात है। कहने से माफी नहीं होती। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि सरकार जो होती है उस पर सबका बराबर का हक होता है। जिन्होंने बिजली के बिल जमा नहीं किए उनके बिजली के बिल माफ कर दिए इस बारे में हमें कोई एतराज नहीं लेकिन जिन्होंने बिजली के बिल जमा करवा दिए उनको क्या दिया, उनका हौसला कौन बढ़ाएगा? (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, मैं यह बात मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने बिजली के बिल जमा किए हैं वे उनके लिए कुछ करेंगे या नहीं। बिल माफी के मामले में अगर सरकार 2 तरीके से नीति बनाएगी तो इससे क्या मैसेज हरियाणा की जनता में जाएगा 7 गांवों में उन उपभोक्ताओं के बिल माफ कर दिए गए जिन्होंने बिल जमा नहीं किए थे। गांवों में ऐसे हजारों उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिल जमा किए हुए हैं। ये अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने तो बिल भरके गलती कर दी। यह स्कीम शहरों में लागू नहीं की गई। शहरों में अनेक कालोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों

में लोग रहते हैं। अच्छा होता यह बिल माफी की स्कीम या व्याज माफी की नीति शहरों में भी लाग होती तो न्याय कहलाता लेकिन यह न्याय नही बल्कि भेदभाव है। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग समय पर बिल जमा करते हैं मुख्यमंत्री जी 'उन लोगो के लिए क्या करना चाहते हैं, उनका हौंसला कैसे बढाएंगे? अगर उन लोगों को आप इन्सैंटिव देते तो उनको भी लगता कि बिल भरने वालो को कोई इनाम मिला है। सभापति महोदय, बिल मरने वालों को इनाम नहीं मिला बल्कि बिल न भरने वालों को इनाम मिल रहा है। सभापति महोदय, अभी यहां किसानों की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। इस अभिभाषण में भी किसानों की चर्चा हुई है। आज हरियाणा के किसानों के साथ जितना बड़ा धोखा इस सरकार में हुआ हे उतना कभी नहीं हुआ। सभापति महोदय, स्व तरफ जो रैंजीडैशियल जोन है मैं पूछना चाहता हूं कि इन साढे 4 सालो में ऐसी कितनी जमीन है जिस पर सैक्शन 4 और 6 लगी। उसके बाद बिल्डिरों ने जब वह जमीन खरीद ली तो उसको अधिग्रहण से बाहर कर दिया गया और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट भी इस केस के बारे में पूछ रहा है लेकिन सरकार भी जवाब नहीं दे रही है। टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग पर शायद उन्होंने कुछ जुर्माना भी किया है लेकिन फिर भी सरकार जवाब नहीं दे रही है। दूसरी तरफ उन्हीं किसानों की जहां करोड़ों रुपये प्रति एकड़ जमीन है उनकी जमीन 16 लाख रुपये प्रति एकड़ मे खरीद ली गई फिर भी किसानो की सरकार कहते हो। अच्छा होता कि उनकी जमीनें भी खुले बाजार के रेट

में बिकने दी जाती लेकिन सरकार ने उन जमीनों का अधिग्रहण करके बिल्डिरों को दे दिया, इसलिए यह किसानों के साथ न्याय नही हो रहा। आज के दिन प्रदेश का किसान मर रहा है। प्रदेश सरकार आज के दिन किसानों की करोड़ों रुपये प्रति एकड़ की जमीन लाखों रुपये मे अधिग्रहण कर रही है। सभापति महोदय, उद्योगों के बारे मे भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा की गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले साढ़े चार साल के दौरान सरकार ने कितने बिल्डरों को एस.ई.जैड के लाईसैंस दिए हैं। अखबारों मे भी खबरें छपी हैं कि उन एस.ई. जैड्स. में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश को रैवेन्यू भी बहुत ज्यादा आयेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से उनकी रिप्लाई में जानना चाहूंगा कि एस.ई.जैड के लिए लाईसैंस दिए हुए करीबन तीन साल हो गये और इन तीन सालों में कितने एस.ई.जैड प्रदेश में बनकर तैयार हो गये हैं। सभापति महोदय, मैं लाखो की बात नहीं करता मुख्यमंत्री जी यह भी बता दे कि ऐसे कितने एसईजेड. हैं जिनमें एक भी आदमी को रोजगार मिला हो।

श्रीमती अनीता यादवः सभापति महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है कि माननीय सदस्य ने कहा हे कि किसानों की करोड़ों रूपये की जमीन लाखों रुपये में अधिग्रहण की जा रही है। सभापति महोदय, हमारे से पहले वाली सरकार के समय मे किसानों की जमीन एक लाख या डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ के

हिसाब से अधिग्रहण की जाती थी। मेरा पुराना विधान सभा क्षेत्र साल्हावास है। वहा पर झाडली के टिब्बों में दो पावर प्लांट लगाये जा रहे हैं जिनके लिए जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसके लिए प्रति एकड़ 22 से 23 लाख रुपये दिए गए हैं यह रिकार्ड की बात है। इसके अतिरिक्त हर साल प्रति एकड़ के हिसाब से 15 हजार रुपये बोनस के रूप में 33 साल तक किसानों को दिए जायेंगे और हर साल उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी भी होगी। सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय में तो ये लोग जिस किसी के घर पर चाय के लिए या रोटी के लिए जाते थे तो भी पैसे लिया करते थे। सभापति महोदय, जहां तक रोजगार की बात है झाड़ली में इन प्लांट्स मे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है यह भी रिकार्ड की बात है। इसके अतिरिक्त प्लांट तैयार होने के बाद वहां पर लोगों को 18 से 22 घंटे हर रोज बिजली भी मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान),

श्री कृष्ण लाल पंवारः सभापति महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है कि अनीता जी कह रही हैं कि झाडली के थर्मल प्लांट्स मे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिला है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उन प्लांट्स का जो एम.ओ.यू साईन हुआ है उसके हिसाब से 50 प्रतिशत हिस्सा एनटीपीसी. का है, 25 प्रतिशत हिस्सा दिल्ली सरकार का है और 25 प्रतिशत हिस्सा हमारे प्रदेश का है। एम.ओ.यू के हिसाब से उनमें एक भी कर्मचारी

हरियाणा सरकार नहीं लगायेगी। उस पर कंट्रोल हरियाणा सरकार का न होकर एनटी. पी. सी. का रहेगा। (शोर एवं व्यवधान)

18.00 बजे

श्री सभापतिः प्लीज आप सभी अपनी–अपनी सीट्स पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कृष्ण पाल जी, प्लीज आप बेटे। ऐसै नही होता। (शोर एवं व्यवधान) आप हाऊस को हाउस तरीके से चलने दे। अनीता जी, प्लीज आप भी बैठें। मुख्यमंत्री जी स्वयं सभी की बातों का जवाब देंगे। कृष्ण पाल जी भी जानते हैं कि हकीकत में क्या हो रहा है लेकिन आप विपक्ष में बैठे हो और बीजेपी. के पार्टी अध्यक्ष हो इसलिए कुछ तो आपको कहना ही होगा। आप भी जानते हो कि पहले वाली सरकार के समय मे 1 लाख रुपये, दो लाख रुपये और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपये किसानो को प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था। यह तो कांग्रेस की सरकार है जिसने किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज पहले आप सुन लीजिए फिर आप भी बोल लेना मैं आपको बोलने पैं लिए टाईम दूंगा लेकिन आप पहले जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। हरियाणा प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानो के हित के लिए क्या–क्या किया यह सभी जानते हैं। पहली बार किसानों को इतना मुआवजा दिया गया, रायल्टी भी दी गई। यह बात मैं भी मानता हूं कि अभी भी किसानों को और बहुत कुछ देने की जरूरत है। अभी भी किसानों की भलाई की

दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी रहता है। फिर भी सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा हक है इसलिए कृष्ण पाल गुर्जर जी आप अपनी बात कहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी: स्पीकर सर, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है।

Sheri Randeep Singh Surjewala : Chairman Sir, there can not be a point of order on a point of order.

श्री बिशन लाल सैनी: सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यमुनानगर थर्मल प्लांट के लिए किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी तो उस समय उनसे यह वायदा किया गया था कि जब थर्मल प्लांट चालू हो जायेगा तो उनके परिवार के एक सदस्य को वहां पर नौकरी दी जायेगी लेकिन किसी को भी कोई नौकरी वहां पर नहीं मिली है। वहां पर उत्पादित बिजली दिल्ली जा रही है और सर्विस कहीं और के लोगों को दी जा रही है।

श्री सभापतिः बिशन लाल जी, यह सरकार का कमिटमैंट है जो आगे चलकर इम्पलीमैंट होगा। आप इसे छोड़कर प्वायंट ऑफ ऑर्डर की बात कीजिए। जब आपको महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय मिलेगा उस समय आप इस मुद्दे को उठाना। आपके सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे देंगे। अब आप कृपया कृष्ण पाल गुर्जर जी को बोलने दीजिए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः सभापति महोदय, मैं' किसानों की जमीनी के मुआवजे के बारे में बात कर रहा था तो माननीय सदस्या श्रीमती अनीता यादव जी ने बीच में इंटरवीन कर दिया था इसलिए अब मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले जब जमीनों के दाम बहुत कम थे और मंदी का दौर था उस समय भी सरकार ने फरीदाबाद मे सवा पांच लाख रूपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया था। सभापति महोदय, उसके बाद तो जमीने कितनी ही महंगी हो गई हैं जिस जमीन की कीमत उस समय एक लाख रूपये प्रति एकड़ थी उसकी कीमत आज दो करोड़ रूपये प्रति एकड़ हो गई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र हैं इसलिए मैं इनसे कह रहा हूं कि किसान के लिए अगर ये कुछ ज्यादा कर दें तो उसमें इनकी भी भलाई होगी ओर किसान की भी भलाई होगी। इसके अलावा जहां तक पावर हाऊसिज बनाने की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब पिछली सरकार अस्तित्व में आई तो उस समय मोटूका में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक पावर हाऊस का शिलान्यास करके आये थे आज उस बात को सादे चार साल हो गये हे लेकिन आज तक वहां पर कोई एक ईट तक नहीं लगाई गई है। जहां तक हमारी सरकार की बात है तो वर्ष 1996 में हम चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में भागीदार थे उस समय मुझेड़ी में एनएचपीसी. का 430 मैगावाट का पावर हाऊस हमारी सरकार ने स्थापित किया था। आप तो तीन साल का वायदा करके अपनी

वायदे को साढ़े चार साल में भी पूरा नहीं कर पाये लेकिन हमारी .तत्कालीन सरकार ने कहा था कि केवल मात्र 18 महीने में ही पावर हाऊस तैयार होगा और हमने अपने वायदे के मुताबिक ही 18 महीने के अन्दर ही मुझेडी में एनएचपीसी. के 430 मेगावाट की क्षमता के पावर हाऊस को चालू किया था। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह आग्रह भी करूंगा कि आपकी सरकार के पूर्व के कार्यकाल में जिन पॉवर हाऊसिज का निर्माण हुआ है और अब हो रहा हे उनमें हरियाणा का कितना हिस्सा है क्योंकि हमारी सरकार के समय में जो एनएचपीसी. का 430 मेगावाट का पावर हाऊस लगाया गया था उसकी सारी की सारी बिजली हरियाणा को मिलती है उसमे से उत्पादित बिजली पर केन्द्र या किसी स्टेट का कोई हिस्सा नहीं था। इसलिए क्या कृपा करके मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि जो पावर हाऊसिज लग रहे हैं उनमें हरियाणा का कितना हिस्सा है। सभापति महोदय, यह मैं किसानो के बारे में कहना चाहता था। सभापति महोदय, इसके अलावा जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है इस बारे में माननीय श्री चौटाला जी ने सारी बातें कही हैं। सभापति महोदय, यह महाभारत की धरती है जहां पर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत का युद्ध हो गया था और आज के युग में रोहतक की धरती पर एक बहन की इज्जत लूट ली जाती है और वह न्याय मांगती—मांगती इतनी थक जाती है कि उसे मजबूर होकर मुख्यमंत्री जी के गृह नगर रोहतक में आई.जी., पुलिस के कार्यालय के सामने जहर खाना पडता है। इसी तरह

यमुनानगर में एक दूसरी बहन के साथ अन्याय होता है और वह भी न्याय मांगते–मांगते इतनी हताश हो जाती है कि उसे थाने के सामने निर्वस्त्र होने के लिए विवश होना पड़ता है लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि उनके रहते हुए हरियाणा प्रदेश में यह सब नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय पूरे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था का इतना दीवाला पिट चुका है कि मुजरिम बेखौफ हो गये हैं और शासन का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं हे। फरीदाबाद में पिछले महीने में दर्जनों हत्यायें हुई हैं मगर हत्यारे नहीं पकड़े गये। खुद कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई की हत्या हो गई और अढाई तीन साल हो गये लेकिन आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गये। आज आम आदमी अपने आपको कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? खेड़ी गाँव में 2 लोग मारे गये, हत्यारे उनको बडौली केपुल पर मार कर चले गये। फरीदाबाद में इतनी हत्यायें हुई और लाशें झाड़ियों में मिली मगर हत्यारे नही पकड़े गये। आज चारों और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उनमें सरकार का कोई भय नहीं है। हालात दिन प्रतिदिन खराब होतें जा रहे हैं। सभापति महोदय, आज हालात सुधारने की जरूरत है क्योंकि जब आम आदमी की सुरक्षा नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? ऐसे राज से लोग क्या उपेक्षा करेंगे? इसलिए कानून का भय होना चाहिए, सरकार का भय होना चाहिए। मुख्य मंत्री

जी, यह इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जनता की समस्याओ के समाधान के लिए ग्रिवैंसिज कमेटी बनी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः आपने 5 मिनट का समय ले लिया है इसलिए आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें

श्री कृष्णपाल गुर्जरः सभापति महोदय, हमने पहले ही कहा था कि हम सख्या में थोड़े जरूर हैं लेकिन हमारे पास बोलने के लिए माल बहुत है। अभी बहुत माल बचा हुआ है।

श्री सभापतिः माल अच्छा भी होना चाहिए, बचा हुआ माल अच्छा नहीं होता वह कचरा हो जाता

श्री नरेश प्रधानः सभापति महोदय, हम भी बैठे हैं हमें भी बोलने का समय दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति. ठीक है गुर्जर जी, आपका टाईम समाप्त हो रहा है आप कंकल्युड कीजिए। दूसरे सदस्य भी बोलने वाले हैं, आप जल्दी खत्म कीजिए।

श्री कृष्णपाल गुर्जरः मुख्य मंत्री जी, मेरा एक सुझाव है कि सादे चार साल में आपने क्या किया या क्या नहीं किया लेकिन कम से कम जो जनता की शिकायतें होती हैं जो जन शिकायत निवारण समिति हैं उसमें एक बार खुद जाकर देखें तो आपको एहसास होगा कि जनता के मन की क्या पीड़ा है? इन ऑफिसरों को लगाम कसने के लिए महीने में नहीं तो कम से कम 6 महीने

में एक बार डीसी., एसपी. की मीटिंग बुला कर उनसे कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ले लें तो यह प्रदेश के हित में होगा।

श्री सभापतिः आपका समय समाप्त हो रहा है। आप 17 मिनट बोल चुके हैं।

श्री कृष्णपाल गुर्जरः सभापति महोदय, अभी उद्योग के बारे में कहा गया कि फरीदाबाद में उद्योग आये हैं। फरीदाबाद में लगभग 36 दवाईयों की फैक्ट्रीयां थी क्या इनको पता है कि आज उन 35 में से कितनी फैक्ट्रीयां फरीदाबाद में रह गई हैं? आज उद्योग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसी प्रकार से बीपीएल. कार्ड धारकों को 100– 100 गज के प्लॉट देने की बात की गई उस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक कितने प्लॉटों की रजिस्ट्री सरकार ने की है? मुझे लगता है कि यह लोकसभा चुनावों से पहले खाली नामों की लिस्ट ही बना ली और लोकसभा चुनाव के बाद जब विधान सभा चुनाव आये तो कुछ क्षेत्रों मे खाली पत्र दे दिये गये। उनमें न ही तो खाता नम्बर हे, न ही खतौनी नम्बर है और न ही खसरा नम्बर है। जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी, खाता नम्बर नहीं होगा, खतौनी नम्बर नहीं होगा, खसरा नम्बर नहीं होगा वह प्लांट कैसे दिया जा सकता है ? अगर प्लॉट देने हैं तो तरीके से दिये जायें। जो प्लॉट दिये जा रहे हैं वे सिर्फ गाँवों में ही दिये जा रहे हैं। हमारी आपसे अरदास है कि शहरों में भी गरीब लोग रहते हैं। शहरों में भी जो गरीबी रेखा

से नीचे लोग रहते हैं उनको भी ये 100– 100 गज के प्लॉट दिये जाये। सभापति महोदय, इसी प्रकार से हांसी–बुटाना लिंक नहर की बात की गई है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। 600 करोड़ रूपये हरियाणा के लोगों की खून पसीने की कमाई उस पर खर्च कर दी गई है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः सभापति महोदय, मेरा प्याइंट ऑफ ऑर्डर हे। चेयरमैन सर, चौटाला साहब ने भी यह बात कही है कि कि करोड़ रूपये खर्च कर दिये गये। यह 392 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट है और सैन्ट्रल वाटर कमिशन से हमें इसकी क्लियरेंस मिल चुकी है। रूड़की से हम इसकी टैक्नीकल क्लियरेंस ले चुके हैं और ये कहते हैं कि इसमे पानी कही से आयेगा तो इसमे बी. एम.एल. से पानी आयेगा। जो हरियाणा का हिस्सा है उस बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट में यही तक कह दिया था कि वही हम रैग्यूलेटर लगा देंगे और उसका कंट्रोल हम बीबीएमबी. को दे देगे। सैन्ट्रल वाटर कमिशन मैं हमारी सारी बात मानी गई और यह बात मैं ऑन दि रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि फैसला हमारे हित में होगा। सभापति महोदय, इन लोगों की आज भी अकाली दल के साथ कोलेशन है। आज भी ये मिलकर चुनाव लड़े हैं फिर ये उनको इस मामले में क्यों नहीं कन्वींस करते हें कि वे इसको विदड्रा करे। असल मे चोटाला साहब वगैरह का खुद का इन्ट्रस्ट है। ये नहीं चाहते हैं कि पानी का बराबर बंटवारा हो। चेयरमैन सर, मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि लास्ट हीयरिंग जुलाई, 2009 मे हुई थी और

हमारे पक्ष में ही इसका फैसला होगा और हर हालत में इसका फैसला होगा। चेयरमैन सर, थोड़ी देर पहले बोलते हुए इन्होंने यह कह दिया कि एसवाईएल. नहर के बारे में सुप्रीमकोर्ट में कोई केस ही नहीं हे। में इस बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी.ए. गवर्नमैंट ने इस बारे में उस वक्त की ग्रेजेट पोजीशन का रेफरेंस दिया था ओर उसकी बकायदा हियरिंग हुई है। मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि 29.7.2008 को. 4.11.2008 को, 2.3.2009 और 7.7.2009 को सुप्रीमकोर्ट में हीयरिंग हुई है। अब ये इस बारे में भी कहते हैं कि हम अगली तारीखें मांगते रहे हें। चेयरमैन सर, हमारी कोशिश तो यही रही है कि कोशल बैंच एसवाईएल. नहर के मामले की सुनवाई जल्दी से जल्दी करे और इस मामले में जितना परश्यू हमने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। यह रिकार्ड की बात है। ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमैंट ने इस मामले मे परश्यू ही नहीं किया है। (विष्य)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: कैप्टन साहब, ये जो तारीखे आप बता रहे हैं वे रेफरेंस की तारीखें हें, मुकद्दमे की नहीं हैं। आप फिर से हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: मुकद्दमा और क्या होता है, कैसा होता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: रेफरेंस और मुकद्दमे में अन्तर होता हे। आप हाउस को गुमराह कर रहे हो।

कैप्टन अजय सिंह यादवः चेयरमैन सर, जब पंजाब टर्मिनेट एक्ट पास हुआ था, उस वक्त हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और उस वक्त इन्होंने केस दायर नहीं किया था। तब मजबूर होकर हमारे कांग्रेस के एम.एल.एज. ओर एम.पीज यूपी.ए. गवर्नमेंट के प्राईममिनिस्टर को मिले और उसके बाद मुकद्दमा दायर हुआ। अब ये हाउस को गुमराह कर रहे हें कि सुप्रीमकोर्ट मे कोई केस नहीं हे।

श्री सभापतिः केप्टन साहब, क्या आप आश्वस्त हैं कि इसका काम कांग्रेस के शासनकाल मे पूरा होगा।

कैप्टन अजय सिंह यादवः जी हां सर, पूरा होगा। (विघ्न) चेयरमैन सर, इन्होने एक बात ओर कही कि दादूपुर नलवी के ऊपर डैम बनाया गया है। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि वहां पर कोई डेम नहीं बना है। बकायदा वहां पर नहर सही चल रही हे। इसके साथ सूर, इन्होंने यह भी कह दिया कि वहां पर हमने सोलिड वेल्ड मेनेजमेंट पर से नहर निकाल दी हे। इस बारे में मेरा कहना है कि वह नहर से दूर हे। (विघ्न) चेयरमैन सर, यह नहर तब चलती है जब बरसात आती हे। (विघ्न) आप मेरी बात सुनें तो सही। वह नहर तब चलेगी जब जुलाई से अगस्त तक बर सात होगी। (विघान) इनको मालूम ही नहीं है कि वह रिचार्जिग चेनल है। (विघान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: केप्टन साहब, नहर कब चलती है। क्या वह टोटे के हिसाब से चलती है। (विघन)

कैप्टन अजय सिंह यादव: दादूपुर नलवी नहर की लोगो की मांग थी। अब आप यह कह दोगे कि यह लोगों की मांग नहीं थी। मैं आपकी जानकारी क्रे लिए बताना चाहूंगा कि यह अम्बाला के लोगों की मांग थी ओर 20 साल तक आपने कुछ नहीं किया। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने यह नहर बनवाई हे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: केप्टन साहब, आप मेरी बात का जवाब दें कि जहां पर नहर खुदी थी उसके अन्दर ही सोलेड वेस्ट मैनेजमेंट था या नहीं था।

कैप्टन अजय सिंह यादव: मैं यह रिकार्ड के अनुसार ही कह रहा हूं कि वह नहर से दूर है। **श्री ओम प्रकाश चौटाला:** वह नहर कै अन्दर हे ओर अब उसको तोड़ा गया हे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: मैं कह रहा हूं कि वह नहर के अन्दर नहीं हे। वह उससे दूर हे। (विघ्न)

श्री सभापति: केप्टन साहब, आप इस बारे मे जांच करवा ले।

कैप्टन अजय सिंह यादव: सर, में रिकार्ड के अनुसार कह रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चेयरमेन सर, आप हाउस की कमेटी बनाकर वहां पर भेजें ताकि वह कमेटी वहां पर जाकर उसको चेक कर ले। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा चेयरमैन सर, यह जो सोलैड वेस्ट मैनेजमेंट कह रहे हॅ वह बैंक के नजदीक है।

श्री सभापतिः चौटाला साहब, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वह नहर से अलग है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चेयरमैन सर, वह नहर के अन्दर है। आप जाकर उसको देखें। (विघ्न) अगर वह बाहर था तो उसको तोड़ा क्यों गया। (विघ्न)

श्री सभापतिः अशोक जी ओर राम पाल माजरा जी आप दोनों पहले डिसाईड कर लें कि पहले किस ने बोलना है। (विघ्न) ठीक है, कृष्ण पाल जी, आप अपनी बात जल्दी खत्म करें।

श्री कृष्णपाल गुर्जरः चेयरमैन सर, मैं दो–तीन बातें और आपके माध्यम से सदन मे कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने बोलते हुए कहा था कि 2008 मे हांसी बुटाना लिंक नहर में पानी लेकर आएंगे। में आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कब तक उसमे पानी लेकर आएंगे। (विघ्न) चेयरपर्सन सर, अगला प्यायंट यह है कि जब चुनाव आते हैं तो इनको हाई कोर्ट की याद आ जाती हे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा ही माननीय हंसराज भारद्वाज को हरियाणा से राज्यसभा में भेजा गया था। वे

पांच साल तक केन्द्र में कानून मंत्री रहें। आप मुझे वह दिन और समय बता दें जब आपने उनसे अलग हाई कोर्ट बनाने की मांग की हो, केस परस्यू किया हो। आपके कानून मंत्री रहते हुए हाई कोर्ट क्यो नहीं बन गया? आपने सादे चार साल पहले भी जब आपकी सरकार बनी थी कहा था कि अनअथोराइ्ज्ड कालोनीज को पास करेंगे। चुनाव के पहले भी आपने कहा कि हमने सारी कालोनीज के बारे में कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके अथोराइज्ड कर दी हैं। चेयरमैन सर, उसके बाद एक पत्र आता है जिसमें इतनी शर्त लगा दी जाती हैं कि उनके रहते 7 जन्मो तक भी वे कालोनीज पास नही हो सकती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीयत क्या है। नीति तो नीयत से ही बनेगी इसलिए अगर नीयत उनको पास करने की नही है तो फिर ये घोषणाएं भी नहीं करनी चाहिएं। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े उदार दिल के हैं। इन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में कहा था कि जिस तरह से केन्द्र की सरकार ने ये लाग की हैं वैसी ही हम लागू करेंगे लेकिन इन्होंने ऐसा नही किया।

श्री सभापतिः गुर्जर साहब, आपको पता नहीं है कालोनीज तो पास हो रही हैं। वह सारी प्रक्रिया पूरी हो गयी है। जब आपने उनको धरती पुत्र मान लिया है तो वे सब कुछ ठीक ही करेंगे।

श्री कृष्ण पाल गुर्जरः चेयरमैन सर, छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें केन्द्र ने लागू की हैं तो इनको भी वैसी ही

हरियाणा में भी लागू कर देनी चाहिएं। जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के कर्मचारी हैं उनके लिए भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लाग करनी चाहिएं इससे उनको भी फायदा हो जाएगा। वे भी हरियाणा के कर्मचारी हैं वे भी हरियाणा प्रदेश की सेवा करते हैं। माननीय मुख्यमत्री जी ने लोक सभा चुनावों के दौरान पाली गांव मे कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो फरीदाबाद जिले की जितनी भी खाने हैं वह खोल दी जाएंगी। चेयरमैन सर, आज वहां पर लाखों लोग बेरोजगार हो गए हो गए है। जो दन क्या वह पूरा करेंगे?

श्री सभापतिः गुर्जर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट मे यह मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बारे में फैसला दिया है। मुझे भी पता हे मुख्यमंत्री जी ने पाली गांव में यह कहा था कि इसमे कानूनी पेचदगियां हैं और ज्यों ही वे दूर हो जाएंगी हम तुरन्त इनको खोल देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है इसलिए अब वे कर रहे हैं। आप बैठें। अब अरोड़ा जी बोलेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर): धन्यवाद चेयरमैन सर, आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। चेयरमैन साहब, नयी विधान सभा का आज पहला दिन है। गवर्नर साहब का अभिभाषण किसी भी सरकार का आईना होता है। आज ही इस सरकार ने वोट ऑफ काफीडैन्स लिया है। मेरे साथियो ने किसानों के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर कहा परन्तु आज जो किसान की

हालत है वह सबसे ज्यादा खराब हे। यहां पर धान की बात की गयी। रणदीप सुरजेवाला ने भाव भी बताए कि इतना भाव बडा दिया और इससे पहले कभी भी इतना भाव नहीं बढा। प्रोफेसर सम्पत सिंह जी ने भी कई बातें कहीं कि ऐसा भी पहली बार हुआ है। चेयरमैन सर, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश मे ऐसा भी पहली बार हो रहा हे कि किसानों से सरकार के नाम पर सैलर वाले जीरी खरीद रहे हैं और जो 980 रूपये प्रति क्विंटल का भाव है उसमें से तीस चालीस रूपये प्रति क्विंटल दस्ती में किसानों से लिए जा रहे हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, आप आ गए हैं मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच करवाएं। स्पीकर सर, ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि आपके ही जिले की आपके अपने एरिया की मंडी में धान के ऊपर यह हाल हो रहा है। स्पीकर सर, सदन में यह भी कहा गया कि 1121 की गैर बासमती वैरायटी को हमने बासमती किया, इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय जवाब देते समय बतायें कि बासमती से गैर बासमती किसने किया था। जिस समय किसान की जीरी मंडियों में जा रही थी, जिस साल किसान की अच्छे भाव मिले, चावल का अच्छा ऐक्सपोर्ट हुआ। हमारी पूसा 1121 किस्म को विदेशों में बासमती की वैरायटी में माना गया और उसके अच्छे दाम भी मिले। स्पीकर सर, जब अगले साल हमारी जीरी आई तो आप भी जानते हैं कि इस सरकार ने क्या किया, इन्होंने जीरी के ऊपर 800/— रुपये प्रति क्विंटल की दर से ऐक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि जब 800/— रुपये

प्रति क्विंटल की दर से ऐक्सपोर्ट ड्यूटी लगी तो हमारा ऐक्सपोर्ट कम हुआ और पाकिस्तान का ऐक्सपोर्ट हमसे ज्यादा हुआ. जिसके नतीजे में 1121 बासमती की किस्म जो 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिकती थी वह केवल मात्र 1500– 1600 रुपये प्रति क्विंटल मे बिकी। जब हमारे किसान की जीरी ऐक्सपोर्टर के घर में चली गई तो 600 रुपये प्रति क्विंटल ड्यूटी लगनी खत्म हो गई और उसकी पूरे प्रदेश के अंदर लूट हुई और यह लूट किसान के साथ हुई। अब भी वह 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिल रही हे, जबकि किसान को दाम 2 हजार रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं मिल रहा है। बल्कि 1900/– रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही दाम मिल रहा है। (विघ्न) जब 3 हजार रुपये रेट मिलता था तब आपने बहुत दीवारो पर लिखवाया था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। अब की बार तो सारी जीरी व्याज में जा रही है, अब दस्ती में सारे किसान पैसे लेने लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप इंक्वायरी करवा लें ऐसा भी हरियाणा में पहली बार हो रहा है कि किसान का बिल 98० रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से काटा जा रहा है और दस्ती में पैसे लेने लग रहे. हैं। ऐसा स्पीकर साहब की खुद के हल्के की मंडी में होने लग रहा है। आप चाहें तो जांच करवा ले। दूसरे आप किसान की बात करते हैं कि किसान के लिए हमने यह किया, वह किया। मैं कहता हूं कि किसान को तो आपने इतना मार दिया कि जब किसान शाहबाद की मंडी में सूरजमुखी का बीज लेने के लिए गये तो वहां मंडी में किसानों पर लाठी चार्ज हुआ और उनको ड्रॉ के जरिए

बीज दिया गया। किसान आपसे बीज मांग रहे थे, कोई प्लॉट तो मांग नहीं रहे थे कि ड्रॉ के जरिए बीज दिया गया। इस समय जब कि बिजाई का सीजन है। जब–जब बिजाई का सीजन आता है बाजार से डी.ए.पी. गायब कर देते हैं। आज भी बाजार में डी.ए.पी. की कमी आ गई है। गेहूं के बीज का सीजन आता है तो उसकी कमी आ जाती हैं। इसी प्रकार से किसान को रेट देने की बात करते हैं कि हमने किसान को उसकी जमीन के ऊंचे रेट दिये। यह बात ठीक है कि आज जमीन के भाव अड़े हैं। पहले हमारे पास किसान आया करते थे और कहा करते थे कि हमारी तरफ हुडा का सेक्टर कटवा दो। तब एक एकड़ जमीन 5 लाख रुपये में बिकती थी और थोड़ा आगे जाकर उस राशि के बदले में 3 एकड़ जमीन मिल जाती थी। आज अगर 20 लाख रुपये मुआवजे के रूप में आप देते हो तो उसमें एक एकड जमीन भी किसान को नहीं मिलती। क्यों आप लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। कीमतें बड़ी हैं और आप कहते हैं कि हमने मुआवजा ज्यादा दिया है। पहले तो एक एकड़ जमीन जाने पर उसके बदले मे थोड़ी दूरी पर जाकर तीन एकड़ जमीन मिल जाती थी। आज बाजार के रेट बढ़े हें न कि सरकार ने बढ़ा दिये हैं। लोग कह दिया करते हैं कि हुड्डा ने जमीन के रेट बढ़ा दिये तो क्या मुंबई में जाकर भी आपने रेट बढ़ा दिये। (विघ्न)

Mr.Speaker : Madam Anita yadav, Please sit down.

श्री अशोक अरोड़ाः बहन जी, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। कुलदीप शर्मा जी ने चर्चा करते समय यह कहा कि विपक्ष बेसलैस चार्ज लगाता है। हुड्डा साहब ने हरियाणा प्रदेश का समान विकास किया। पिछली बार के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज 17 पर आप देखे, यह हम नहीं कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि हमने ऐजूकेशन हब के रूप में हरियाणा प्रदेश को उभारा है। उसके अंदर जो आपका पैरा हे उसमें आप खुद पढ़ लेना कि कितनी हम बेसलैस बात कहते हैं या आप लोग गलत बात कहते हैं हरियाणा ऐजूकेशन हब के रुप में तेजी से उभर रहा है। प्रदेश में पहले से अनेक प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हैं इसमे नं. 1 पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक हैं। हमे इसमें कोई ऐतराज नहीं है आप रोहतक में बनाएं सोनीपत में बनाएं लेकिन सारे प्रदेश के अंदर बराबर का विकास करो, सैंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी मुरथल नंम्बर–2. फुटवेयर डिजाइन एंड डिवैलपमैंट इंस्टीच्यूट, रोहतक नं. 3 और दीनबंधु छोटू राम यूनीवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टैक्नोलौजी इंजीनियरिंग कॉलेज, मुरथल नं–4 और राजीव गान्धी ऐजूकेशन सिटी स्थापित करना नम्बर पांच पर है (विघ्न) दूसरा प्वायंट नम्बर 19 है जिसमे कहा गया कि एक मेडीकल कालेज, खानपुर कलां सोनीपत में खोला है! दूसरा एक एम्स का उप–केन्द्र हरियाणा मे खोलने की इजाजत केन्द्र से मिली है। कायदे के मुताबिक उसकी हमें जरूरत कुरूक्षेत्र, कैथल,यमुनानगर और करनाल जिलों मे थी क्योंकि हमारे से 100– 100 किलोमीटर की दूरी में कोई मेडीकल

फैसीलिटीज नहीं है। जब हमारी सरकार थी उस समय इस बारे में हमारी एक प्रोपोजल भी थी कि हम करनाल में कल्पना चावला मेडीकल कालेज बनायेंगे। उसके बावजूद एम्स के होस्पिटल का केन्द्र इस सरकार को खोलने के लिए मिला और यह सरकार उसको झज्जर में बना रही है जहाँ से दिल्ली 30 किलोमीटर है जहां पर मेडीकल फैसीलिटीज अच्छी हैं इसी प्रकार से रोहतक में पहले ही मेडीकल कालेज है जो कि झज्जर से 34 किलोमीटर दूर है। यह सरकार की सोच की बात है कि इन्होंने समान विकास किया है, यह सब जो हो रहा है यह उसको दर्शाता है। आज उसी का नतीजा है कि प्रोफसर सम्पत सिंह जी कह रहे थे कि यह पहली बार हुआ है कि विपक्ष में रहते हुए वोट की प्रतिशतता घटी है। वर्ष 2000 के चुनाव मे इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट बैंक था 26.77% और इस चुनाव में भी 26.77% वोट ही मिले हैं जबकि कांग्रेस पार्टी का वर्ष 2000 के चुनाव में वोट बैंक था 42.46 जबकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 35.08% वोट मिले हैं। यह बात इस बात को दर्शाती है जो ये यह कहते हैं कि हमने समान विकास किया है। अगर पुराने रोहतक जिले को देखा जाए तो पूराने रोहतक जिले में 60% वोट मिले हैं और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगभग 25 प्रतिशत वोट मिले हैं। इस बात से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीती है या हारी हे। फिर कहते थे कि जनादेश के तहत कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें मिली हैं और विपक्ष को 50 सीटें मिली हैं। यह जनादेश लोगों ने दिया है। मुख्यमत्री जी मैं तो यही कहूंगा कि आप पूरे प्रदेश के

मुख्यमंत्री हैं। आप एक जिले के मुख्यमंत्री बनकर न रहें, आप पूरे प्रदेश का विकास करें और जो किसानों के साथ आज हो रहा है, उससे उनको बचाएं। स्पीकर सर, बिजली के बारे मे मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह आपके मतलब की बात है। स्पीकर सर, आपके एरिया में और हमारे एरिया में डेरे और ढाणियां बहुत हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की कि हम गाँवों की बिजली खेतों से अलग करेंगे। गाँवों की बिजली तो अलग कर दी परन्तु उन डेरों की बिजली इतनी काट दी कि पूरे श्य घण्टे ही बिजली नहीं आती यह बात आपके नोटिस में भी आई होगी। एक दिन–रात बिजली नहीं आती तीसरे दिन बिजली आती है। यह हालत आज बिजली की है, आपके हल्के के और आपके सुपोर्टर श्री मनजीत सिंह जी हैं वे मेरे पास कल बैठे थे।

श्री अध्यक्षः आप मुझे क्यों बीच में खींच रहे हो?

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः स्पीकर सर, मैं तो आपकी ही बात कह रहा हूं। सरदार मनजीत सिंह जी कामरेड कह रहे थे कि हरियाणा मे 1954 में बिजली आई थी और यह भी पहली बार हुआ है कि इतनी कमी बिजली की कभी नहीं देखी। यह हालात आज हरियाणा के हैं।

Mr. Speaker: Please wind up.

श्री अशोक कुमार अरोडाः स्पीकर सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक बात मेरे साथी प्रो. सम्पत सिंह जी

कह रहे थे कि ऐसा भी पहली बार हुआ। मुख्यमंत्री जी, इन्होंने आपके बहुत गीत गा लिए इसलिए उनको मंत्री बना देना।

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Chief Minister will reply.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय. सबसे पहले तो मैं सारे सदन की ओर से महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी सरकार की ओर से हरियाणा के लोगों का कृतज्ञ हूं कि उन्होने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनाई है। इस बारे मे चर्चा हो चुकी है और अब माईनिरिटी और मेजारिटी भी डिसाईड हो चुकी है। लोगो का जनादेश कांग्रेस के हित में था। मैं हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि इन्होने हाउस मे मैजोरिटी ले ली लेकिन लोगो ने इनको नहीं जिताया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: आप की पार्टी की कितनी सीटें आई हैं ?

श्री अनिल विज: हाउस में आपको मैजोरिटी मिल गई, इस बात को हम मानते हैं लेकिन लोगों ने आपको नही जिताया।

श्री अध्यक्ष: ये भी लोगों के रिप्रजेंटेटिव हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः आप भी लोगो के नुमाइदे हो लेकिन कुल चार ही चुनकर आए हों। (विघ्न) मैं इन चुनाव में चुनकर आप सभी सदस्यो को हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के साथी भी जीत कर आए हैं मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये हाउस को सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग करें। यह ठीक है कि अशोक कुमार जी कह रहे थे कि ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि जो पार्टी सत्ता मे थी उसी पार्टी की दोबारा सरकार बनी है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। विपक्ष जो आया है वह बाई डिफाल्ट आया हे। मैं इस बारे मे एक उदाहरण देना चाहता हूं। सांपला में एक जेलदार था और वहीं एक सेठ भी था। जेलदारी का मुकद्दमा हो गया और उसकी जेलदारी टूट गई। वह कोर्ट में मुकद्दमा करके जेलदारी से बहाल हो गया। वह फिर सेठ के पास जाकर बोला कि सेठ देख मैं फिर जीत आया हूं तो सेठ बोला कि भाई तू अपने कर्मो से नहीं जीता बल्कि हमारे भाग माडे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के भी भाग माडे थे कि ये लोग जीतकर आए हैं। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोडा. अध्यक्ष महोदय, ऊ प्रतिशत लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिह हुड्डाः अरोड़ा जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं एक सैकिण्ड के लिए भी नहीं बोला लेकिन आप पता नही क्या क्या बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I can not expect this from you. (Interruptions)

श्री भूपेन्द्र सिह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अब लोगों ने हमें फिर मौका दिया है। पिछले साढ़े चार साल मे हमने हर वर्ग के लिए काम किया और इस बारे मे काफी चर्चा हो चुकी है। केन्द्र की यू.पी.ए. की सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, किसानों के लिए बहुत काम किए गए हैं। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में डाक्टर मनमोहन सिंह की यू.पी.ए सरकार ने एक कलम से हिन्दुस्तान के किसानों का 71 हजार करोड़ रूपये का लोन माफ किया है जो अपने आप में एक इतिहास है। इसमें हरियाणा के 7 लाख 15 हजार किसानो को 2136 करोड़ रूपये का लाभ हुआ है। इसी प्रकार से यहां 1600 करोड़ रूपये के बिजली के बिलों की माफी की बात हुई। इस स्कीम से 6 लाख 19 हजार 137 उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। कृष्ण पाल जी कह रहे थे कि जिन उपभोक्ताओं ने समय पर बिजली के बिल भरे हैं हमारे द्वारा उनको कोई बैनीफिट नहीं दिया। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि हमने उन उपभोक्ताओं को जिन्होंने समय पर बिजली के बिल भरे हैं उनको कोई बैनीफिट नहीं दिया। हमने उनको 5 पैसे प्रति यूनिट का बैनीफिट दिया है। इसी तरह से छोटे दुकानदारों या किसानों पर सहकारी बैंकों का जो कर्जा है, उनको 830 करोड़ रूपये का लाभ पहुंचाने की हमने स्कीम बनाई है। इस स्कीम के तहत 3 लाख 64 हजार 41 किसानों को लाभ हुआ है। इसी प्रकार से जब हमारी सरकार बनी थी उस समय

कोऑपरेटिव बैंकों का जो शॉर्ट टर्म लोन किसानों को दिया जाता है उसका रेट आफ इंट्रस्ट 11 परसैंट था। हमने यह रेट आफ इंट्रस्ट 4 परसैंट किया है। जो काले कानून थे उनको हमने खत्म किया है 1 कोपरेटिव बैंकों के लोन का पैसा जो गरीब किसान वापिस नहीं दे सकता था उनको पहले जेलों मे ठोक दिया जाता था। हमने ऐसे काले कानून को खत्म किया है। जो किसान कोऑपरेटिव बैंकों के लोन की रिपेमैंट नहीं कर सकते थे उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अब हरियाणा के किसी किसान की जमीन कोऑपरेटिव बैंक के लोन के अगेंस्ट नीलाम नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण की यहां पर बात चली, मैं इस बारे में कोई लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इस बारे में एक प्रोजैक्ट का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पलवल से लेकर कुण्डली तक 135 किलोमीटर लम्बा एक्सप्रैस हाइवे बन रहा है। इस एक्सप्रैस हाइवे के बनने में हम सभी की जमीन आती है। हमारी सरकार आने से पहले इसके लिए जमीन अधिग्रहण का प्रोसैस चल रहा था। यह प्रोजैक्ट चौधरी अस्मे प्रकाश चौटाला के समय का था। उस समय किसानों को कुल मुआवजा 160 करोड़ रूपये मिलना था जो कि पहले वाली सरकार ने फैसला किया था। हमारी सरकार आने के बाद हमने जमीन के फ्लोर रेट फिक्स किए और जो 1 त्त करोड़ रुपया किसानों को मिलना था उसकी जगह 650 करोड़ रुपये किसानों को हमारी सरकार ने दिया जिससे 500 करोड़ रुपये का लाभ एक प्रोजैक्ट में किसानों को मिला है। इसके साथ–साथ जिस प्रकार की रिहैब्लिटेशन स्कीम हमारी

सरकार ने दी है उस प्रकार की स्कीम पूरे देश में कहीं नही है। इस स्कीम के तहत जमीन अधिग्रहण का उचित मुआयजा देने के साथ–साथ किसानों को ऊ साल तक 15 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष दिया जायेगा और उसमे हर साल 500 रुपये की बढ़ोत्तरी भी होगी।

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, यह तो बताये कि यह पैसा किसको दिया जायेगा?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद जिस किसी की भी जमीन अधिग्रहण हुई है उन सबको यह पैसा मिलेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यदि इन्होंने किसी एक सिंगल को भी यह पैसा दिया है तो उसके बारे में ये बतायें।

श्री अध्यक्षः चौटाला जी, प्लीज आप बैठे। (शोर एवं व्यवधान) अब आपको नाम कौन बतायेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊंगा। यह सरकार का फैसला है और सभी को मिलेगा। झज्जर मैं सस्तेको मिला है और एस.सी.जैड. वालों को तो 30 हजार रुपये प्रति एकड के हिसाब से मिला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आज तक किसी को एक पैसा भी रायलटी का नहीं मिला है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं on the floor of the House कह रहा हूं कि सरकार ने इस बारे में नीति बनाई है और संबको यह पैसा मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान),

श्री अध्यक्षः इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। चौटाला जी, प्लीज आप बैठें। आप मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं' की जा रही। (शोर एवं व्यवधान) Would you please take the seat? (Interruptions) आप मुझे कहते हैं कि मैं आपको बोलने नही देता और हकीकत में आप खुद ही चुप नहीं करते,। (शोर एवं व्यवधान) यदि मैं किसी मैंबर को बोलने के लिए अलाऊ करता हूं तो आप बीच में खड़े रहो जाते हो। (शोर एवं व्यवधान) जब से सदन शुरू हुआ है तब से सबसे व्याक तो चौटाला साहब आप ही बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) Please take your seat.(Interruptions) Please take, your seat. (Interruptions) I say please take your seat.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ये सदन के सीनियर मैंबर हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में फसलों के भावों में कितनी बढौत्तरी

हुई है यह बात सभी को मालूम है इस बारे में ज्यादा, चर्चा नहीं करना चाहता। कांग्रेस की सरकार में, यू.पी.ए. की सरकार में कितने गुना भाव गेहूं धान गना और दूसरी फसलों के बडे हैं यह बात भी सभी को मालूम है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता ओम प्रकाश चौटाला जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए कई सवाल किये हैं जो शायद फैक्ट्स पर आधारित नहीं थे। मैं उनको फैक्ट्स बताना चाहता हूं। जहां तक इन्होने इण्डस्ट्रीज के निवेश की बात की है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर मार्च, 2005 तक 40 हजार करोड़ रूपये का निवेश हरियाणा में इण्डस्ट्रीज के क्षेत्र में हुआ है और हमारी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल के दोरान 40 हजार करोड़ रुपये ग्राउंड में आ चुके हैं और 90 हजार करोड़ रुपये का इनवैस्टमैंट पाईपलाईन में है (इस समय मेजें थपथपाई गई)। हमारी सरकार आने के बाद फौरन इनवैस्टमैंट 9 हजार करोड़ रुपये का हुआ हैं। इसा तरह से वर्ष 2007–08 में 40 हजार करोड़ रुपये का ऐक्सपोर्ट हुआ है। अध्यक्ष महोदय इसके अतिरिक्त विपक्ष के साथियो ने एसवाईएल. के रेफरैंस के बारे में भी चर्चा की है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बात जग जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एसवाईएल. के बारे में हरियाणा के हित में हुआ है और उसका आधार इंदिरा गांधी अवार्ड और राजीव लौंगोवाल समझौते को माना गया है। हम यह मानते हैं कि इसमें

बहुत विलम्ब हुआ है लेकिन इस विलम्ब के लिए पूर्ण रूप से सामने बैठा दल जिम्मेवार है, इनके नेता जिम्मेवार हैं। इंदिरा गांधी अवार्ड और राजीव लौंगोवाल समझौते का विरोध इन लोगो ने किया था। अगर ये विरोध नही करते तो इसमें इतना ज्यादा विलम्ब नहीं होता। अब जो एसवाईएल. की तारीखें कोर्ट में लगी हुई हैं उनके बारे में कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने जानकारी सदन में दे दी है। अध्यक्ष महोदय, टर्मिनेशन ऐक्ट कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में पारित किया गया था। उस समय मैं सांसद था और हमारी पार्टी के सभी सदस्यो ने उसका विरोध किया था। हमने केन्द्र सरकार से मिलकर फैसला करवाया था जिसका रिफरैंस आज सुप्रीम कोर्ट में है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला. मुख्यमंत्री जी, आपने कहां विरोध किया था, विरोध तो हमने किया था। (शोर एवं व्यवधान) आपको हमने इस बारे में बुलायी गई मीटिंग में आमंत्रित किया था लेकिन आप उस मीटिंग में भी नंहीं आये थे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Chautalaji, Please take your seat. (Noises & Interruptions)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, यह हकीकत है कि तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा पारित टर्मिनेशन ऐक्ट का हमने विरोध किया था। (शोर एवं व्यवधान) हमारी पार्टी के सभी सांसद और विधायकों ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनके सामने हरियाणा का पक्ष रखा था और उसके बाद ही यह फैसला हुआ था। स्पीकर

सर, चौटाला जी और इनकी सरकार ने भी इस ऐक्ट का विरोध किया होगा लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने हांसी–बुटाना कैनाल की बात कही है। माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस बारे में बताया है। स्पीकर सर, सैंट्रल वाटर कमीशन की मार्च, 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक from all angles it has cleared. हमने अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर रखी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हांसी–बुटाना से सम्बंधित हमारा केस काफी मजबूत है और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्णतया हमारे हक में ही होगा। इसमें सिर्फ पंक्चर करने के ऊपर ही स्टे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, पंक्चर और पम्प आऊट करने में तो बहुत अन्तर है। पंक्चर करने पर तो डैम बनता है। (शोर एवं व्यवधान) सरकार ने तो पानी को पम्प आऊट करने की अनुमति मांगी थी और वह भी उसे नहीं मिली थी। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Chautalaji, Please take your seat. (Noises & Interruptions)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा स्वीकर सर, कुछ माननीय सदस्यों ने किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की एन्युटी देने के बारे सवाल उठाया था इस बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना

चाहूंगा कि एच.एस.आईडी.सी. ने एन्युटी के रूप में 16 करोड रुपये की पेमैंट किसानों को कर दी है जिसमें से 6 करोड़ रूपये डिस्ट्रिब्यूट भी हो चुके हैं। जिन किसानों को यह पेमैंट हुई है उनके नाम सम्बंधित माननीय सदस्यों के पास भेज दिये जायेंगे। इसके अलावा जहां तक दादूपुर–नलवी नहर के फेज–। में सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट का सम्बन्ध है इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट म्युनिसिपल कमेटी, जगाधरी द्वारा कैनाल के अन्दर न बनाकर कैनाल के बैंक के नजदीक बनाया जा रहा हे और उसमें कोई इंटरफैरेंस भी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अभी भी मुख्यमंत्री जी को इस बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है। यह नहर के अंदर बनाया गया है (शोर एवं व्यवधान) और उसको तोड़ा गया है। (शोर एवं' व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) आप मुख्यमंत्री जी को रिप्लाई भी नहीं देने देते।

श्री भुपेन्द्र सिंह हुडा: स्पीकर सर, किसाऊ, रैणुका लखवार और व्यास डैम की कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह डैम यमुना पर बन रहे हैं। रेणुका डैम पर कुछ काम शुरू हो चुका है और लखवार–व्यासी डैम का काम शुरू होने

वाला है लेकिन वहां पर आरबीट्रेशन का केस हो गया है इसलिए वहा पर थोड़ी रुकावट है फिर भी हमें उम्मीद है कि वहां पर जल्दी ही काम शुरू हो जायेगा। स्पीकर सर एक बात चौटाला जी. ने चण्डीगढ़ एयरपोर्ट के बारे में कही है। इन्होंने कहा है कि इसमें 600 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार द्वारा दिये गये है। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने सारी बात स्टेटमैंट ऑफ फैक्ट्स के साथ यहां पर रखी है कि 320 करोड़ रुपये हुडा द्वारा दिये गये हैं और एयरपोर्ट पर जो कमर्शियल एक्टीविटीज होंगी उनमें पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार ओर केन्द्र का एक समान हिस्सा है। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यह एयरपोर्ट मोहाली एयरपोर्ट के नाम से न बनकर चण्डीगढ़ एयरपोर्ट के नाम से बन रहा है क्योंकि चण्डीगढ़ हमारी राजधानी है। मैं श्री चौटाला जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे यह चाहते हैं कि हम चण्डीगढ़ पंजाब को सौंप दे ?

श्री ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि चण्डीगढ़ तो अभी भी पंजाब का ही है इसमें उन्होंने क्या तबदीली करवाई है? इसके अलावा मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस एयरपोर्ट का नाम मोहाली एयरपोर्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, मैं यह बात ऑन रिकार्ड कह रहा हूं कि उस एयरपोर्ट का नाम मोहाली एयरपोर्ट नहीं है उसका नाम चण्डीगढ़ एयरपोर्ट ही है और अगर फिर भी

श्री चौटाला जी इस बात को सत्य नहीं मानते तो फिर सर्वप्रथम इसी बात का फैसला हो जाये और अगर उस एयरपोर्ट का नाम मोहाली एयरपोर्ट हुआ तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं माननीय चौटाला जी से भी यह पूछना चाहता हूं कि अगर इस एयरपोर्ट का नाम मोहाली एयरपोर्ट के बजाय चण्डीगढ एयरपोर्ट हुआ तो क्या वे भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? स्पीकर सर, माननीय सदस्य इस बारे में सारे के सारे गलत फैक्ट्स दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर. इसके साथ–साथ मैं सम्पूर्ण सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की प्रोपोजल दी है। स्पीकर सर, यह एयरपोर्ट पंजाब गवर्नमैंट, हरियाणा गवर्नमैंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया का ज्वायंट वैंचर है और इसकी तमाम कमर्शियल एक्टीविटीज में हमारा भी बराबर का हिस्सा होगा। जो बात चौटाला जी ने कही है वह गुमराह करने वाली और तथ्यों से बहुत दूर है। जहां तक श्री चौटाला जी और श्री गुर्जर जी ने 100– 100 गज के प्लाटों के आबंटन की जानकारी के बारे मे कहा है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन परिवारों को इस योजना के तहत प्लाट्स का आबंटन किया गया है मैं उनकी सारी लिस्ट अलग से श्री चौटाला जी और श्री गुर्जर जी को भिजवा दूंगा। स्पीकर सर, मैं सदन की जानकारी के लिए यह जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा अब तक 2, 32, 799 प्लाटो का अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद और गुडगांव

सहित सभी जिलों में बीपीएल. परिवारों को आबंटन किया जा चुका है और अलॉटियो द्वारा उनका पोजैशन भी लिया जा चुका है। यह बात भी बिलकुल तथ्य से परे है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय को कहीं और बनाया जा रहा है। जब से केन्द्रीय विश्वविद्यालय की बात चली है हमारा सुझाव यही था कि यह दक्षिण हरियाणा में महेन्द्रगढ में बनाई जानी चाहिए और यह वहीं पर बनेगी और बन रही है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो बीपीएल. परिवारों को 100– 100 गज के प्लॉट दिये गये है क्या ये बीपीएल. के सभी परिवारों को दिये जायेंगे। जिन गाँवों में पंचायती जमीन नहीं है वहाँ पर क्या सरकार जमीन एक्वायर करेगी तथा क्या इसके लिए बजट में कोई प्रावधान किया गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः विज साहब, अब आप सुन तो लीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमने यह कहा है कि जो पात्र होंगे उनको जरूर इंक्लूड किया जायेगा और जो पात्र नहीं होंगे उनको निकाला जायेगा। जहाँ तक जमीन का सवाल है तो जिन गाँवों में जमीन नहीं है वहाँ पर हम जमीन ऐक्वायर करेंगे लेकिन वहीं पर प्लॉट हम फेजिज मे देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आपको सुना नहीं शायद, ये कह रहे हैं कि जमीन ऐक्वायर करके प्लॉट फेजिज में दिये जायेंगे।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जब बीपीएल. परिवारो को प्लॉट दिये जाते हैं तो उनसे लिखवा कर पूछा जाता है कि क्या आपके पास पहले जमीन है या नही तो क्या एम.एल.ए./एम.पीज को जब प्लॉट दिये गये तो उनसे इस बारे में पूछा गया था?

Mr. Speaker : This is not relevant. Let the Hon'ble Chief Minister proceed.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बिजली की चर्चा की गई है और बिजली विकास की धुरी है इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली की कमी हमें विरासत मे मिली थी इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब हमारी सरकार बनी उस समय बिजली का राज्य को अपना उत्पादन 1587 मैगावाट था और बाहर की बिजली में हिस्सेदारी जो थी वह मिला कर लगभग 4100—4200 मैगावाट बिजली उपलब्ध थी और माँग उससे ज्यादा थी और अब भी माँग हर साल बढती ही जा रही है। उस माँग को पूरा करने के लिए हमने 4 नये प्लांट शुरू किये हैं जिनमें यमुनानगर के 600 मैगावाट के प्लांट ने तो उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

श्री ओमप्रकाश चौटालाः मुख्य मंत्री जी, क्या आपके नोटिस में है कि झाडली और खेदड के जो प्लांट हैं वे दोनों प्लांट बन्द पड़े हैं वहाँ पर काम नहीं चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः चौटाला जी, आप बैठ जाईये, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऐसा है कि खेदड का जो प्लांट है वह दिसम्बर में शुरू हो जायेगा। उसको सिंक्रोनाईज्ड किया गया है। सिक्रोनाईजेशन के बाद काम नहीं चलता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, इसी प्रकार से आप भी कहते थे कि हमें बात कहने नहीं दी जाती जय उसी प्रकार से आप कर श्वेद टैं। आप बात सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः इसी प्रकार से झाडली का एक प्लांट है उसमें भी मैं ड्रम लिफ्टिंग करके आया हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पवारः आप यह बताईये कि इन प्लांटों मे हरियाणा का हिस्सा कितना है? (शोर एवं व्यवधान),

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। यमुनानगर का जो प्लांट है वह पूरा हरियाणा का है उसमे किसी का कोई हिस्सा नहीं है। खेदड़ का प्लांट भी पूरा हरियाणे का है, झाडली का जो दूसरा प्लांट है 1320 मैगावाट का उसकी पूरी बिजली हरिएयाणा को मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, ऐसे केसे चलेगा ? Hon'ble Chief Minister is on his legs and he is saying something. जब आप बोलते थे तो आप कहते थे कि हमें बोलने नहीं देते। अब आप इनको नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जब ये बोल रहे थे उस समय मैं नहीं बोला और अब ये चुप नहीं हो रहे हैं। झाड़ली का जो 1500 मैगावाट का सुपर थर्मल प्लांट है उसमें 750 मैगावाट बिजली हमारी है और 750 मैगावाट बिजली दिल्ली की है बाकी सभी प्लांटों की बिजली हरियाणा की है उसमें और किसी का कोई हिस्सा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कह रहे हें कि सारा हिस्सा हमारा है और कैप्टन साहब कह रहे थे कि आधा हिस्सा हमारा है ओर आधा हिस्सा दिल्ली वालों का हे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अरोड़ा साहब, आप बैठ जाएं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अरोड़ा जी, केप्टन साहब एक प्लांट की चर्चा कर रहे थे। जिसमें 750 मैगावाट बिजली हमारी हे और 750 मैगावाट बिजली दिल्ली की हे, बाकि सबमें बिजली हमारी है। (विघ्न) स्पीकर सर. 2004–05 में उस यूनिट से 578 लाख यूनिट बिजली प्रति दिन लोगों को मिलती थी और 2009–10 मे 992 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन लोगों को देने का काम

हमने किया है। एक आध बार तो साढ़े ग्यारह सौ लाख यूनिट बिजली प्रति दिन लोगों का देने का काम भी किया है। आप सबको मालूम हे कि अकाल जैसी स्थिति से हमने जीरी की फसल सूखने नहीं दी और 8 घंटे रोज किसानो को बिजली दी है। जहां तक समाज कल्याण की बात है तो इस बारे मे मैं रिकार्ड के अनुसार कह रहा हूं कि हमने हर वर्ग के लिए लाभकारी नीतियां बनाई हैं। 2005 में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग का बजट 40 करोड 94 लाख का था ओर हमने इस बजट को 2009–10 में 745 करोड़ 57 लाख रुपये का किया हे। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति ओर पिछड़े वर्ग के कल्याण विभाग का बजट 2003–04 में 47.40 करोड़ रुपये का था और हमारा बजट 163.13 करोड रुपये का है। इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों के पहली से बारहवीं तक पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को 100 रुपये से 400 रुपये मासिक वजीफा देते हें। इसी प्रकार से इन्दिरा गांधी पेयजल योजना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के 3 लाख परिवारों को मुफ्त में कनेक्शन दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 31 जनवरी 2009 तक 3 लाख 13 हजार लोगों को कनैक्शन दिए जा चुके हैं। BPL मे आने वाले अनुसूचित जाति व पटवारीवास जाति के परिवारों को मकान बनाने की राशि को 10 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया हे। इसी प्रकार से कोआप्रेटिव सोसाईटी से भूमिहीन, छोटे दुकानदार हैं उनके 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ किए हें।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, एक भी एससी. और बी.सी. को 3 या 4 हजार रुपये से ज्यादा कर्जा नहीं मिला है। (विघन)

श्री अध्यक्षः यह क्या बात हो रही है। Is this the way? (interruptions) I will not tolerate this. यह कोई तरीका नहीं हे। (विध्न)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, कृष्ण लाल का कहना है कि जब इनकी एमसीएल. से 3 हजार रुपये के कर्जे का प्रावधान है तो 10 हजार रुपये कैसे हो जाएंगे। (विघ्न) क्या आप तथ्यों पर आधारित बात भी नहीं सुनेंगे। जब एमसीएल. से 3 हजार रुपये कर्जे का प्रावधान है तो वे 10 हजार रुपये कैसे हो जाएंगे। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मैंने यह कहा है कि भूमिहीन हों. छोटे दुकानदार हों या चाहे अनुसूचित जाति के हों, उनका कर्जा माफ किया है। (विघ्न) मैंने दुकानदारों का भी नाम लिया हे। (विघ्न) उसमें डेयरी भी है, सुनार भी हैं, बुनकर भी हें। इस किस्म के जो भी लोग हैं जिन्होंने छोटे–छोटे लोन ले रखे हैं उनका कर्जा माफ किया है। इसी तरह से इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत जो 15 हजार रुपये कन्यादान के रूप मे देते थे उनको हमने बढ़ाकर 31 हजार रुपये कर दिए हैं। इसी तरह से सड्कों ओर पुलो के पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जिस तेजी से

काम हुआ है वह भी एक सराहनीय काम है। अध्यक्ष महोदय, किस प्रदेश में कितना विकास हुआ है उसका आप एक ही पैमाना देखेंगे. वह पेमाना प्लान्ड बजट होता है। जब हमारी सरकार बनी तो उससे पहले इनकी सरकार के समय में प्लान्ड बजट 2108 करोड़ रुपये था जबकि आज हमारा प्लान्ड बजट 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हे। अध्यक्ष महोदय, यही विकास को देखने का सबसे बड़ा पैमाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसको ध्वनि मत से पारित करें। हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। हम सब मिलकर प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। आप सबका जो भी सहयोग मिलेगा उसका हम स्वागत करेंगे। 960 रुपये प्रति क्विंटल जीरी पर सैलर वालों की तरफ से कुछ लेने की बात भी यहा पर कही गयी। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा केस इनके दिमाग में है तो वे हमें लिखकर दें, हम उसकी इंक्वायरी करवाएंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ाः सर, यह किसी एक जगह की बात नहीं है यह तो सारे हरियाणा में हो रहा है इसलिए मुख्यमंत्री जी आप इसकी इंक्वायरी करवा लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं एक बात कह, सकता हूं कि इनके समय मे हमारा प्रदेश एक किस्म से विकास की रेल की पटरी से उतर गया था लेकिन अब हमने

इसको विकास की रेल की पटरी पर चढ़ाया है। इन्हीं शब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker: Question is—

That the Address be presented to the Governor in the following terms:—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply gateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House today the 28th October, 2009 at 2.00 P.M.".

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble members now, the House stands adjourned sine-die.

18.56 hrs.

(The Sabha then *adjourned sine-die.)